साम्राज्यशाही के कर्णधार

(अंग्रेज़ी की साइमन हैक्सी द्वारा लिखित 'Tory M. P.'
नामक पुस्तक का संक्षिप्त अनुवाद)



अनुवादक—

'इंग्लैंड का इतिहास', 'राजनैतिक भारत', 'संसार के चुने रत्न',
'दूध ही अमृत है', 'रति रंगरहस्य', 'साहित्य मंजरी'
इत्यादि इत्यादि ग्रंथों के रचयिता

हनुमानप्रसाद गोयल, बी. ए., एल-एल. बी.

विक्रेता—

मातृ - भाषा - मन्दिर,

दारागंज, प्रयाग।

प्रथमवार १२५०]   १९४१

प्रकाशक—

राष्ट्र - भाषा - मन्दिर

दारागंज, प्रयाग।

मुद्रक—

एम. के. सिद्दीक़ी,

स्टार प्रेस, प्रयाग।

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक श्री साइमन हैक्सी द्वारा लिखित "Tory M.P." नामक अंग्रेज़ी ग्रंथ का संक्षिप्त अनुवाद है। इसमें वर्तमान बृटिश पार्लिमेंट के उस दल का वर्णन मिलेगा, जिसके हाथ में इस समय संपूर्ण बृटिश साम्राज्य का शासनाधिकार है। यह दल अपने को "राष्ट्रीय दल" (National Party) के नाम से पुकारता है, किंतु इसमें किस प्रकार के लोग भरे हैं और उनके विचार एवं सिद्धांत किस प्रकार के हैं यह पुस्तक को पढ़ने से ही मालूम होगा। उसे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। इस दल का संगठन और नामकरण सन् १६३१ में किया गया था। अस्तु, इसी "राष्ट्रीय दल" का नग्न स्वरूप और इसी के तमाम सदस्यों की सची-सची हुलिया इस पुस्तक में चित्रित की गयी है।

अंग्रेज़ी की मूल पुस्तक इंग्लैंड में जुलाई सन् १६३६ में प्रकाशित हुई थी। छपते ही यह वहाँ इतनी अधिक लोकप्रिय हुई, कि इसकी कुल कापियाँ तत्काल हाथों-हाथ बिक गईं। चार ही महीने में अर्थात् नवम्बर मास तक इसके तीन संस्करण निकल चुके। हम भारतवासियों के लिए भी इस पुस्तक की उपयोगिता कुछ कम नहीं कही जा सकती, कारण कि इस देश के भी भाग्य-विधाता वे ही लोग हैं, जिन के हाथ में बृटिश शासन की इस समय नकेल है। जिन लोगों से हमें स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करना है वे कैसे हैं और उनके विचार एवं व्यवहार किस प्रकार के हैं इसका ज्ञान हमारे स्वातन्त्र्य युद्ध की सफलता के लिए उपयोगी ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी कहा जा सकता है। अस्तु इसी विषय का ज्ञान कराने के लिए यह अनुवाद सामने है।

पुस्तक में बृटिश शासक-दल को राष्ट्रीय दल के नाम से नहीं पुकारा गया है, बल्कि 'टोरी' (या 'अनुदार दल') के नाम से पुकारा गया है, कारण, जैसा कि पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, यह दल वास्तव में पुराने टोरी-दल का ही एक परिवर्तित रूप मात्र है। अब यह पुराना टोरी दल क्या था इसे समझने के लिए इंग्लैंड के पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। साथ ही बृटिश पार्लिमेंट के सम्बंध में भी थोड़ा सा हाल जान लेना पुस्तक के अध्ययन में सुविधाजनक होगा। अतएव नीचे संक्षेप में हम वही बतलाने जा रहे हैं।

हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी शासन का संपूर्ण अधिकार इस समय बृटिश पार्लिमेंट के हाथों में है। यह पार्लिमेंट दो सभाओं से मिल कर बनी है, जिनमें से पहली सभा का नाम 'हाउस आफ़ लार्ड्स' है और दूसरी का नाम 'हाउस आफ़ कामन्स' है। हाउस आफ़ लार्ड्स में देश के तमाम बड़े-बड़े खानदानी सरदार, सामंत एवं लार्ड उपाधिधारी अमीर लोग बैठते हैं, और हाउस आफ़ कामन्स में केवल प्रजा के चुने हुए सदस्य बैठा करते हैं। मंत्रियों का चुनाव इन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक मंत्री अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

इस बृटिश पार्लिमेंट का जन्म और विकास तेरहवीं शताब्दी से दिखाई देता है। उस समय इंग्लिस्तान में राजा और सामंतों के बीच राजनैतिक शक्ति के लिए नित्य ही लड़ झगड़ रहा करती थी कभी राजा शक्तिशाली हो जाता था, तब सामंतों को दबना पड़ता था। और कभी सामंतों की शक्ति बढ़ जाती थी, तब राजा को दबना पड़ता था। सन् १२१५ में राजा की शक्ति कमज़ोर पड़ी और सामंतों की शक्ति प्रबल हो गई। अतएव उसे मजबूर हो कर सामंतों के सामने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जो इंग्लैंड के इतिहास में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना थी। प्रत्येक अंग्रेज़ इस प्रतिज्ञा

पत्र को आज तक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है और इतिहास में यह 'महास्वतंत्रता-पत्र' (Magna-Charta) के नाम से पुकारा गया है। इसके द्वारा राजा की निरंकुश शक्ति पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये थे। उदाहरणार्थ उसकी एक धारा यह थी कि **'किसी भी स्वतंत्र पुरुष को नियम के विरुद्ध बंदी नहीं किया जायगा।'** एक दूसरी महत्वपूर्ण धारा के द्वारा **राजा को जनता की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कर लगाने अथवा आर्थिक सहायता लेने की मनाही की गयी थी।** इन तमाम नियमों का राजा से पालन कराने के लिए २५ लार्डों अर्थात् सामंतों की एक सभा भी नियत की गई, जो हाउस आफ लार्ड्स के नाम से विख्यात हुई। फिर शीघ्र ही सन १२५८ के क़ानून से इसमें एक प्रजा की प्रतिनिधि-सभा भी जोड़ दी गई, जो आगे चल कर हाउस आफ कामन्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार इंग्लेंड में पार्लिमेंट की दोनों सभाओं की नींव पड़ी।

किंतु इस समय हाउस आफ़ कामन्स को राजनैतिक अधिकार प्रायः कुछ भी नहीं प्राप्त थे। केवल राजा के सामने वह अपनी मुसीबतों का रोना भर रो सकती थी और उसके पास प्रार्थनाएँ भेज सकती थी। धीरे-धीरे इस कामन्स सभा ने प्रजा पर कर लगाये जाने के काम में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, महास्वतंत्रता-पत्र की एक धारा यह थी कि 'राजा जनता की बिना स्वीकृति के किसी प्रकार का कर प्रजा पर नहीं लगा सकता और न उससे कोई आर्थिक सहायता ही ले सकता है।' अस्तु, राजा को नया कर लगाने के सम्बन्ध में बाधा मिलने लगी और उसे अब कामन्स सभा की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। राज्य-शासन के काम में थैली का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार समझा जाता है। अस्तु, इसी अधिकार के बल पर पार्लिमेंट की, और विशेष कर हाउस आफ़ कामन्स की शक्ति और अधिकार

बराबर बढ़ते गये, यहाँ तक कि आगे चल कर राजा एक दिखावटी खिलौना मात्र रह गया।

किंतु पार्लिमेंट की यह शक्ति सहज ही इतनी अधिक नहीं बढ़ गयी। इसके लिए उसे राजाओं के साथ बहुत दिनों तक झगड़े और लड़ाइयाँ करनी पड़ीं, जिसका विवरण इंग्लैंड के इतिहास से मालूम किया जा सकता है। ट्यूडर राजवंश के समय तक पार्लिमेंट की शक्ति कुछ अधिक नहीं बढ़ पायी थी। इस वंश के प्रायः सभी शासक एक प्रकार से बिल्कुल निरंकुश थे। साथ ही उनमें इतनी समझ भी थी कि उन्हों ने कभी पार्लिमेंट से खुल कर झगड़ा नहीं किया। किंतु स्टुअर्ट वंश का राज्यकाल आते ही झगड़ा-बखेड़ा शुरू हो गया। इस वंश का पहला राजा, जेम्स प्रथम, आरंभ में केवल स्काटलैंड का शासक था, किंतु रानी एलिज़बेथ के मरते ही वह इंग्लैंड का भी राजा बना दिया गया। इसका दावा था कि राजा को प्रजा पर राज्य करने का ईश्वरदत्त अधिकार है और कोई व्यक्ति उसके इस अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निदान पार्लिमेंट के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा उसके जीवन पर्य्यंत बराबर बढ़ता ही गया। सन् १६२५ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा, उस समय इस झगड़े ने और गंभीर रूप धारण किया। सन् १६२८ में पार्लिमेंट ने इस राजा की सेवा में एक निवेदन पत्र पेश किया, जो इतिहास में '**पीटिशन आफ़ राइट**' (Petition of Right) या '**अधिकार पत्र**' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राजा को याद दिलाया गया कि वह निरंकुश शासक नहीं बन सकता और बिना पार्लिमेंट की स्वीकृति के प्रजा पर कोई टैक्स लगाना अथवा क़ानून के विरुद्ध किसी को गिरफ़्तार करना उसके लिए बिल्कुल अनुचित है। चार्ल्स पार्लिमेंट की इस गुस्ताख़ी पर नाराज़ हो गया और उसने तुरंत पार्लिमेंट को बर्खास्त करा दिया।

इसके बाद यह झगड़ा विकराल रूप धारण करने लगा, जिसके परिणामस्वरूप सन् १६४२ में राजा और पार्लिमेंट के बीच एक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। राजा के पक्ष में बहुत से सामन्त और सर्दार थे तथा सेना के अधिकांश सिपाही थे। और पार्लिमेंट के पक्ष में लंदन के नागरिक तथा अनेक बड़े-बड़े अमीर व्यापारी पार्लिमेंट-पक्ष का नेता अलिवर क्रामवेल था, जो एक बहादुर और बड़ा योग्य व्यक्ति था। यह युद्ध कई वर्ष तक चलता रहा। अन्त में जीत पार्लिमेंट की हुई और चार्ल्स क़ैद कर लिया गया। सन् १६४६ ई० में उस पर न्यायालय में मुक़दमा चलाया गया और पश्चात् उसे फाँसी दे दी गयी। यह खबर योरोप के देशों में जिस समय पहुँची तो सर्वत्र एक भयंकर सनसनी सी फैल गई और वहां के तमाम राज-सिंहासन एकबारगी भय से हिल उठे।

इसके बाद इंगलेण्ड में ऑलिवर क्रामवेल के अधीन एक प्रजातंत्र की स्थापना की गई। किन्तु सन् १६५८ में क्रामवेल की मृत्यु हो गई और उसके दो वर्ष पश्चात् वह प्रजातंत्र भी समाप्त हो गई। अब अंग्रेज़ों का राजप्रेम फिर जाग उठा और उन्होंने स्वर्गीय चार्ल्स के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को फ्रांस से बुला कर राजगद्दी पर बैठाया। किन्तु यह व्यक्ति केवल एक विलासी पुरुष था और अपने भोग-विलास के आगे किसी दूसरी बात की चिन्ता ही नहीं करता था। अतएव इसके राज्यकाल में कोई नई बात नहीं हुई। किन्तु उसके मरते ही जब उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, तब राजा और पार्लिमेंट के बीच झगड़ा फिर आरम्भ हो गया। यह झगड़ा धार्मिक और साम्प्रदायिक प्रश्नों पर था। किन्तु पार्लिमेंट के आगे जेम्स की कुछ भी न चली और उसे अपने प्राण लेकर फ्रांस भाग जाना पड़ा। अब पार्लिमेंट ने एक दूसरे व्यक्ति को राजपद के लिए चुना। इसका नाम विलियम था। इसका विवाह राजघराने की एक कन्या 'मेरी' के साथ हुआ था। अतएव विलियम और मेरी

अब संयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेंट की यह दूसरी ज़बर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लिमेंट के अधिकार और शक्ति पर शंका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेंट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेंट उन दिनों जैसी थी और जिस ढंग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-संस्था के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज़्यादा हुए जब इंग्लैण्ड में 'जेबी निर्वाचन क्षेत्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज़्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन १७९३ ई० में हाउस आफ़ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकांश आदमियों को पार्लिमेंट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े सामंत ज़मींदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली ज़मींदार और रईस ही लोग हुआ करते थे। ग़रीबों और मध्यश्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में बेईमानी और रिश्वतबाज़ी का बाज़ार भी उस समय खूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आन्दोलन करते रहने पर सन् १८३२ ई० में एक सुधार क़ानून पास किया गया, जिससे निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि की गयी। आगे चल कर समय-समय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लिमेंट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक बालिग़ स्त्री और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

यहाँ तक तो बृटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी दल का भी देना ज़रूरी है। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंगलैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के क़रीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के झगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हें राजा की ओर से ज़मीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खान्दानी सामंत, सर्दार, पदवी धारी रईस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'व्हिग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य 'व्हिग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार क़ानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्ज़र्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और व्हिग पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८६ ई० में कन्ज़र्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैडस्टन के होमरूल बिल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्ज़र्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्ज़र्वेटिव दल के बजाय 'यूनियनिस्ट दल' रक्खा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उतरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

अर्थात् मज़दूर दल था। यह दल ग़रीबों, मज़दूरों और साधारण श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ समय बाद इस दल के दो विभाग हो गये :—(१) दक्षिण-पन्थी, और (२) वाम-पन्थी। वाम पन्थ वालों ने अपना नाम **'इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी'** अर्थात् 'स्वतंत्र मज़दूर दल' रख लिया। यह स्वतंत्र मज़दूर दल दक्षिण पन्थवालों की अपेक्षा विचारों और सिद्धांतों में अधिक प्रगतिशील है और साम्राज्यवाद का स्पष्ट विरोधी है। इंगलैण्ड में भारतवर्ष के अनेक हितैषी इसी दल के लोगों में पाये जाते हैं। किन्तु इस दल के सदस्यों की संख्या कामन्स सभा में अभी बहुत थोड़ी है, जिससे यह अभी वहाँ कुछ कर नहीं पाते।

सन् १६३१ में अधिकांश कन्ज़र्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ बहुत से लिबरल एवं लेबर पार्टी के सदस्यों ने मिलकर एक नया दल स्थापित किया, जिसका नाम **'नैशनल पार्टी'** अर्थात् **'राष्ट्रीय दल'** रखा गया। तब से पार्लिमेंट में इसी 'राष्ट्रीय दल' का बहुमत रहता आया है और इसलिए इसी के हाथ में साम्राज्य की हुकूमत भी है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी दल की आलोचना की गई है और इसी के सदस्यों का 'टोरी' के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि, जैसा पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, इस दल के विचार और सिद्धांत अपनी संकीर्णता और स्वार्थपूर्णता में प्राचीन टोरी दल के विचारों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ग्रंथकार के शब्दों में—

"यूनियनिस्ट, कंज़र्वेटिव, नैशनल (या राष्ट्रीय) लिबरल-नैशनल और नेशनल-लेबर में इतना कम भेद दिखाई देता है कि किसी गंभीर राजनैतिक अध्ययन के लिए इनका अलग-अलग विचार करना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा। जिस मंत्रि-मंडल में ठेठ कंज़र्वेटिव दल के लोगों का प्राधान्य हैं, उसी में लिबरल-राष्ट्रीय और मजदूर-राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ भी बैठा करते हैं। यह मंत्रि-मंडल पार्लिमेंट में एक ऐसे बहुमत पर आश्रित है, जिसके ६० फ़ी सदी सदस्य ठेठ कंज़र्वेटिव दल के ही

लोग हैं। कितने ही मज़दूर-राष्ट्रीय और लिबरल-राष्ट्रीय सदस्य इस टोरी सरकार के पक्ष में अपना वोट देने से एक बार भी पीछे नहीं हटे हैं।"

अस्तु, वर्तमान सरकारी पक्ष को (जो अपने को 'राष्ट्रीय पक्ष' के नाम से पुकारता है), पुस्तक में 'टोरी' के नाम से पुकारा गया है। हिन्दी में हमने 'टोरी' शब्द के बजाय अनेक स्थानों पर 'अनुदार' शब्द का भी व्यवहार किया है। पाठकगण कृपया उससे 'टोरी' शब्द का ही मतलब समझेंगे। साथ ही जहाँ मूल पुस्तक में 'लार्ड', नोबुलमैन, पियर (Peers) और बेरन (Baron) लोगों का जिक्र आया है वहाँ हमने इनके लिए 'नवाब' शब्द का प्रयोग किया है, कारण कि इनके रहन-सहन, विचार और सिद्धांत हमारे यहाँ के नवाबों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, और इससे अधिक उपयुक्त कोई दूसरा शब्द हमें हिन्दी में नहीं समझ पड़ा।

अंत में इतना और बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि पार्लिमेंट और मंत्रि-मंडल का जो स्वरूप दिसम्बर सन् १९३८ में था, उसी का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। तब से उस में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी हुए हैं और आगे हो भी सकते हैं उदाहरणार्थ मिस्टर चेम्बरलेन, जो उस समय प्रधान मंत्री थे, अब इस संसार में नहीं रह गये और उनके स्थान पर एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर चार्चिल प्रधान मंत्री हैं। किंतु इस प्रकार के परिवर्तनों और घटनाओं से पुस्तक के उन परिणामों में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, जो इस में निकाल कर दिखाये गये हैं, और जिन्हें दिखाने के उद्देश से ही यह पुस्तक लिखी गई है। दो चार व्यक्तियों के आने या जाने से संपूर्ण दल के उद्देशों और सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं पड़ता।

—अनुवादक

विषय-सूची



साम्राज्यशाही के कर्णधार



प्रथम अध्याय

जनसत्तात्मक शासन अनुदार दल के हाथ में

"जैसे-जैसे समय बीतता जाता है मेरी राय बड़े-बड़े मामलों के सुलझाने में पार्लिमेंट के बाबत गिरती ही जारही है।"

-- स्वर्गीय लार्ड रर्म्सीमन।

जनतंत्रवाद का जो प्रचार अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में तथा बीसवीं शताब्दी के आरंभकाल तक योरोप तथा समस्त संसार में फैल रहा था, उसका बहाव आज एकबारगी और बड़ी तेज़ी के साथ पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। कितने ही देशों की पार्लिमेंट संस्थाएँ इस समय तक समाप्त हो चुकी हैं, अथवा बिल्कुल निकम्मी बना दी गयी हैं। ऐसे ऐसे शक्तिशाली दलों का उदय इस समय राजनैतिक आकाश में दिखाई दे रहा है, जिनका स्पष्ट उद्देश ही यह है कि जनसत्तात्मक शासन-विधान को उखाड़ फेंका जाय और उसके स्थान पर अपने दल का केवल एकतंत्र शासन स्थापित किया जाय। इटली, जर्मनी, जापान, स्पेन तथा अन्य बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्रों में आज इसी प्रकार के राजनैतिक दल अपने उपरोक्त उद्देश को प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुए हैं।

वर्तमान पूँजीवादी समाज में जनसत्तात्मक शासन का प्रायः सब से मुख्य अंग पार्लिमेंट ही हुआ करता है। बिना किसी ऐसी निर्वाचित संस्था के, जैसी कि इंगलैंड में हाउस आफ़ कामन्स है, जनसत्तात्मक शासन प्रायः संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी केवल पार्लिमेंट की उपस्थिति ही इस बात की गारन्टी नहीं कही जा सकती कि उसका काम भी सदा जनतंत्रात्मक रूप में हुआ करेगा। उदाहरणार्थ यदि पार्लिमेंट के निर्वाचन में केवल थोड़े ही से लोगों को मताधिकार दिया गया हो, जैसा कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में इंगलैंड में था, तो ऐसी पार्लिमेंट वास्तविक रूप से जनतंत्रात्मक संस्था नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार यदि प्रजा को केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय जो सरकारी तौर पर नामजद किये गये हों, जैसा कि आज कल जर्मनी में होता है, तो वह चुनी हुई पार्लिमेंट भी प्रजा की इच्छाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त जहां प्रजा को तमाम वे क़ानूनी अधिकार प्राप्त भी हों, जिन्हें हम जनतंत्रात्मक विधान के लिए आवश्यक समझते है, जैसे, सब के लिए समान मताधिकार, हर एक को बिना किसी धन या जायदाद की शर्त के मेम्बरी के लिये खड़े होने का हक़ इत्यादि, तो ऐसी दशा में भी एक निर्वाचित पार्लिमेंट के बहुत से काम व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार भी जनतंत्रवादी न कहे जा सकें। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में जो शासन का अधिकार सन १९३३ में नाजीदल के हाथ आया था वह केवल प्रजा की नियमानुकूल चुनी हुई पार्लिमेंट की ही सहायता से तथा उसके प्रति ज़िम्मेदार हाकिमों के ही सहयोग से संभव हो सका था। इसी प्रकार फ़ासिस्ट दल की सफलता भी पार्लिमेंटरी बहुमत की सहायता से ही संभव हुई थी। एक मात्र स्पेन के जेनरल फ्रांको को छोड़ कर शेष सभी जगह, जहां जहाँ जनतंत्रवादी शासन को नष्ट करने का कोई भी प्रयास किया गया है, वहाँ केवल पार्लिमेंट के बहुमत की ही सहायता अथवा

उदासीनता का सहारा लिया गया है। हाँ, स्पेन में अवश्य ही प्रजातंत्रवादी सरकार को उलटने के लिए सशस्त्र क्रान्ति की ज़रूरत पड़ी थी।

किंतु इसका कारण था। जेनरल फ्रांको के बग़ावत करने के पहिले स्पेन की पार्लिमेंट एक ज़बर्दस्त प्रतिनिधि संस्था थी। उसके प्रजातंत्र शासन में ऐसे ऐसे क़ानूनी सुधार किये गये, जिनकी आवश्यकता सदियों पहिले से महसूस की जा रही थी। विरोधियों की उसके सामने एक भी न चली। निदान जब उनके लिए क़ायदे और क़ानून से जीतना असंभव हो गया, तब उन्होंने सशस्त्र क्रांति का सहारा पकड़ा और विदेशों से मदद मँगवा भेजी। इस प्रकार योरोप की आधुनिक घटनाओं से हमें जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह कि जनसत्तात्मक शासन की सुरक्षा बहुत अधिक अंश में इस बात पर निर्भर है कि प्रजा के चुने हुए पार्लिमेंटी प्रतिनिधिगण प्रजातंत्र के अधिकारों को कुचलने वाली तमाम चेष्टाओं का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार और दृढ़प्रतिज्ञ बने रहें। अस्तु, यदि बृटिश शासन-विधान को योरोप की ज़हरीली लू से बचाये रखना आवश्यक समझा जाय, तो बृटिश प्रजा के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह अपनी पार्लिमेंट के मेम्बरों पर अच्छी तरह निगाह रक्खे। विशेष कर उस दल के मेम्बरों पर तो सब से ज़्यादा निगाह रखना होगा, जिसके हाथ में इस समय शासन की बाग डोर है। *

अभी हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि पार्लिमेंट में अनुदार दल के सदस्यों का अधिकतर भाग पार्लिमेंट के अधि

नोट :—बृटिश पार्लिमेंट के मेम्बरों के चुनाव में हम भारतीयों का कोई हाथ नहीं है। अतएव इस दृष्टि से हमारे लिए इन पर निगाह रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें जिस बृटिश शासक दल से पाला पड़ रहा और पड़ेगा उसके वास्तविक स्वरूप को समझना और अध्ययन करना हमारे लिए भी कम उपयोगी न होगा—इ० प्र० गोयल।

कारों के कुचले जाने पर अपनी आँखें चुपचाप बंद रख सकता है। सन् १६३८ की छठवीं अक्तूबर को जर्मनी के साथ म्यूनिक का जो समझौता किया गया था, उसके सम्बंध में पार्लिमेंट से पहिले कोई राय नहीं ली गई थी। बाद को इस सम्बंध में पार्लिमेंट में जो बहस हुई, उसमें मिस्टर विन्स्टन चर्चिल, श्री हेरल्ड मैकमिलन, मेजर मिलनर, मेजर एटली आदि कुछ अनुदार दल के प्रमुख नेताओं तक ने सरकार के इस व्यवहार की कड़ी अलोचना की। किंतु फिर भी पार्लिमेंट का इस प्रकार निरादर करने की जो हिम्मत सरकार को हो सकी थी वह केवल इसलिए कि जिस दल के बहुमत पर वह खड़ी है उस दल के सदस्य उसकी इन ज़्यादतियों पर आँख मूँदने को तैयार हैं।

दूसरा प्रमाण इस दल के मेम्बरों की ग़ैरज़िम्मेदारी का महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी ग़ैर हाज़िरी के आँकड़ों से भी मिल सकता है। अस्तु, उनमें इस प्रकार की ग़ैरजिम्मेदारियाँ क्योंकर पैदा हो सकीं, इसके कारणों पर विचार करने के पहले अच्छा यह होगा कि कुछ थोड़े से शब्दों में यह भी मालूम कर लिया जाय कि बृटिश जनता के लिए इस समय पार्लिमेंट जैसी संस्था का मूल्य क्या है।

इस समय केवल कुछ थोड़े से छोटे-मोटे अपवादों को छोड़ कर बृटिश प्रजावर्ग के प्रायः प्रत्येक बालिग़ मनुष्य को पार्लिमेंट के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यह सार्वजनिक मताधिकार यहाँ के लोगों को केवल उन्नीसवीं शताब्दी से ही प्राप्त हुआ है। सन् १८३२ ई० के पूर्व वोट देने का यह अधिकार वहाँ के दो या अढ़ाई लाख आदमियों को भी मुश्किल से प्राप्त था। किंतु आज यह क़रीब तीन करोड़ निवासियों को प्राप्त है।

सन् १८३२ ई० के सुधार-क़ानून से मतदाताओं की संख्या लगभग ४,५०,००० की गई थी। सन् १८६७ में यह संख्या दस लाख तक पहुँची, और सन् १८८४ में यह २०,००,००० तक हो गई।

पश्चात् सन् १६१८ में यह सिद्धांत रक्खा गया कि हर एक मनुष्य को एक वोट देने का अधिकार होगा और तीस वर्ष से ऊपर अवस्था वाली स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त रहेगा। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या इस समय २ करोड़ १० लाख तक पहुँच गई। अंत में सन् १६२६ ई० में स्त्रियों को भी पुरुषों ही की तरह अधिकार मिल गया, जिससे यह संख्या २ करोड़ ८८ लाख ५० हज़ार तक जा पहुँची। अब इस समय प्रत्येक बृटिश नागरिक को पार्लिमेन्ट के निर्वाचन में न केवल वोट देने का ही अधिकार है, वरन उसे मेम्बरी के लिए भी खड़े होने का पूरा हक़ हासिल है। धन या जायदाद इत्यादि रखने की जो शर्तें किसी ज़माने में मौजूद थीं वे अब एकबारगी उठा दी गयी हैं। अस्तु, अब हर एक आदमी, जिसके पास केवल डिपाज़िट भर जमा करने के लिए रक़म मौजूद हो, पार्लिमेन्ट की मेम्बरी का उम्मीदवार हो सकता है।

आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले बृटिश शासन का प्रायः सम्पूर्ण अधिकार उस देश के ज़मीन्दारों और ताल्लुकेदारों के ही हाथ में था। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ से कुछ थोड़ा-थोड़ा हिस्सा महाजन और व्यापारी वर्ग को भी इसमें दिया जाने लगा। उदाहरणार्थ, सन् १८१६ में हाउस आफ़ कामन्स के ६०० सदस्यों में से ५० सदस्य व्यापारी और महाजन थे। इस प्रकार प्रकट है कि सन् १८१७ में बृटिश द्वीप के अन्दर केवल ज़मींदारों और पूँजीपतियों की ही नंगी और निर्लज्ज हुकूमत मौजूद थी। देश के मुट्ठी भर अमीरों का ही समुदाय सम्पूर्ण समाज पर अपना शासन-चक्र अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के अनुसार चला रहा था। उसके मार्ग में यथेच्छ मनमानी करने के लिए यदि कुछ भी रूकावट इस समय थी तो वह केवल जनता के विद्रोह करने का ही थोड़ा बहुत भय था।

आगे चलकर जब निर्वाचन का अधिकार जनता को मिला तो उस समय भी कोई विशेष परिवर्तन इस अवस्था में एकबारगी नहीं हो

पाया। न पार्लिमेंट के निर्माण में ही कोई महत्वपूर्ण काया-पलट दिखाई दी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जनता में मताधिकार की वृद्धि के साथ-साथ तथा पार्लिमेन्ट की मेंबरी के लिए धन और जायदाद की क़ैद उठ जाने से अब राजनीतिज्ञों को, चाहे वह उदार दल के हों अथवा अनुदार दल के, अपना कार्यक्रम बनाने में जनता की माँगों का पहले से अधिक ध्यान रहने लगा।

बहुत समय तक इंगलैंड में केवल दो ही राजनैतिक दल काम करते थे:—(१) **लिबरल अर्थात् उदारदल**; और (२) **टोरी अर्थात् अनुदार दल**। इन्हीं दोनों दलों में से जनता को अपने प्रतिनिधि पार्लिमेंट के लिए चुनने पड़ते थे। यद्यपि ये दोनों दल वहाँ की ग़रीब जनता की दृष्टि में अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ण नीति से नित्य प्रेरित रहा करते थे, जिससे उनके विषय में यह कहा जा सकता था कि:—

जैसे लिबरल वैसे टोरी।
जैसे नाला वैसे मोरी॥

किंतु फिर भी इन दोनों दलों की पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता और लड़ाई प्रजा के हक़ में लाभदायक ही सिद्ध हुई, कारण कि दोनों ही के लिए जनता को अपने पक्ष में लाने और उसकी वोट को अपनाने की ज़रूरत रहती थी। अतएव दोनों ही को अपना ध्यान सार्वजनिक हित की ओर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

पश्चात् बीसवीं शताब्दी के आरंभ से मजदूर-दल भी मैदान में आगया। इसका निर्माण ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन की उस ज़बर्दस्त बाढ़ के कारण सम्भव हो सका, जो इंगलिस्तान के अन्दर उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में दिखाई दी थी। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि प्रजा के बहुत कुछ हाय-तोबा मचाने से कितने ही महत्वपूर्ण सुधार पुराने राजनैतिक दलों से भी प्राप्त किये जा चुके थे, तोभी अब लोगों को धीरे-धीरे यह बात विदित हो चली कि बिना किसी प्रजातंत्रात्मक ढंग पर राजनैतिक

दल का निर्माण हुए देश और जाति की सर्वांगीन उन्नति नहीं की जा सकती। निदान मज़दूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर जो क़ानूनी बाधाएँ उस समय वहाँ उपस्थित थीं और जिनके विषय में दोनों पुराने दलों के राजनीतिज्ञ टस से मस नहीं हो रहे थे, उसी सवाल को लेकर एक ज़बर्दस्त आन्दोलन खड़ा कर दिया गया और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मज़दूरों के एक स्थायी राजनैतिक दल का भी संगठन हो गया।

मज़दूर दल के राजनैतिक क्षेत्र में आते ही वोटों के लिए यकायक प्रतिद्वन्दिता भयंकर रूप से बढ़ गई। अनुदार दल को अब अपने ऊपर प्रजा की सहानुभूति बनाए रखने के लिये ऐसे-ऐसे सुधारों पर स्वीकृति देनी पड़ी, जिनका उन्नीसवीं शताब्दी में कहीं नाम तक नहीं सुनाई देता था। साथ ही सन् १९१३ से ले कर सन् १९३० तक में शिक्षा के विषय में सरकारी ख़र्च १,७०,००००० पौंड से बढ़ क़रीब पाँच करोड़ पौंड तक पहुंच गया। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग आदि अन्य लोकोपयोगी विषयों पर भी खर्च की अत्यधिक वृद्धि की गई, यह सारी उन्नति केवल इसलिए हो सकी कि प्रजा में से हर एक। व्यक्ति के हाथ में इस समय पार्लिमेन्ट के निर्वाचन का अधिकार मौजूद है। यदि आज यह अधिकार उनसे छीन कर केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों में सीमित कर दिया जाय, तो निश्चय है कि आज ही से इन लोकोपयोगी कामों में खर्च की कंजूसी की जाने लगे। इसी प्रकार मज़दूरों के संघटित होने और अपना स्वतंत्र ट्रेड युनियन बनाने की स्वाधीनता भी इसी जनतंत्रवाद का परिणाम है। बिना ऐसी ट्रेड यूनियनों के मज़दूरों की वह मजदूरी क़ायम नहीं रह सकती जो आज उन्हें मिल रही है।

किन्तु सन् १९३१ में बृटेन की शासन-नीति में एक गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी है, जो इसके पहले सौ वर्षों में भी कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। उदाहरणार्थ, मज़दूरों के शिर पर कर का बोझ अब अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जो पिछले सौ वर्ष की पहली घटना कही जा सकती है। इसी प्रकार खाद्यपदार्थों पर भी अब भारी

महसूल लाद दिया गया है, जिसका परिणाम ग़रीबों को ही भुगतना पड़ता है, और जो पिछले सौ वर्षों में कभी नहीं हुआ था। शिक्षा के विषय में हर एक व्यक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा का जो आदर्श सामने लाया जा रहा था, वह अब यकायक उठा कर ताक़ पर रख दिया गया है और अब माध्यमिक स्कूलों में फ़ीस लगाने की भी घोषणा कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भेद को खोलने तथा अराजकता को उभाड़ने के सम्बन्ध में जो नये-नये क़ानून (Official Secrets Act;* and Incitement to Disaffection Act) सन् १६३४ में पत्रकारों के विरुद्ध पास किये गये हैं तथा सार्वजनिक सभाओं और जलूसों पर जो नयी-नयी पाबन्दियाँ लगायी गयी हैं वे सभी बृटिश जनता के अनुभव में पिछले एक सौ वर्षों में आज पहली ही बार दिखाई दी हैं। अंग्रेज़ों की सार्वजनिक स्वाधीनता पर इतने दिनों से इस प्रकार की क़ैद कभी नहीं लगायी गयी थी।

किन्तु इस उलटी नीति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुदार दल के ऊपर है, जो सन् १६३१ से बृटिश राज्य का शासन-कार्य चला रहा है। अनुदार दल के वे सदस्य जो आज पार्लिमेंट के मेम्बर हैं यदि इसका समर्थन न करते तो सरकार यह उल्टा रास्ता कभी न पकड़ती। और यदि पकड़ती भी तो मंत्रिमंडल को तत्काल बदल देना या उसमें अपने नये आदमियों को नियुक्त करना उस दल के हाथ में था। वास्तव में सम्पूर्ण अनुदार दल की ही इसमें सहमति है। अस्तु, अब देखना यह होगा कि ये अनुदार दल के मेम्बर किस साँचे में ढले हैं और उनकी इस अनुदार नीति का वास्तविक रहस्य क्या है। बस, इसी उद्देश्य को लेकर यह पुस्तक लिखी गयी।

यहाँ हम सरकारी पक्ष के पार्लिमेंटी मेम्बरों के व्यक्तिगत विचारों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। बात यह है कि पार्लिमेंट का कोई

* जनता के विरोध के कारण इस कानून में अब कुछ सुधार कर दिया गया है।

भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि वह अपना निर्णय देने में अपनी नीति और अपने विचारों को संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम में लाता है। बहुत कुछ उसके विचार उन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ करते हैं, जिनके बीच में उसे नित्य रहना पड़ता है। इस बात को स्वयं एक अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य मिस्टर हेली हचिन्सन इस प्रकार स्वीकार करते हैं:—

"राजनैतिक पुरुषों का आज जैसा कुछ व्यवसाय चल रहा है उसका दोष उन्हें नहीं दिया जा सकता, वास्तव में उनके व्यवसाय के सच्चे स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए। राजनैतिक पुरुष वास्तव में किसी एक ऐसे पक्ष के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में आता है, जिसको कुछ अपने खास उद्देश या उद्देशों को ही पूरा करने की चिंता रहती है और जो उसे दूसरे पक्षवालों के साथ अपनी तरफ़ की बातचीत या मोलभाव करने वाला केवल वकील या दल्लाल समझता है ।....."

हमें यह याद रखना चाहिए कि पार्लिमेंट के सदस्य पहिले अपने-अपने पक्ष की ओर से नामज़द कर दिये जाते है और तब जनता उन्हें चुनती है। जनता को यदि किसी भी अनुदार दल वाले को चुनना है तो वह केवल इन्हीं नामज़द किये हुए व्यक्तियों को अपना वोट दे सकती है, दूसरे को नहीं। ये नामज़द व्यक्ति भी अनुदार दल की ओर से केवल इस लिए नामज़द किये जाते हैं, क्योंकि वे अनुदार दल के अधिक शक्तिपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। अतएव उनका हाथ इस शक्तिपूर्ण भाग का स्वार्थ-साधन करने के लिए हर प्रकार से बंधा सा रहता है।

अब वे लोग कौन हैं जो उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और उनके स्वार्थ क्या हैं ? यदि इन प्रश्नों का हम सही-सही जवाब लेवें

तो हमें उनकी ओर से पार्लिमेंट में बैठने वाले सदस्यों के भी आचरणों तथा व्यवहारों का सही एवं सच्चा ज्ञान हो जायगा। अस्तु, अनुदार दल वालों की सामाजिक रचना और स्थिति का ही अध्यन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, और इसी के लिए इस पुस्तक में आगे चेष्टा की जायगी। साथ ही इस दल के पार्लिमेंटी प्रतिनिधियों की लिखी हुई पुस्तकों में से भी कुछ अंश यथास्थान उद्धृत कियेजाँयगे, जिनसे उनके आन्तरिक विचारों का सच्चा और असली चित्र प्राप्त हो जायगा, कारण कि पार्लिमेंटी भाषणों में उनकी ज़बान उतनी खुली हुई नहीं रहती, जितनी कि उनकी पुस्तकों में, और इसलिए उनकी पुस्तकें ही उनके विचारों का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाली कही जा सकती हैं।

जनसत्तात्मक शासन का यथोचित रूप से क़ायम रहना प्रजा की उस योग्यता पर निर्भर है, जिसके द्वारा वह अपने पार्लिमेंटी सदस्यों को अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें संदेह नहीं कि बृटिश जनता के हाथ में यह शक्ति मौजूद है कि वह जिन लोगों के काम को नापसंद करे उन्हें भविष्य में पार्लिमेंट का मेम्बर न चुने। किंतु फिर भी एक औसत दर्जे को अंग्रेज़ को इस बात की अभिज्ञता नहीं होती कि उसकी पार्लिमेंट के अथवा हाउस आफ़ कामन्स के सदस्य कौन और कैसे हैं और उनका आचार-व्यवहार कैसा है। उसको जानकारी इस विषय में बिल्कुल ही न-कुछ सी रहा करती है।

इस समय पार्लिमेंट में कितने ही ऐसे अनुदार दल के सदस्य मौजूद हैं, जिन्हें वहां जनतंत्रवाद की दृष्टि से हर्गिज़ स्थान नहीं मिलना चाहिए था। अनुदार दल साधारणतः अपने को जनतंत्रवाद का पोषक बतलाता है और जनसत्तात्मक शासन का हिमायती होने का दावा करता है। किंतु फिर भी उसके हेड आफिस से पार्लिमेंट की मेम्बरी के लिए ऐसे-ऐसे उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं, जो इंग्लिस्तान में फ़ासिस्ट राज्य अर्थात् तानाशाही हुकूमत क़ायम करने के खुले

आम पक्षपाती बन रहे हैं। उदाहरणार्थ, २५ अप्रैल सन् १९३४ के डेली मेल नामक पत्र में सर टामस मोर का लिखा एक लेख निकला था, जिसका शीर्षक था—

"अनुदार दल में जो कुछ कमी है उसे पूरा करने की सामग्री काली कुर्ती वालों के (अर्थात् फ़ासिस्ट दल के) पास मौजूद है ।" इसी प्रकार १० अक्तूबर सन् १९३६ के मैन्चेस्टर गार्जियन (Manchester Guardian) में सर आर्नल्ड विल्सन ने लिखा था, **"मैं हिटलर से कितनी ही बार मिल चुका हूं। मेरा विश्वास है कि वह विश्व-शांति के लिए एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगा।"** ये दोनों ही व्यक्ति पार्लिमेंट के सदस्य है और अनुदार दल के एक बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक अन्य पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य इंगलिस्तान में प्रचलित मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षानीति के बड़े खिलाफ हैं। एक दूसरे सदस्य (Mr. Austin Hopkinson M. P.) बेकारों को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर अपना रोष दिखलाते हैं। इसी प्रकार और भी कितने ही ऐसे उद्धरण इन पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों के लेखों और ग्रंथों से दिये जा सकते हैं, जिनसे इनकी निर्लज्ज प्रतिक्रियात्मक नीति का भरपूर परिचय मिलता है। अब यह सोचने की बात है क्या ऐसे-ऐसे व्यक्तियों से भी बने हुए दल के हाथ में कभी जनतंत्रवाद सुरक्षित रह सकता है।

हम यह पहिले बता चुके हैं कि हर एक राजनैतिक दल के लिए अपनी ओर से पार्लिमेन्ट के उम्मीदवार नामज़द करना कितने बड़े महत्व का विषय है। आगे चल कर हम यह भी बतलावेंगे कि ये उम्मीदवार खड़े किस ढंग पर किये जाते हैं। किंतु हम यहाँ एक उदाहरण इस बात का दे देना चाहते हैं, जिससे यह मालूम होगा कि अनुदार दल अपने निर्वाचन-कार्य में जनतंत्रात्मक सिद्धांतों की कभी-कभी किस

प्रकार हत्या कर डालता है। अर्ल विंटर्टन सन् १६३८ में ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के एक सदस्य थे। उन्होंने सन् १६३२ में अपना पूर्व जीवन वृत्तांत लिखते हुए "महायुद्ध से पहले" शीर्षक देकर एक लेख में यह बतलाया है कि अनुदार दल की ओर से वह पहले-पहल उम्मीदवार किस प्रकार बनाये गये थे। वह लिखते हैं:—

"अक्टूबर सन् १६०४ के आरंभ में मैं युनिवर्सिटी के तीसरे साल का अध्ययन आरंभ करने के लिए आक्सफोर्ड गया। यहाँ बहुतों से मेरी दोस्ती हुई, खूब घुड़सवारी की गयी, जाड़े के दिनों में खूब शिकार खेला और गर्मी में खूब पोलो। किंतु मानसिक उन्नति के विचार से दुर्भाग्यवश मेरे ये दो वर्ष बिलकुल ही बेकार बीते, जिसका सारा दोष मुझपर ही है। अक्टूबर लगते ही होर्शम डिवीज़न की ओर से पार्लिमेंटी सदस्य मिस्टर हेउड जान्स्टन (Heywood Johnstone) की मृत्यु हो गयी और बुधवार १६ अक्टूबर को स्थानीय अनुदार दल के एसोसियेशन की निर्वाचक कमेटी ने उनकी जगह पर मुझे अनुदार दल का उम्मीदवार बना दिया। फिर लार्ड लेकन फील्ड की सहायता से मैं पार्लिमेंट का सदस्य चुन भी लिया गया। उस समय मेरी अवस्था एक्कीस वर्ष और छः मास की थी।"

अब यह एक्कीस साल का बालक अनुदार दल की ओर से क्यों खड़ा किया गया इस बात को भी जान लेना ज़रूरी है, कारण कि यही सिद्धांत वास्तव में तमाम दूसरे अनुदार सदस्यों के लिए भी लागू हुआ करते हैं। उसे पार्लिमेंट की मेम्बरी के योग्य केवल इसलिए समझा गया कि वह एक बहुत बड़े रईस और ताल्लुकेदार घराने का लड़का था। उसकी गिनती साधारण प्रजावर्ग में न थी, बल्कि उमरावों में थी। उसकी योग्यता की सब से बड़ी दलील उसकी सम्पत्ति ही थी।

सच पूँछिए तो यही कारण है कि अनुदार दल वालों में हम साधारण जनता के प्रति न केवल सहानुभूति का अभाव ही देखते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष घृणा और उपेक्षा की भी बहुत कुछ मात्रा मौजूद पाते हैं।

ऊपर हम जितने अनुदार दल के सदस्यों का उल्लेख कर आये हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे साधारण जनता का आदमी कहा जा सके।

इस समय हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी पक्ष के कुल सदस्यों की संख्या ४०० है। इनमें से अभी तक केवल दो ही चार का उल्लेख ऊपर किया गया है। किंतु इस दल का हाल-चाल वास्तविक रूप से समझने के लिए उन सबों का ही रंग-ढंग मालूम करना ज़रूरी होगा। आगे चलकर हम धीरे-धीरे इसे दिखलायेंगे। यहाँ केवल हम इन सदस्यों की अमीरी के ही कुछ थोड़े से सबूत पेश कर देना चाहते हैं

सन् १९३१ से लेकर सन् १९३८ तक में अनुदार दल के कुल ४३ पार्लिमेंटी सदस्य मर चुके हैं। इनमें से ३३ सदस्यों की सम्पत्ति और जायदाद के आँकड़े तो प्राप्त हो चुके हैं, किंतु शेष १० सदस्यों के अभी तक नहीं मिल सके। जो आँकड़े प्राप्त हो चुके हैं, वे इस प्रकार हैं :—

२ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००००० पौंड से भी अधिक छोड़ गया।

१२ पार्लिमेंटी सदस्य १,००००० पौंड से लेकर १०,००००० पौंड तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य ४०,००० पौंड से लेकर १०,०००० पौंड तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य २०,००० पौंड से लेकर ४०,००० पौंड तक छोड़ गया।

५ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००० पौंड से लेकर २०,००० पौंड तक छोड़ गया।

उपरोक्त लेखा अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की अमीरी का बहुत ही सच्चा नमूना है। इससे जान पड़ेगा कि अनुदार दल का एक बहुत

बड़ा भाग बेहद अमीर है। ३३ सदस्यों में से १४ सदस्य—अर्थात् करीब ४२%— एक लाख पौंड से भी अधिक सम्पत्ति छोड़ गये। इतनी सम्पत्ति सारी बृटिश जनता में केवल '१ प्रतिशत व्यक्तियों के पास है।

इन आँकड़ों से यह भी जान पड़ता है कि प्रायः हर एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य को सर्टैक्स (Surtax) ज़रूर अदा करना पड़ता होगा। अनेक मार्गों से होने वाली इनकी आमदनी प्रायः प्रत्येक अनुदार सदस्य को कम से कम दो हज़ार पौंड सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों की श्रेणी में ज़रूर पहुँचा देती है। किंतु अधिकांश क़रीब दस हज़ार पौंड तक की सालाना आमदनी पर इनकमटैक्स देते हैं; और जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, कुछ अनुदार सदस्य ऐसे भी हैं जो तीस हज़ार, चालीस हज़ार अथवा एक-एक लाख पौंड तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स अदा किया करते हैं।

केवल वे ही व्यक्ति (अनुदार) दल की ओर से पार्लिमेंट की उम्मीदवारी के लिए खड़े होने की आशा रख सकते हैं जो काफ़ी धनवान हैं। इस बात के एक नहीं, अनेकों प्रमाण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, स्वयं अनुदार दल की ओर से एक उम्मीदवार मिस्टर आयन हार्वे (Mr. Ian Harvey) ने ४ जनवरी सन् १९३९ को 'ईवनिंग स्टैन्डर्ड' नामक पत्र में इसी विषय की चर्चा करते हुए अनुदार दल के तमाम उम्मीदवारों को तीन श्रेणी में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं :—

(१) प्रथम श्रेणी में वे लोग रखे जा सकते हैं, जो चुनाव सम्बंधी अपना संपूर्ण व्यय (४००, पौंड से लेकर १२०० पौंड तक) स्वयं उठाने को तैयार हैं और साथ ही पाँच सौ पौंड से लेकर एक हज़ार पौंड तक अपने स्थानीय एसोसियेशन को चन्दा भी देते हैं।

इस श्रेणी के लोगों को अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट के लिए खड़े किये जाने की सब से अधिक आशा रहती है।

इस प्रकार के उम्मीदवार केवल वे ही लोग कहे जा सकते हैं जिनकी वार्षिक आमदनी दस हज़ार पौंड से ऊपर है।

(२) दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो चुनाव-सम्बंधी आधा खर्च बर्दाशत कर सकते हैं और एसोसियेशन को २५० पौंड से लेकर ४०० पौंड तक चन्दा दे सकते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को उम्मीद-वारी के हेतु लिये जाने की आशा केवल साधारण दर्जे तक की जा सकती है।

(३) तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो अपना चुनाव-सम्बंधी खर्च बिल्कुल नहीं उठा सकते और चन्दा भी केवल १०० पौंड या इससे कम दे सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए पार्लिमेंट की उम्मीदवारी की संभावना बहुत ही कम रहा करती है।

३० मार्च सन १९३९ को एक दूसरे लेख में यही मिस्टर हार्वे, जिनका उपर उल्लेख किया जा चुका है, इस सम्बंध में फिर लिखते हैं कि "प्रत्येक उम्मीदवार से सबसे पहिले अनुदार दल की ओर से जो सवाल किया जाता है वह केवल यही कि तुम्हारे पास धन कितना है।......"

अस्तु, इन सब बातों का निष्कर्ष केवल यह निकलता है कि जो लोग कम से कम २००० पौंड की आमदनी या इससे अधिक पर सर्टैक्स देने वाले नहीं हैं, उनके लिए अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट का सदस्य बन सकना बहुत ही कठिन है। जो सबसे उत्तम निर्वाचन-क्षेत्र समझे जाते हैं वे सदा उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा धनवान हैं, अर्थात् जिनकी सालाना आमदनी १०,००० पौंड से भी अधिक रहा करती है।

बृटिश द्वीप में कुल मिलाकर लगभग २ करोड़ १० लाख प्राणी ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की आमदनी रखते हैं। इनमें से

केवल एक ही लाख व्यक्ति (अर्थात् '५ प्रतिशत) ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी सालाना आमदनी दो हज़ार पौंड या इससे अधिक है। और जिनकी आमदनी दस हज़ार पौंड से भी अधिक है ऐसे लोगों की संख्या दस हज़ार से ज़्यादा नहीं कही जा सकती। क़रीब ८८ प्रतिशत मनुष्यों की सालाना आमदनी २५० पौंड से भी कम है।*

ये आँकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य समाज के उस अंग के कल-पुर्ज़े हैं, जिनका साधारण जनता के साथ किसी बात में भी मेल नहीं बैठ सकता। वे अमीरों और पूंजीपतियों की जाति-वाले हैं। अतएव उनमें अपनी जाति के हितसाधन और स्वार्थ-रक्षा की चिंता होना स्वाभाविक ही है। यह उनके दल का कोई दोष नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य राजनैतिक स्वभाव ही है। जैसा कि सर टामस अर्स्किन मे (Sir Thomes Erskine May) ने सन् १८७८ में लिखा था, आज भी उन्हीं के शब्दों में "**धन, रुतबा और मज़दूरों को ग़ुलाम बना रखने वाली शक्ति का पूर्ववत् बोल बाला है।**"

आगे के अध्यायों में हम अभी और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इस धन, रुतबा और मज़दूरों को ग़ुलाम बना रखने वाली शक्ति से अनुदार दल कहाँ तक ओत-प्रोत तथा नियंत्रित है। मज़दूर दल बस इसी शक्ति का मुक़ाबला करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। अतएव उसके निर्माण की आधार शिला इससे बिल्कुल ही विपरीत ढंग की दिखाई देती है।

———

* ग़रीब भारतीयों की आमदनी का इन लोगों की आमदनी से क्या मुक़ाबला किया जा सकता है! यहां तो अधिकांश प्राणियों को साल में एक मास भी भरपेट अन्न नहीं नसीब होता—ह० प्र० गोयल।

दूसरा अध्याय

व्यापारियों के हाथ में बृटिश राज्य का शासन

सन् १६३६ में प्रति रविवार को प्रकाशित होने वाले एक बृटिश पत्र में निम्न-लिखित पंक्तियाँ छपी थीं :—

"माननीय वाल्टर रन्सीमेन पहिले 'रायल मेल स्टीम पैकेट कं०, के डायरेक्टर थे। उनके पिता लार्ड रंसीमेन भी पाँच जहाज़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं और बृटिश स्टीमशिप ओनर्स एसोसियेशन (अर्थात् जहाज़ी मालिकों के संघ) में सदस्य हैं। साथ ही उनके पुत्र, वाल्टर लेस्ली रन्सीमेन भी लायड बैंक के अतिरिक्त चार जहाज़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं।"

"स्वयं उनके पास 'मूर लाइन लिमिटेड' (एक जहाजी कंपनी) के २१००० पौंड के शेयर हैं। तो भी बोर्ड आफ़ ट्रेड के प्रेसिडेन्ट की हैसियत से उन्हीं के हाथ में यह काम सौंपा गया है कि वे सरकार की ओर से हाउस आफ़ कामन्स में जहाज़ी व्यवसाय के लिए बीस लाख पौंड की सहायता का प्रस्ताव रक्खें और मंज़ूरी मिल जाने पर उसका प्रबंध भी स्वयं ही करें।"

न्याय का एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि "कोई व्यक्ति अपने पक्ष में स्वयं निर्णय नहीं कर सकता।" इस सर्व-स्वीकृत सिद्धांत की सरकारी राजनीतिज्ञों द्वारा किस प्रकार हत्या की जाती है इसका एक बहुत साधारण दृष्टांत ऊपर के उद्धरण में मौजूद है।

सभी अदालतों के जज और जूरी पर उपरोक्त सिधांत का पालन लाज़िमी समझा जाता है। प्राचीन रोमन-काल से उसका प्रयोग निरंतर होता आ रहा है। एक बार सन् १८५२ ई० में लार्ड चान्सलर काटनहम

ने अपना फैसला किसी ऐसी कंपनी के पक्ष में दे दिया था जिसके वह स्वयं हिस्सेदार थे। निदान उनका यह फैसला हाउस आफ़ लार्ड्स ने रद्द कर दिया।

किन्तु राज्य की सब से बड़ी न्याय-सभा पार्लिमेंट में इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल लार्ड रन्सीमैन के सम्बंध में दिया हुआ ऊपर का उदाहरण अकेला नहीं है। कोड़ियों ऐसे उदाहरण अन्य अनुदार सदस्यों के भी दिये जा सकते हैं, जिनमें उन्होंने अपने पक्ष का फ़ैसला स्वयं कर लिया है और क़ानूनन इसके वे हक़दार भी समझे जाते हैं।

अब उनके बाबत उपाय क्या है? कौन उन्हें इस सिद्धांत का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है? पार्लिमेंट से ऊँची कोई दूसरी अदालत तो देश में है ही नहीं। हाँ, जनता यदि चाहे तो उन्हें अवश्य रास्ते पर ला सकती है। एक जज यदि आज अपनी कंपनी के पक्ष में फ़ैसला देता है तो उसका वह फ़ैसला ऊँची अदालत से अवश्य रद्द कर दिया जायगा। किंतु यदि पार्लिमेंट अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई क़ानून बनाना तय करती है तो उसका हाथ रोकने वाला देश में कोई नहीं। एक मात्र इसका इलाज केवल उस जनता के हाथ में है जो उन्हें चुनकर पार्लिमेंट में भेजा करती है।

किसी जज के लिए अपने पक्ष में निर्णय करना इसलिए अनुचित समझा जाता है कि उमसे मुक़दमें के दूसरे फ़रीक़ पर ज़्यादती होती है। इसी प्रकार पार्लिमेंट के लिए भी अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने का निर्णय करना बिल्कुल अनुचित और निरंकुशता पूर्ण कार्य है, कारण कि उससे भी जनता के अन्य समूहों पर ज़्यादती हो सकती है। अस्तु पूर्वोक्त न्याय-सिद्धांत पर चलने के लिए पार्लिमेंट को मजबूर करना जनता के हक़ में उतना ही आवश्यक है जितना कि अदालतों द्वारा इस सिद्धात का पालन किया जाना।

एक प्रसिद्ध जर्मन क़ानूनी विशेषज्ञ इस सम्बंध में लिखता है :—

"जब कभी पार्लिमेंट का कोई सदस्य अपना सम्बंध बाहर की व्यापारिक दुनिया से रखता है, विशेष कर जब उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास फ़र्म से रहा करता है, तो यह निर्विवाद है कि उसके निजी स्वार्थों और उसके राजनैतिक कर्तव्यों की आपस में सदैव टक्कर होते रहने का भय उपस्थित रहेगा और जब-जब ऐसा समय आयेगा तो वह नित्य अपने स्वार्थों के ही पक्ष में फ़ैसला करेगा।"

यह केवल एक विद्वान की राय है। इसी प्रकार और भी अनेकों विद्वानों की राय इस विषय में उद्धृत की जा सकती है। सबों का निष्कर्ष केवल यह है कि पार्लिमेंट के मेम्बरों के लिए व्यापारी या व्यवसायी होना उनके राजनैतिक कर्तव्यों के पालन में बाधक है। एक कोयले की खदान का मालिक यदि कोयले की खदान सम्बंधी बिल पर बोलता है या राय देता है, अथवा यदि किसी जहाज का मालिक जहाज़-सम्बंधी बिल पर बोलता या राय देता है तो ऐसी दशा में दोनों ही अपने अपने पक्ष का स्वयं निर्णय करने के अपराधी हैं और इस सम्बंध का अलिखित क़ानून तोड़ रहे हैं। किंतु यह क़ानून केवल अपने व्यवसाय को सार्वजनिक पैसे से सहायता दिलाने से ही नहीं तोड़ा जाता, अपने वर्ग या समूह के लाभार्थ कार्यवाही करके भी यह तोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, सर्टैक्स अदा करने वाला एक रईस मेम्बर यदि सर्टैक्स की वृद्धि के विपक्ष में वोट देता है अथवा एक ज़मींदार म गुज़ारी बढ़ाने के विरुद्ध बोलता है तो उस अवस्था में भी उपरोक्त क़ानूनी सिद्धांत का अपहनन ही होता है, कारण कि इस प्रकार वह न केवल अपने ही स्वार्थ के पक्ष में फैसला करता है, बल्कि अपने उस छोटे से समूह के पक्ष में भी फैसला देता है, जिसकी संख्या संपूर्ण प्रजा में केवल एक प्रतिशत है।

प्रथम अध्याय में हम देख आये हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी मेंम्बरों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उन्हें साधारण प्रजा से

बिल्कुल अलग किये रहती है। अर्थात् वे साधारण नागरिकों की अपेक्षा अत्यधिक धनवान हैं। अब इस अध्याय में उनकी एक दूसरी विशेषता का दिग्दर्शन होगा। वह यह कि एक बहुत बड़ी संख्या में पार्लिमेंटी सदस्य व्यापारी दुनिया के महारथी और मजदूरों के मालिक हैं। कामन्स सभा के इस समय ४१५ सरकारी सदस्यों में से कम से कम १८१ अर्थात् क़रीब ४४ प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो कम्पनियों के डायरेक्टर और मज़दूरों के मालिक बने हुए हैं। पहिले इनकी संख्या इससे अधिक थी।

समस्त बृटिश जनता में यदि हिसाब लगा कर देखा जाय तो कुल कम्पनी-डायरेक्टरों की संख्या उसके ०·१% प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है। अस्तु, यह चित्र देखने ही योग्य है कि—

निर्वाचकों में तो कम्पनी-डायरेक्टर केवल ०·१% हैं, किंतु

अनुदार दल में कम्पनी-डायरेक्टर ४४ % हैं।

यह हिसाब भी वास्तविक स्थिति से कुछ कम ही करके दिखाया गया है, कारण कि इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की गणना नहीं की गयी है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए एक क़ानून है कि वे मंत्री-पद पर होते हुए कम्पनी-डायरेक्टर नहीं रह सकते। अस्तु, उतने समय के लिए उन्हें डायरेक्टर पद से अलग हो जाना पड़ता है, किंतु बाद में वे फिर डायरेक्टर बन सकते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाय तो मंत्रिमंडल के भी अधिकांश सदस्य किसी न किसी समय कम्पनी-डायरेक्टर ज़रूर रह चुके हैं। इन्हें शामिल करने से उपरोक्त ४४% का आंकड़ा और अधिक बढ़ जायगा। मंत्रियों को डायरेक्टर-पद से अलग रखने वाला यह क़ानून भी उसी सिद्धांत का पोषक है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, अर्थात् "किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में निर्णय करने का अधिकार नहीं।"

अधिकांश अनुदार सदस्य ऐसे हैं जो यद्यपि किसी कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं, किंतु हिस्सेदार बड़े ज़बर्दस्त हैं। फिर भी एक

भारी हिस्सेदार का महत्व भी डायरेक्टर से कम नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, जब सन् १६२६ मे इंगलैंड के कोयले की खानों का झगड़ा छिड़ा था उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री बाल्डविन साहब के पास बाल्डविन लिमिटेड नामक कोयले की एक बहुत बड़ी कंपनी के १,६४,५२६ साधारण शेयर और ३७,५६१ प्रिफ़रेन्स शेयर मौजूद थे। तब क्या वे अपने मामले में फ़ैसला करने के उसी प्रकार अपराधी नहीं कहे जा सकते, जिस प्रकार कि यदि वे उस कंपनी के डायरेक्टर, हुए होते तो कहे जा सकते?

ध्यान रहे कि व्यवहारिक दृष्टि से किसी कंपनी की नीति अथवा कार्यवाहियों पर उसके छोटे-छोटे हिस्सेदारों का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता। केवल बड़े ही हिस्सेदार उसे प्रभावित किया करते हैं। फिर भी हम यहाँ हिस्सेदारों को अपने ध्यान से अलग रख कर केवल कंपनी-डायरेक्टरों का ही ज़िक्र करेंगे, कारण कि हर एक सदस्य के विषय में यह पता लगाना प्रायः असंभव सा है कि किसके पास कितने हिस्से हैं।

पार्लिमेंट के अनुदार सदस्यों में से १८१ व्यक्तियों को कंपनी-डायरेक्टर का पद प्राप्त है और ये कुल मिला कर इस समय कम से कम ७७५ कंपनियों के डायरेक्टर हैं।। ब्यौरा नीचे की सूची में दिया जाता है :—

सरकारी सदस्यों में कंपनी-डायरेक्टर

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन कंपनियों की संख्या जिसमें वे डायरेक्टर थे
बैंक	१६	१८
जान बीमा	४३	४६
फाइनेंस कंपनी तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ...	२७	४२
रेल तथा हवाई जहाज़ ...	१८	३१
जहाज़	६	१६
रोड ट्रान्सपोर्ट तथा नहर ...	५	१०
मर्चेन्ट्स शिपिंग और फार्वर्डिंग एजेन्ट्स ...	११	२०
केबुल (cables), तार तथा बेतार का तार	१	१५
लोहा, इस्पात और कोयला	१७	२६
इंजीनियरिंग } (जिसमें शस्त्रास्त्र के काम और हवाई विद्या भी शामिल है)	४२	८०
शराब बनाना	११	२०
खाद्यपदार्थों का बनाना ...	६	१३
तम्बाकू बनाना	२	२
पेटेन्ट दवाएँ	३	२३
सूत और कपड़े के कारखाने ...	१६	३७
छपाई तथा काग़ज़ बनाना ...	८	१७
अन्य कारखाने	२६	४०
होटल और भोजनालय ...	१०	१६
फुटकर स्टोर	१२	१८
समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन ...	१७	२४
सिनेमा, थियेटर, कुत्तों की दौड़ कराना इत्यादि	१३	१५
बिजली-घर	७	४५

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन कम्पनियों की संख्या जिसमें वे डायरेक्टर हैं
गैस और पानी के कारखाने ...	१०	१२
मकान और इमारतों का निर्माण ...	१४	२६
ज़मीन जायदाद रखने वाली कंपनियाँ ...	२०	५२
तेल	७	६
सोने की खान का काम ...	१३	२५
दूसरे प्रकार की खानें ...	१२	१७
रबर के इलाक़े	३	१५
चाय तथा क़हवा	७	६
अन्य प्रकार	१६	२१
टोटल	१८१	७७५

इस प्रकार १८१ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य तो स्वयं ७७५ कम्पनियों के डायरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों ऐसे भी हैं जिनके कुटुम्बी-जन अथवा निकट-संबन्धी लोग किसी न किसी बड़ी व्यापारी कंपनी के डायरेक्टर या मालिक हैं। साथ ही उनके बहुत से घरवाले और नातेदार लोग इन कम्पनियों में नौकर भी हैं। अस्तु, प्रकट है कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्यों का एक बहुत बड़ा भाग देश की व्यापारिक संस्थाओं में अपना ज़बर्दस्त हाथ रखता है और उसका स्वार्थ इन संस्थाओं के स्वार्थ के साथ अत्यंत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्र की सम्पत्ति पर शासन करने वाला प्रायः सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय बैंक तथा जान बीमा कंपनी है। इनके जितने डायरेक्टर पार्लिमेंट में बैठते हैं वह संख्या भी ध्यान देने योग्य है।

सरकारी शासन पर ये बैंक अपने इन डायरेक्टरों द्वारा भले ही कोई प्रभाव न डालें, किंतु इनका प्रतिनिधित्व तो सीधा सरकार में मौजूद रहता ही है और सरकारी अर्थनीति तथा सरकारी खज़ाने के साथ भी इनका सीधा सम्पर्क हो जाता है। एक बार जब किसी मामले में सरकार और बैंकों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गया था तो विलायत के "फैनन्शियल टाइम्स' (Financial Times) नामक पत्र ने सरकारी मंत्री से सवाल करते हुए इस प्रकार लिखा था :—

"क्या मंत्री महोदय और उनके साथीगण इस बात को महसूस करते हैं कि पांच बड़े-बड़े बैंकों के क़रीब आधे दर्जन कर्णधार यदि चाहें तो परस्पर मिलकर 'ट्रेज़री बिल' को नया करने से इनकार कर दें और इस प्रकार सरकारी अर्थनीति के तमाम ताने-बाने को उलट-पुलट दें ?"

जिन पाँच मुख्य बैंकों का यहाँ उल्लेख है वे बृटिश राष्ट्र की प्रायः सारी सम्पत्ति पर अपना एकछत्र शासन रखते हैं। उनकी कुल पूँजी क़रीब २०,५०,००००० पौंड हैं; और जो रक़म उनके यहाँ करेन्ट डिपाज़िट (Current deposit) तथा अन्य विविध खातों में जमा है उसकी तादाद तो २ अरब, १ करोड़ पौंड से भी ऊपर पहुँच जाती है। समस्त बृटिश प्रजा की सम्पत्ति का यह एक बहुत बड़ा हिस्सा समझा जा सकता है। अस्तु इसमें संदेह नहीं कि, जैसा कि फैनेन्शियल टाइम्स का कहना है, ये बैंक यदि चाहें तो एक कमजोर सरकार की नींव को जड़ से हिला डालने की पूरी क्षमता रखते हैं।

बैंक के डायरेक्टर लोग साधारणतः किस श्रेणी के मनुष्यों में से हुआ करते हैं इसका परिचय उनकी उस संख्या से मिल सकता है जिसे सन् १९३१ से लेकर आजतक वर्तमान 'राष्ट्रीय सरकार' के प्रधान मंत्रियों द्वारा 'लार्ड' की उपाधि दिलवाइ जा चुकी है :—

बैंक आफ़ इंग्लैंड	२
बार्क्लेज़ बैंक	१

लयॉड बैंक	४
मिडलैंड बैंक	३
नैशनल प्राविन्शल बैंक	३
वेस्ट मिनिस्टर बैंक	२

ये बैंक देश के धन और व्यापार पर अपनी पूँजी के लिहाज़ से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हाथ रखते हैं। इनका अधिकार न केवल अपने हिस्सेदारों के ही धन पर रहता है, बल्कि करोड़ों अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भी रहा करता है।

यही कारण है कि कुछ प्रजातंत्रवादी देशों में बैंकरों के राजनैतिक आचरणों पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। उदाहरणार्थ ३० दिसम्बर सन् १९२८ को फ्रांस में एक क़ानून इसी प्रकार का बना था, जिसमें फ्रेंच पार्लिमेंट के मेम्बरों को अपनी मेम्बरी के समय तक किसी बैंक अथवा अन्य किसी महाजन-पेशा कंपनी के डायरेक्टर होने की मनाही करदी गई थी। इस क़ानून के पास होने में ५७५ वोट पक्ष में मिले थे और केवल ३ वोट विपक्ष में, जो इस बात को सिद्ध करता है कि जनता के विचार इस विषय में कितने ज़ोरदार थे।

इंग्लैंड में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ कोई भी पार्लिमेंट का सदस्य, बैंक का डायरेक्टर बन सकता है और कोई भी बैंक का डायरेक्टर पार्लिमेंट का सदस्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, इस समय भी एक डायरेक्टर बैंक आफ़ इंग्लैंड का, एक डायरेक्टर मिडलैंड बैंक का तथा दो डायरेक्टर नैशनल प्राविन्शल बैंक के पार्लिमेंट की मेम्बरी कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त पाँचो मुख्य बैंकों के अनेक डायरेक्टर ऐसे भी हैं, जो पार्लिमेंट के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। और कुछ तो मंत्रिमंडल तक के भूतपूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं।

उदाहरणार्थ, वाईकाउन्ट रन्सीमैन (Vicount Runci. man) जो सन १९२४ से १९३१ तक वेस्ट मिनिस्टर बैंक के

डायरेक्टर थे पार्लिमेंट में भी सन् १६२४ से सन् १६३७ तक मेम्बरी कर रहे थे। सन् १६३१ में वह मंत्रीमंडल में दाखिल हुए। अतएव उक्त डायरेक्टरी से उन्हें इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। सन् १६३७ में वह 'पीयर' (Peer) के पद पर चढ़ा दिये गये और वे फिर उसी बैंक के डायरेक्टर निर्वाचित हुए। अंत में १६३८ में जब वे पुनः मंत्रीमंडल में पहुंचे तब उन्हें फिर अपनी इस डायरेक्टरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा।

इसी प्रकार वाइकाउन्ट हार्न (Vicount Horne), जो इस समय लायड बैंक के डायरेक्टर हैं, सन् १६१६ में मज़दूर विभाग के मंत्री (Minister of Labour) थे, सन् १६२०-२१ में बोर्ड आफ़ ट्रेड के प्रेसिडेन्ट थे तथा सन् १६२१-२२ में चान्सलर आफ़ एक्सचिकर थे। ये सब पदाधिकार उन्हें स्वभावतः मंत्रिमंडल के सदस्य की ही हैसियत से मिले थे। इनके अतिरिक्त वह सन् १६१८ से १६३७ तक अनुदार दल की ओर से पार्लिमेन्ट के मेम्बर भी रह चुके हैं।

इसी प्रकार और भी कितने ही बैंक डाइरेक्टरों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। ये तमाम बड़े बड़े बैंक-डायरेक्टर अनुदार दल में तथा देश के शासन में भी समय समय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं।

इनके अतिरिक्त अनेकों बैंक-डायरेक्टरों तथा पार्लिमेंट के मेम्बरों में कौटुंबिक सम्बन्ध भी स्थापित है। उदाहरणार्थ, अनुदार पार्लिमेंटी मेम्बर, वाईकाउन्ट उल्मर (Vicount Wolmer M. P.) के पिता लायड बैंक के डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार लार्ड रिचार्ड कैवेनडिश (Lord Richard Cavendish) भी जो स्वयं किसी समय में पार्लिमेन्ट के सदस्य रह चुके हैं, इस समय दो अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों के श्वसुर होते हैं।

अभी तक जिन बैंक-डायरेक्टरों का उल्लेख किया गया है वे सब इंगलिस्तान के केवल पाँच सबसे बड़े बैंकों के ही डायरेक्टर थे। इनके अतिरिक्त लगभग ग्यारह और भी ऐसे बैंक हैं जिनके डायरेक्टर

पार्लिमेन्ट के मेम्बर हैं। इन सबों का अलग-अलग व्यौरा देने के लिए बहुत ज्यादा स्थान की ज़रूरत होगी। अतएव संक्षेप में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस समय कामन्स सभा (House of Commons) में सरकारी पक्ष के करीब सोलह मेम्बर ऐसे हैं जो भिन्न-भिन्न बैंकों के डायरेक्टर हैं। इनमें से जो लोग बड़े बैंकों के डायरेक्टर हैं वे देश के शासन में मुख्यरूप से भाग लेना अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं, और यही लोग अनुदार दल के नेताओं में भी समझे जाते हैं।

बीमा कंपनियों का भी महत्व आर्थिक जगत् में बैंकों से किसी प्रकार कम नहीं रहता। वे भी अपार धन-भंडार की स्वामिनी होती हैं और उनका सरकार पर बड़ा भारी ऋण रहता है। इस समय क़रीब ३५ करोड़ पौंड का सरकारी काग़ज़ केवल उनके ही अधिकार में है। यदि धन के विचार से मिलान करके प्रति लाख पौंड देखा जाय तो जान बीमा कंपनियो की आर्थिक शक्ति बैंकों की अपेक्षा भी अधिक रहती है, कारण कि उनके फंड का एक बहुत बड़ा भाग साधारण शेयरों और स्टाकों में लगा रहता है, जिससे उनका प्रभुत्व देश के वाणिज्य और व्यवसाय के एक बहुत बड़े अंश पर क़ायम हो जाता है।

वर्तमान सरकारी पक्ष में इनका प्राधान्य कितना ज़बर्दस्त रहा करता है इसका अन्दाज़ा केवल इसी से किया जा सकता है कि ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के अनेकानेक सदस्य किसी न किसी जान बीमा कंपनी से अवश्य सम्बंध रखते हैं और उसके भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। उदाहरणार्थ, लार्ड हेल्शम, अर्ल विंटरटन, सर सैमुअल होर आदि सभी मंत्री-गण जान बीमा कंपनियों के भूतपूर्व डायरेक्टर कहे जा सकते हैं। तारीख़ २७ अक्टूबर सन् १९३८ को विलायत के 'इवनिंग स्टैन्डर्ड' (Evening Standard) नामक पत्र ने लार्ड हेल्शम के मंत्रि-मंडल से अलग होने की संभावना पर टिप्पणी करते हुए लिखा था:—

"हमारा खयाल है कि अब वह बड़ी-बड़ी जान बीमा कंपनियों की कौन्सिल में घुसेंगे"।

इसके अतिरिक्त बैंकों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स और जान बीमा कंपनियों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स में भी बड़ा घना सम्बन्ध रहा करता है। एक के डायरेक्टर बहुधा दूसरे के भी डायरेक्टर बने दिखाई देते हैं। साथ ही लगभग २७ अनुदार पार्लिमेन्टी मेंबर ऐसे भी हैं जो क़रीब ४२ महाजन-पेशा कंपनियों (Finance Companies) में भी डायरेक्टर हैं। इनमें से कुछ कंपनियाँ तो इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूँजी तथा कारबार करोड़ों पौंड तक पहुँचती है।

पूर्व कथित पाँच मुख्य बृटिश बैंकों तथा कुछ सबसे बड़ी जान बीमा कंपनियों के बोर्ड में जो लोग सदस्य हैं उन्हीं में से अधिकांश लोग बृटिश द्वीप की मुख्य-मुख्य व्यवसायी कंपनियों के भी प्रधान बने हुए हैं। उदाहरणार्थ बैंक-डायरेक्टरों में से लार्ड पेरी (Lord Perry), जिन्हें विलायत की वर्तमान राष्ट्रीय गवर्नमेंन्ट की ओर से अभी हाल में लार्ड की उपाधि दी गई है, इस समय बृटेन में तथा अन्य नौ देशों में स्थापित फोर्ड मोटर कंपनी के भी चेयरमैन हैं। इसी प्रकार लार्ड स्टाम्प, लार्ड पेन्डर, लार्ड डेविस, लार्ड मेकगाउन (Lord McGowan, Chairman of Imperial Chemical Industries), लार्ड एसेन्डन आदि कितने ही व्यक्तियों के नाम गिनाये जा सकते हैं। ये सब लोग बैंकों के डायरेक्टर होने के साथ ही विलायत की बड़ी से बड़ी व्यापारी कंपनियों के भी चेयरमैन अथवा मैनजिंग डायरेक्टर हैं।

अस्तु, विलायत के बड़े-बड़े बैंकों की जो नीति स्थिर होती है वही वास्तव में वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी मंडल की सामूहिक नीति कही जा सकती है। बैंकों तथा अन्य बड़ी व्यापारी कंपनियों में किसी प्रकार का मतभेद अथवा स्वार्थों की टक्कर नहीं दिखाई देती, कारण कि दोनों ही का शासन-सूत्र वास्तव में एक ही व्यक्तियों के हाथ में है।

इस प्रकार बैंक तथा जान-बीमा कंपनियाँ विलायत के उस व्यवसायि-मंडल के साथ अभिन्नरूप से मिली हुई हैं, जो कि वहाँ के मज़दूरों का सबसे बड़ा मालिक-वर्ग कहा जा सकता है; और यही लोग अधिकतर अपने-अपने संघों (Employers Organisations) द्वारा व्यवसायिक नीति को निश्चित करने में भी पूरा हाथ रखते है। इस प्रकार के बड़े-बड़े संघों में से एक का नाम **"फ़ेडरेशन आफ़ बृटिश इन्डस्ट्रीज़"** है। यह संघ सन् १६१६ में स्थापित किया गया था और इस समय इसमें व्यक्तिगत रूप से लगभग २६०० व्यापारिक संस्थाएँ सदस्य हैं तथा करीब १८० व्यापारिक-मंडल इसमें सामूहिक रूप से भी शामिल हैं।

यह फेडरेशन समय-समय पर बृटिश समाज के लिए कई आवश्यक क़ानूनों के बनते समय पार्लिमेंट पर अपना प्रभाव साबित कर चुका है। सब से पहिले इसने सन् १६१८ के शिक्षा-सम्बंधी क़ानून तथा 'अतिरिक्त लाभ-कर' (Excess Profits Tax) के विरुद्ध आन्दोलन उठाया था। प्रत्यक्ष कर (direct taxation) की वृद्धि के विरुद्ध इसका विरोध सदा से देखा जाता रहा है।

प्रति वर्ष सरकारी बजट पेश होने के पहिले इसकी ओर से एक मेमोरेन्डम तैयार किया जाता है, जिसमें टैक्सों के सम्बंध में तथा दूसरे सुधारों के बाबत व्यापारी मंडल की क्या राय है इसका वर्णन रहता है। यह मेमोरेन्डम अर्थ-मंत्री (Chancellor of the Exchequer) के पास भेज दिया जाता है। पश्चात् इस के साथ सम्बंध रखने वाले तमाम पार्लिमेंटी सदस्य तथा उनके सहायक लोग बजट को उसी मेमोरेन्डम के अनुकूल तैयार करने के लिए सरकारी मंत्रियों पर अपना-अपना दबाव डाला करते हैं।

अभी हाल की बात है कि सरकार की ओर से पार्लिमेंट में एक बिल प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, जिसका मतलब यह था कि बृटिश सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च की आवश्यकता आ पड़ी

है उसका कुछ हिस्सा बड़े व्यापारियों पर टैक्स लगा कर वसूल किया जाय। इसपर उपरोक्त फेडरेशन ने अन्य कई व्यापारी-मंडलों के साथ मिलकर तारीख २७ मई सन १९३७ को यह प्रस्ताव पास किया कि जब तक उक्त सरकारी बिल में "भरपूर संशोधन" (drastic amendments) न किया जाय तब तक वह 'कर देने वालों को किसी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती।' अंत में सरकार को झुक जाना पड़ा और फेडरेशन की पूरी पूरी विजय हुई। बिल वापस ले लिया गया, और उसके स्थान पर जो नया बिल बाद में पेश हुआ उसमें फेडरेशन की इच्छानुसार ही तमाम बातों में संशोधन कर दिया गया था।

यह 'फेडरेशन' व्यवसाय मालिकों की केवल एक संस्था है। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रकार के व्यवसाइयों के और भी बहुत से अलग अलग संघ क़ायम हैं, जिनमें से अधिकांश के कोई न कोई कार्य कर्ता पार्लिमेंट में अनुदार-दल की ओर से सदस्य बने हुए हैं। नीचे इन पार्लिमेंटी सदस्यों के नाम सहित केवल कुछ थोड़े से उक्त संघों की एक सूची दी जा रही है, जिससे पाठकों को प्रत्यक्ष हो जायगा कि वर्तमान सरकारी अनुदार पक्ष में बड़े-बड़े व्यापारियों का कैसा प्रतिनिधित्व है :—

संघों के नाम	सन् १९३८ में सदस्यों के नाम जो पार्लिमेंट में अनुदार दल की ओर से बैठते हैं
१—फेडरेशन आफ़ बृटिश इन्डस्ट्रीज़ ...	सर पैट्रिक हैनन (वाइस प्रेसिडेन्ट)
२—नैशनल यूनियन आफ़ मैन्युफैक्चरर्स ...	सर पैट्रिक हैनन (प्रेसिडेन्ट)
३—नैशनल चेम्बर आफ़ ट्रेड ...	सर जार्ज मिट्केसन (Sir George Mitcheson) (वाइस प्रेसीडेन्ट)
४—एसोसियेशन आफ़ बृटिश चेम्बर आफ़ कामर्स	सर एलन एन्डर्सन—(भूतपूर्व सभापति)
	सर चार्ल्स गिब्सन—(डिप्टी प्रेसिडेन्ट)
	लेफ्ट० कर्नल राइट आनरेबुल जानकाल विल (अब आप स्काटलैंड के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट हैं) (भूतपूर्व आनरेरी वाइस प्रेसिडेन्ट)
	जे० एस० डाड (मंत्री)
५—फेडरेशन आफ़ चेम्बर्स आफ़ कामर्स आफ़ दि बृटिश इम्पायर ...	सर चार्ल्स गिब्सन—(कार्य-कारिणी समिति के सदस्य)
	सर पैट्रिक हैनन —(सन १९३० की कान्फरेंस के सभापति)
६—इन्टरनैशनल चेम्बर आफ़ कामर्स ...	सर एलन एन्डर्सन—(आनरेरी प्रेसिडेन्ट)
	सर चार्ल्स गिब्सन—(बृटिश कमेटी के मेम्बर)
७—बृटिश जूनियर चैम्बर आफ़ कामर्स ...	जे० एस० डाड—(सेन्ट्रल कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन)

तमाम व्यवसाय-संघों की सम्पूर्ण सूची देने में कई पृष्ठ भर जायँगे। इसलिए इतने ही में संतोष करते हैं। इसी प्रकार जागीरदारों के भी कई एक संघ ऐसे हैं, जिनके चुने-चुने कार्य-कर्ता लोग अनुदार सरकारी दल की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्लिमेंट में सरकारी अनुदार पक्ष का एक बड़ा ज़बर्दस्त हिस्सा बृटिश समाज के उस वर्ग से लिया गया है जो या तो ज़मीन और जायदाद का मालिक है अथवा अपने कारखानों में मजदूरों से काम लेता है। इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य निजी स्वार्थ केवल इस बात में है कि अधिक से अधिक अपनी आमदनी करने और डिवीडेन्ड बटोरने के लिए सरकार से किस प्रकार भांति भांति की सहूलियतें प्राप्त की जांय। मिस्टर मारिस हेली हचिन्सन (Mr. Maurice Hely Hutchinson, M. P.) ने स्वयं एक बार कहा था कि,

"धन का हेर फेर ही मेरा पेशा है। मैं जानता हूं कि यही समस्त व्यापार की जननी है, जिसका पिता मुनाफ़े का प्रेम है।"

यह उक्ति उपरोक्त वर्ग के तमाम अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों पर लागू कही जा सकती है, और चूंकि इस प्रकार के सदस्यों की ही सरकारी पक्ष में प्रधानता है, अतएव सरकार की नीति और आदर्शों पर भी इसकी गहरी छाप पड़े बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि सन १९२९ में 'डि-रेटिंग ऐक्ट' (De-rating Act, 1929) नामक क़ानून बनाया गया था। इस क़ानून के द्वारा व्यापारियों पर लगा हुआ रेट्स ७५% कर माफ़ कर दिया गया, जिससे सन् १९३० से लेकर सन् १९३७ तक में व्यापारियों की जेब के क़रीब १७ करोड़ पौंड बच गये। इस क़ानून की सारी ज़िम्मेदारी मिस्टर चेम्बरलेन पर ही थी, जो इस बात का एक दूसरा उदाहरण है कि अनुदार सरकारी दल किस प्रकार अपने पक्ष का फ़ैसला अपने ही हाथों से कर लिया करता है। ध्यान रहे कि अधिकांश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों

की भाँति मिस्टर चेम्बरलेन भी स्वयं बड़ी-बड़ी व्यापारी कंपनियों के हिस्सेदार हैं। उपरोक्त क़ानून के बनने से सरकारी आय में जो भारी घाटा हुआ उसकी पूर्ति के लिए दूसरे प्रकार के टैक्स ग़रीब जनता पर लाद दिये गये। अर्थात् ग़रीब जनता की गांठ कतर कर अमीर व्यापारियों के भरे हुए जेब को और अधिक भरा गया।

यही दशा सरकारी टैक्सों के सम्बंध में भी दिखाई देती है। सन् १९३१ से १९३६ तक अमीरों पर लगे हुए टैक्स की रक़म तो क़रीब-क़रीब एक ही सी बनी रही, किंतु ग़रीबों पर टैक्स की बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। प्रमाण स्वरूप सन् १९२९-३० में इनकम टैक्स और सर्टैक्स से होने वाली आमदनी की रक़म क़रीब २९ करोड़ ४० लाख पौंड थी, और सन् १९३५-३६ में भी यह रक़म केवल २८ करोड़ ९० लाख पौंड ही रही, किंतु इन्हीं वर्षों में सरकारी चुंगी की आमदनी १२ करोड़ पौंड से बढ़ कर १९ करोड़ ६० लाख पौंड तक पहुंच गई। कहना न होगा कि यह चुंगी की आमदनी का अधिकांश बोझ वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से सदा ग़रीबों के ही शिर पर लदता है।

इस प्रकार ग़रीबों की गांठ से दिन पर दिन अधिक पैसा निकालने की नीति का अवलम्बन सन् १९३१ से किया जा रहा है, जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी उस अनुदार सरकारी बहुमत पर है, जिसके अधिकांश सदस्य सर्टैक्स अदा करने वाले बेहद अमीर हैं। सन् १९३७ के बाद सैनिक तैयारियों के कारण खर्च बढ़ जाने से अवश्य ही सरकार को मजबूर हो कर अमीरों पर भी कुछ टैक्स बढ़ाने पड़ गये हैं, किंतु फिर भी यह नये टैक्स की रक़म उस रक़म के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं है जो अमीर व्यापारियों के समूह ने सैनिक तैयारियों के लिए नये-नये आर्डर सप्लाई करने में पैदा कर ली है।

टैक्स-सम्बंधी क़ानूनों का ग़रीबों और अमीरों की आपेक्षिक स्थिति पर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार समाज पर ऐसे कानूनों

का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, जिनके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन में सुधार किया जाता है। अस्तु, अब तक मज़दूर सम्बंधी कानूनों के विषय में व्यापारी मालिकों से भरी हुई इस सरकार ने क्या किया है यह प्रश्न ध्यान देने योग्य है। डाक्टर डब्लू० ए० राब्सन, जो कि इस सम्बंध में एक विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं, अपनी राय इस प्रकार देते हैं:—

"जहा तक मज़दूरों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रश्न है, तथा उनके काम करने के घंटों को निश्चित करने एवं उनके बच्चों को काम में लगाने का सवाल है, हम यह कह सकते हैं कि हमारा 'मज़दूर क़ानून' बिल्कुल मुर्दा हो गया है अथवा बहुत ही त्रुटिपूर्ण बन गया है, इस सम्बंध में हमारी क़ानूनी ऊँचाई पिछले तीस साल से बराबर नीचे ही की ओर गिरती जा रही है। उन्नीसवीं शताब्दी में जो कुछ हमने इस सम्बंध में कर दिखाया था उससे भी हम इस समय पीछे हट गये हैं और दूसरे देशों की अपेक्षा हम बहुत पिछड़े हुए दिखाई देते हैं।"

मज़दूरों के हितों की रक्षा का क़ानून स्वभावतः कारखाने के मालिकों की निरंकुशता पर एक प्रकार का बंधन सा सिद्ध होता है। यह मालिकों को अपने मज़दूरों से एक निश्चित समय से अधिक काम नहीं लेने देता, एक निश्चित उम्र से कम अवस्था वाले बच्चों को भी कुछ विशेष प्रकार के कामों में लगाने से रोकता है, तथा मज़दूरों की मज़दूरी भी एक निश्चित दर से कम नहीं देने देता। इस प्रकार देश के व्यवसाय पर जनतंत्र शासन का यह एक प्रकार से श्रीगणेश सा कहा जा सकता है। अतएव कारखाने वालों को स्वभावतः यह सब नापसंद होना ही चाहिए। उनकी समझ में ये सब मामले हर एक फ़ैक्टरी मालिक के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं तय करने के हैं। सरकार को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि समय के प्रवाह से ये लोग भी मज़दूरों के हक़ में इस समय कुछ थोड़ी बहुत क़ानूनी गुंजाइश करने को तैयार हैं, किंतु अधिक प्रतिबंध ये अपनी निरंकुश

शक्ति पर किसी प्रकार नहीं लगने देना चाहते। अस्तु, यही कारण है कि जिस समय प्रजातंत्रवादी फ्रांस में मजदूरों से अधिक से अधिक चालीस घंटे प्रति सप्ताह काम लिये जाने का क़ानून बना था, इंगलैंड में उस समय कितने ही प्रकार के कारखानों में ६०-६० घंटे तक काम लेने की प्रथा मौजूद थी।

इसी प्रकार मजदूरों के खेसारे से सम्बंध रखने वाले क़ानूनों (Laws for workmen's compensation) के विषय में भी बृटिश ट्रेड यूनियनों की शिकायत एक ज़माने से चली आ रही है। उसके अतिरिक्त अभी हाल में जातीय स्वास्थ्य बीमा (National Health Insurance) सम्बंधी क़ानून में कुछ सुधार करने के लिए विलायत के बृटिश मेडिकल एसोसियेशन ने कुछ सिफ़ारिशें की थीं, किन्तु मिल मालिकों को इससे अपने मजदूरों के वास्ते और अधिक खर्च करने पड़ते इसलिए उनकी अनुदार सरकार ने उन सिफ़ारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वास्तव में जब तक देश में जनसत्तात्मक शासन न क़ायम हो, तब तक वहां सार्वजनिक हित के कामों की कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। ग्लैड्स्टन (Gladstone) ने एक बार कहा था:—

"हम यह हर्गिज़ मानने को तैयार नहीं कि देश का कोई भी विशिष्ट वर्ग, जनता की इच्छा के विरुद्ध इस राष्ट्र के भाग्य का नियंत्रण करने का अधिकारी हो सकता है, चाहे वह वर्ग अमीरों का हो अथवा शरीफ़ों का अथवा किसी दूसरे प्रकार का हो।"

वास्तव में जनतंत्रवाद का यही सच्चा आदर्श है जो बृटिश अनुदार दल के राजनीतिज्ञों के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। इन राजनीतिज्ञों का तो एकमात्र आदर्श केवल अपने व्यापार को ही बढ़ाना तथा उसके द्वारा धन प्राप्त कर के अपनी शक्ति एवं अधिकार में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना है। जनतंत्रवादी भावों को भला ऐसों के पास कैसे स्थान मिल सकता है।

तीसरा अध्याय

गोला-बारूद के कारखाने वाले पार्लिमेंट के मेम्बर हैं

"लार्ड वेमिस (Lord Wemyss) को विश्वास था कि लड़ाई के असली पैदा करने वाले वे लोग हैं जो एक बहुत ही अलग स्थान में पाये जाते हैं। लड़ाई छिड़ने से वर्षों पहले उन्होंने युद्ध-सामग्री ट्रस्टों (Armament trusts) की घृणित कार्रवाइयों को देखा; उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये ट्रस्ट वाले पत्रकारों की मुट्ठी गरम करके भिन्न-भिन्न देशों के सार्वजनिक मत को प्रभावित किया करते हैं और फिर किस प्रकार राष्ट्रों के बीच वे सन्देहात्मक भावों को उत्पन्न करके आपस में द्रोह तथा शत्रुतापूर्ण वातावरण फैलाते हैं और फिर किस प्रकार अंतराष्ट्रीय झगड़ों को वे लोग उभाड़ दिया करते हैं।" (Biography of Lord Wester Wemyss, First Sea Lord, 1917-19).

जार्ज तृतीय के राज्यकाल में पार्लिमेंट से एक क़ानून पास हुआ था, जिसके अनुसार किसी सरकारी कन्ट्राक्टर (अर्थात् ठेकेदार) के लिए पार्लिमेंट में बैठना जुर्म बतलाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसा व्यक्ति यदि पार्लिमेंट का सदस्य बनेगा तो स्वभावतः उसके निजी स्वार्थों का उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ विरोध पड़ेगा; अतएव इसके लिए ऐसा अवसर आने ही न दिया जाय। वास्तव में यही अकेली एक ऐसी मिसाल है जिसमें पार्लिमेंट की ओर से उसके सदस्यों पर यह सिद्धांत लागू करने की चेष्टा की गयी है कि "कोई व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं अपने पक्ष में फैसला नहीं दे सकता।"

किंतु इस क़ानून में भी दुर्भाग्यवश कुछ त्रुटि बनी ही रह गयी, कारण कि यह सामूहिक रूप से काम करने वाली कम्पनियों पर लागू नहीं होता, जिससे सरकारी ठेका लेने वाली कंपनियों के हिस्सेदार और डायरेक्टर लोग बिना किसी रुकावट के पार्लिमेंट में बैठ सकते हैं। अस्तु, युद्ध सामग्री तैयार करने वाली कम्पनियों के भी हर एक हिस्सेदार और डायरेक्टरगण पार्लिमेंट की मेम्बरी करने के हक़दार समझे जाते हैं।

सन १९३६ के रायल कमीशन की एक सिफ़ारिश यह थी कि युद्ध-सामग्री बनाने वाली कम्पनी में कोई भी सरकारी अफ़सर, चाहे वह सरकारी नौकरी पर हो या नौकरी से अलग हो चुका हो, बिना उस विभाग के मंत्री की आज्ञा प्राप्त किये कोई नौकरी न कर सकेगा, जिसमें वह काम कर रहा हो। इस प्रकार की सिफ़ारिश का एक मुख्य कारण यह था कि सरकारी अफ़सरों को यदि किसी कम्पनी की ओर से एक भारी तनख्वाह पर नियुक्ति पाने की लालच मिल जाती थी तो वे संभवतः उस कंपनी पर अपनी अनुचित कृपा दिखला सकते थे। फिर भी ये सरकारी अफ़सर अपने विभाग के मुख्य अधिकारी के प्रति सदा उत्तरदायी रहा करते हैं। अतएव बिना किसी विशेष क़ानून के भी उनका यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार विभाग के अधिकारी द्वारा हर समय रोका जा सकता है। परन्तु पार्लिमेंटी सदस्य के ऊपर तो कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है। वह तो सरकार की युद्ध-व्यय सम्बन्धी संपूर्ण नीति को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए हर प्रकार की कुचेष्टाएँ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वह युद्ध-सामग्री के खर्च का एस्टिमेट (Estimate) बढ़वाने के लिए ज़ोर दे सकता है, जिसमें उसका निजी लाभ है, सैनिक ठेके में मनमाना लाभ कमाने के लिये सरकारी प्रबंध में ढील डलवा सकता है तथा सरकारी परराष्ट्रनीति की गति में भी इस प्रकार के प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे युद्ध-

सामग्री की मांग यकायक बढ़ जाय और उसको अपनी जेब भरने का मौक़ा मिले।

इसी कारण योरोप के अन्य कई देशों के शासन विधान में इस प्रकार के कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं जिससे युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के डायरेक्टर लोग वहां की पार्लिमेंट में नहीं जा सकते। चेकोस्लेवाकिया, पुर्त्तगाल, हंगरी, जुगोस्लाविया, पौलेंड, लैटविया तथा यूनान सभी के शासन विधान में इस प्रकार के नियम पाये जाते है। इंग्लेंड के लोकल ऐक्ट में भी इसी प्रकार का एक नियम मौजूद है, किंतु, कामन्स सभा के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं।

इस संबन्ध में पिछले महायुद्ध (सन १९१४) के छिड़ने से कुछ ही महीने पहिले एक लेखक ने अपनी राय इस प्रकार लिखी थी :—

"यदि आज कोई मंत्री अपनी भूमि का एक टुकड़ा उस सरकार के हाथ बेच दे जिसका वह पदाधिकारी है, तो चारों ओर निंदा की जीभ चटकने लग जाय।......किंतु लड़ाई के जहाज़, तोप, बंदूक, गोला-बारूद तथा अन्य तमाम सैनिक वस्तुओं की खरीदारी ऐसी कम्पनियों से करना जिनमें इन्हीं मंत्रियों के दोस्त, सहायक और रिश्तेदार लोग मैनेजर, डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बने हैं, वृटिश शासन-विधि का एक साधारण अंग दिखाई देता है।......यह बात बिल्कुल क़ानून के अंदर समझी जाती है कि इन कम्पनियों का कोई भी डायरेक्टर कामन्स सभा में बैठ कर उस व्यय में वृद्धि की मांग पेश करे जिसका कुछ हिस्सा उसके कारख़ाने को मिलता है। केवल क़ानून के अंदर ही नहीं, बल्कि यह देशभक्ति का एक प्रबल प्रमाण भी समझा जाता है कि किसी बड़े दल के नेता लोग देश में घबराहट का वह तूफ़ान पैदा करें, जिसके परिणाम में उनके साथियों के घर आमदनी की बरसात हो जाय।"

इसी प्रकार सन १९१४ की कामन्स सभा में इसी सम्बंध में बोलते हुए मिस्टर फिलिप स्नोडन ने भी कहा था :—

"अब, हिस्सेदार कौन लोग हैं ? इनकी पूरी सूची बतलाने में तो बहुत समय लग जायगा। केवल थोड़े से चुने हुए नाम दे देता हूँ। किंतु मैं देखता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्यगण ही इस सूची में अधिकतर मौजूद हैं। सच तो यह है कि ऐसा कोई पत्थर विरोधी बेंचों की तरफ़ फेंकना असंभव है जो किसी ऐसे सदस्य को लगे जो इन्हीं में से किसी न किसी फ़र्म का हिस्सेदार न हो।"

अब ज़रा देखिए कि सन १९१४ से वर्तमान अवस्था में क्या अंतर पड़ा है ? इस समय युद्ध सामग्री की मांग बढ़ने में जिन पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों का स्वार्थ है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम ये हैं :—

पार्लिमेंटी सदस्यों के नाम	युद्ध-सामग्री के कारखाने जिनके वह डायरेक्टर हैं
राइट आनरेबुल सर जान एन्डर्सन	वाइकर्स कं० (Vickers Co.) (मंत्रिमंडल में पहुंचने के समय तक)
राइट आनरेबुल एल० एस० एमरी	कैमेल लेयर्ड (Cammel Laird)
सर यूजीन रेम्सडेन	बी० एस० ए०
सर पैट्रिक हैनन	बी० एस० ए०

यह केवल कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कंपनी डायरेक्टरों के थोड़े से नाम हैं। हवाई जहाज़ सम्बंधी कंपनियों के जो लोग डायरेक्टर हैं ऐसे अनुदार सदस्यों की संख्या कम से कम २३ है। इनके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कंपनियों के भी डायरेक्टर पार्लिमेंट के सदस्य हैं, जिनका स्वार्थ युद्ध सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ, बहुत से इन्जीनियरिंग फ़र्म कुछ अंशों में अपने काम के लिए केवल सैनिक तैयारियों पर ही निर्भर हैं। इनके अतिरिक्त लोहे, कोयले, और फौलाद का काम करने वाले कारखाने भी इन्हीं के साथ

शामिल हैं। इन सबों की सूची उनके पार्लिमेंट में बैठने वाले डायरेक्टरों के साथ प्रथम अध्याय में दी जा चुकी है।

वाइकर्स कंपनी का कारखाना युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा समझा जाता है। इंगलैंड के अतिरिक्त स्पेन, जापान आदि दूसरे देशों में भी इसका बड़ा भारी कारबार फैला है। सन १९३१ और १९३२ में, जिस समय राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण की वास्तविक आशा की जा रही थी, इस कंपनी की आमदनी को काफी धक्का पहुंचा, जिसका रोना उसके चेयरमैन के मुंह से सन् १९३२ की वार्षिक जेनरल मीटिंग में इस प्रकार सुनाई देता था:—

"संसार भर में फैली हुई व्यापार की मंदी और सार्वजनिक मत के दबाव में पड़कर निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी होने वाली चर्चा दोनों ही ने मिल कर आपके व्यापार को बहुत अधिक धक्का पहुंचाया है।"

किंतु अब उन्हें निराश होना चाहिये। निःशस्त्रीकरण कान्फ्रेंस बिल्कुल असफल सिद्ध हुई और लीग आफ नेशन्स भी, जिसे उक्त चेयरमैन साहब घृणापूर्वक 'एक झक्की संस्था' तथा 'तमाशे की चीज़' कह कर पुकारते थे, अब एक कोने में डाल दी गई। साथ ही इंग्लैंड तथा अन्य कितने ही राष्ट्र एक दूसरे की शक्ति को आज़माने के लिए अब सैनिक तैयारियों की दौड़ में अपनी अपनी जान की बाजियां लगा रहे हैं।

सैनिक तैयारियों के सम्बन्ध में सरकारी खर्च जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे वाइकर्स कंपनी के डिवीडेन्ड की रकम भी तेजी के साथ बढ़ने लगी। सन १९३३ में यह डिवीडेन्ड ४% बांटा गया था, सन १९३५ में यह बढ़ कर ८% हो गया और फिर सन १९३६ तथा १९३७ में यह १०% हो गया।*

---

*अब तो युद्ध छिड़ गया है। इसलिए अब इसके मुनाफे का क्या कहना है। बीसो उँगली घी में है। —ह० प्र० गोयल

सन् १९३६ में शस्त्रास्त्रों की तैयारी एवं व्यापार के सम्बंध में जाँच करने के लिए जो शाही कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी एक बैठक में सर फ़िलिप गिब्स ने वाइकर्स कंपनी के सर हर्बर्ट लारेन्स साहब से प्रश्न किया था कि:—

"अब जापान में जो बड़ी ज़बर्दस्त नौसैनिक नीति आदि तयार की जा रही है उससे तो आप को ज़रूर कुछ वास्तविक लाभ होगा ?"

लारेन्स साहब ने जवाब दिया, "ज़रूर।"

वाइकर्स के समान कैमल लेयर्ड कं० (Cammel Laird & Co. Ltd.) के भी डिवीडेन्ड बृटिश सैनिक तैयारियों के समय से तेज़ी के साथ बढ़े, जैसा कि नीचे देखने से मालूम होगा:

सन	१९३३-३४	...	डिवीडेन्ड कुछ नहीं
,,	१९३५	...	३½%
,,	१९३६	...	५%
,,	१९३७	...	८½%

कैमल लेयर्ड एन्ड कं० जहाज तैयार करने का काम करती है और उसमें इन्जीनियरिंग का काम भी होता है। सन १९३४ में उसके चेयरमैन ने बृटिश नौ सेना विभाग के तैयारी सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि:—

"हमारी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए नौ सेना विभाग की अत्यंत आभारी है, जिसने उसे नष्ट होते होते नया जीवन दे दिया।"

बी० एस० ए० कंपनी भी विलायत की एक बड़ी शक्तिशाली कंपनी है। इसका पूरा नाम 'बर्मिंघम स्माल आर्म्स' (Birmigham Small Arms) है। यह फ़ौजी चीज़ें, खेल की चीज़ें, मशीन गन, वायुयान के पुर्ज़े, बाइसिकिल, मोटरकार इत्यादि अनेकों प्रकार के सामान तैयार करती है। पार्लिमेंट में इस समय इसके दो डायरेक्टर अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं। उनके अतिरिक्त मिस्टर चैम्बरलेन

भी पहिले इस कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये सब लोग अनुदार दल के शक्तिशाली

यह केवल कुछ इनी-गिनी सबसे ज़बर्दस्त कंपनियों की चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, २३ पार्लिमेंटी सदस्य हवाई जहाज़ सम्बंधी कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ केवल दो नाम लिख दिये जाते हैं: एल्विस लिमिटेड (Alvis Ltd.) हवाई जहाज़ के एंजिन तैयार किया करती है और सेना के लिए मशीन तथा सामान सप्लाई करती है। इसके एक डायरेक्टर मिस्टर एडगर ग्रेन्विल राष्ट्रीय उदार दल की ओर से पार्लिमेंट के सदस्य हैं। इसी प्रकार पेटर्स लिमिटेडे (Petters Ltd.) भी एक दूसरी हवाई जहाज़ बनाने वाली कं० की आधी सम्पति की हिस्सेदार है। इसके भी एक डायरेक्टर मिस्टर क्रेवेन एलिस पार्लिमेंट के मेम्बर हैं।

किंतु केवल हवाई जहाज़ और युद्ध-सामग्री तैयार करने वाली कंपनी ही नहीं, बीमा कंपनियाँ, फिनान्स कंपनियाँ, और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि भी सैनिक तैयारियों से और लड़ाई से बहुत कुछ आशाएँ रख सकती हैं। इनकी भी पार्लिमेंट में जैसी प्रधानता है वह पहले ही बतलाई जा चुकी है। हम यह नहीं कहते कि इस समय इंगलैंड की सैनिक तैयारिया। अथवा युद्ध का निश्चय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश से ही किया गया है। अवश्य ही परिस्थितियाँ भी इस समय कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, जिससे इस प्रकार का निश्चय आवश्यक था। फिर भी जहाँ सरकार-पक्ष के इतने अधिक सदस्यों का युद्ध से होने वाली आमदनी में अपना निजी स्वार्थ मौजूद हो, वहा उनके सम्बंध में लोगों के मन में संदेह उठना स्वाभाविक ही है।

चौथा अध्याय

पार्लिमेंट और पारिवारिक पूँजी

पिछली शताब्दी का पूँजीपति केवल अपने कुटुम्ब के एक छोटे से कारबार का प्रबंधक था, किंतु आज का पूँजीपति बड़े-बड़े ज़बर्दस्त व्यापार-संघों का डायरेक्टर है। कुछ अवस्थाओं में तो किसी एक व्यवसाय में केवल एक ही कंपनी का संपूर्ण बृटिश द्वीप पर प्रभुत्व है। उदाहरणार्थ इम्पीरियल केमिकल कंपनी ही को लीजिए; प्रायः सम्पूर्ण बृटिश रासायनिक द्रव्यों का व्यवसाय एक मात्र इसी कंपनी के हाथ में दिखाई देता है। बहुतेरी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने-अपने ढंग के व्यवसाय में संपूर्ण बृटिश साम्राज्य तक पर अपना अधिकार रखती हैं। उदाहरणार्थ "लिवर ब्रदर्स" तथा "यूनिलिवर" इस समय साबुन और मारग्रीन के व्यवसाय में प्रायः सम्पूर्ण बृटिश साम्राज्य को अपने पंजे में दबाये हुए हैं। अनेकों व्यवसायों पर कई एक फ़र्म आपस में मिलकर अपना आधिपत्य रखते हैं।

प्रोफेसर लेवी (Levy) इस सम्बंध में लिखते हैं :—

"पूँजीवाद के आरंभ से आज पहले-पहल यह देखने में आया है कि अंग्रेज़ी व्यापार के एक बहुत बड़े भाग पर एकाधिकारी (monopolist) संघों का दौर-दौरा हो रहा है।"

यह 'एकाधिकारी संघ' है क्या चीज़? देश में जब एक ही क़िस्म का व्यापार करने वाले बहुत से फ़र्म होते हैं तो उनमें आपस की लागडाँट लगी रहती है, जिससे माल का भाव अधिक बढ़ने नहीं पाता। किंतु ये सब फ़र्म आपस में मिल कर यदि लागडाँट बंद कर दें, तो माल का भाव आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अस्तु, भाव

बढ़ाने की इसी एक इच्छा के कारण व्यापार में एकाधिकार का विकास हो रहा है, कारण कि ऊँचे भाव का मतलब ही व्यापारियों के मुनाफ़े में अधिकता है।

माल बनाने वाला व्यापारी स्वभावतः अपने माल को अधिक से अधिक ऊँचे दाम पर बेचना चाहता है। इधर ग्राहक भी बढ़िया से बढ़िया माल को सस्ते से सस्ते भाव पर खरीदना चाहता है। अस्तु, जब तक व्यापारियों में आपस की लागडाँट बनी रहती है, तब तक कोई भी व्यापारी अपने माल का ज़्यादा दाम नहीं पा सकता, कारण कि उसके मुक़ाबले वाले व्यापारी उसके ग्राहकों को वही माल कम भाव पर देकर उन्हें अपनी ओर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किंतु यदि उस व्यापार में उसका एकाधिकार हो, अर्थात् केवल वही व्यापारी उस माल को बनाता और बेचता हो, दूसरा कोई न बेचता हो, तो फिर वह आसानी से माल का भाव बढ़ाकर यथेच्छ मुनाफ़ा कमा सकता है। यही कारण है कि आज अनेकों प्रकार के व्यवसाय में व्यापारियों ने अपना-अपना संगठन क़ायम कर लिया है। किंतु ग्राहक बेचारा अकेला और असहाय पड़ता है। इसलिए वही नुक़सान में रहता है।

जिन व्यापारों में इस समय बहुत से फ़र्म अलग अलग मौजूद हैं उनमें भी आपस के समझौते से माल की तैयारी को कम करके, बाज़ार के क्षेत्रों को परस्पर बाँट कर तथा भाव को निश्चित रखकर आपस की लाग-डाँट को दूर किया जा रहा है। उदाहरणार्थ लोहा, फौलाद और इंजीनियरिंग के व्यवसायों में आज इसी प्रकार के पारस्परिक समझौते से काम लिया जा रहा है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर टासिग (Prof. Taussig) के मतानुसार व्यवसायों में इस प्रकार के एकाधिकार का विकास किसी जनतंत्रवादी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। उस पर

सार्वजनिक नियंत्रण का होना ही आवश्यक है। किंतु सार्वजनिक नियंत्रण करने का एक मात्र साधन केवल धारा सभा है। केवल पार्लिमेंट ही व्यापारों के प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकती है। किंतु व्यापारियों ने उस पर स्वयं अपना सिक्का जमा रखा है। बड़े बड़े एकाधिकार रखने वाले व्यापारिक संघ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि क़ानूनों के द्वारा उनका एकाधिकार किसी समय भी तोड़ा जा सकता है। अतएव वे पार्लिमेंट पर अपना प्रभुत्व क़ायम रखने के लिए सदा सचेष्ट रहा करते हैं।

पिछले अध्यायों में यह दिखला आये हैं कि अनुदार पक्ष किस प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपति व्यापारियों से भरा हुआ है। माल पैदा करने में इनकी शक्ति जितनी अधिक बढ़ी हुई है उतनी ही अधिक संख्या में ये मज़दूरों के भी मालिक हैं। इनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ सफलता की मात्रा जनता की सेवा से नहीं, बल्कि मुनाफ़े की रक़म से आंकी जाती है।

यह मुनाफ़े की रक़म केवल माल बेचने वाली नीति पर ही अवलम्बित नहीं है, बल्कि मज़दूरों से काम लेने वाली नीति पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है। अस्तु, देश के शासन में अनुदार पक्ष के आधिपत्य का अर्थ यह है कि माल बनाने वाले व्यापारियों और माल खरीदने वाली जनता के बीच जो कुछ निपटारा किया जायगा, वह केवल व्यापारियों के ही स्वार्थी दृष्टिकोण से किया जायगा। इसी प्रकार मालिकों और मज़दूरों के मामलों में भी सदैव मालिकों के ही स्वार्थ का ध्यान रखा जायगा। मोटे तौर पर, वर्तमान बृटिश शासन-पद्धति का रूप यों कहा जा सकता है कि अनुदार शासक-दल तो बड़े-बड़े डिवीडेन्ड मारने वाले व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और शेष विरोधी दल जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं।

अधिकांश व्यापारिक एकाधिकार पर कोई भी क़ानूनी नियंत्रण नहीं है। केवल कुछ थोड़े से एकाधिकार अवश्य ऐसे हैं जो लोकोप-

योगी कहे जाते हैं और जिनपर कुछ क़ानूनी बन्धन लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे, बिजलीघर, गैस और पानी के कारख़ाने इसी प्रकार की एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक संस्थाएँ कहे जा सकते हैं। इन के कामों पर कुछ क़ानूनी नियंत्रण और सरकारी निगरानी अवश्य रहा करती है। यद्यपि यह नियंत्रण लोकोपयोगिता के नाम पर किया जाता है, किंतु ध्यान देने से जान पड़ेगा कि इसका भी असली कारण जनता के हित का विचार नहीं, बल्कि बड़े-बड़े व्यापारियों के ही हितों का ख्याल है। बात यह है कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा ख़र्च व्यापारी कंपनियों में भी होता है। उदाहरणार्थ, रेल को ही लीजिए। यह केवल यात्रियों की ही सुविधा के लिए नहीं काम देती, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा काम व्यापारियों का माल ढोना और पहुँचाना भी है। इसी प्रकार बिजली, गैस और पानी का उपयोग भी बड़े बड़े व्यापारी कारखानों के लिए बहुत ज़्यादा रहा करता है। अस्तु, यदि इन वस्तुओं का मूल्य या किराया बहुत ऊँचा हो जाय अथवा उनमें किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था पैदा हो जाय तो देश के तमाम व्यापारियों के स्वार्थ पर भी उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव इन पर क़ानूनी नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया।

फिर भी ध्यान रहे कि यह लोकोपयोगी कही जाने वाली व्यापारिक संस्थाएँ भी अन्य व्यापारिक कंपनियों की ही तरह संघटित हैं और वास्तव में उन्हीं की सगी बहनें हैं। इनका काम भी उसी प्रकार केवल अपने स्वार्थसाधन की इच्छा से हुआ करता है, जैसा अन्य कंपनियों का। इनके भी हिस्सेदार और डायरेक्टर लोग अधिक से अधिक डिवीडेन्ड कमाने के लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं, जैसे अन्य व्यापारी कंपनियों के। अस्तु, इनपर भी अनुदार सरकार की ओर से केवल उतनी ही निगरानी रखी जाती है, जितने से व्यापारी समुदाय के स्वार्थों की रक्षा तो हो सके किंतु इसके स्वार्थों को अधिक चोट न पहुंचे। तात्पर्य यह है कि इन संस्थाओं पर जो कुछ क़ानूनी नियंत्रण या

निगरानी रखी जाती है वह केवल बड़े-बड़े व्यापारियों के ही हित की दृष्टि से रखी जाती है। लोकोपयोगिता का विचार तो उसमें केवल प्रासंगिक रूप से ही वर्तमान रहता है।

साधारण बृटिश जनता की हित रक्षा का कहां तक विचार किया जाता है इसका एक परिचय बिजली के वर्तमान रेट की भिन्नता से ही मिल सकता है। यह रेट इस समय आधे पेनी (करीब आध आने) प्रति यूनिट से लेकर एक शिलिंग प्रति यूनिट तक वसूल किया जाता है। वास्तव में यदि इन लोकोपयोगी कही जाने वाली संस्थाओं पर जनता की सेवा के भाव से प्रेरित होकर निगरानी रखी जाती, तो आज यह जितना ज़बर्दस्त मुनाफ़ा कमा रही हैं वह उनके लिए हर्गिज़ संभव न होता। किंतु अनुदार सरकारी दल में इनका भी एक काफ़ी शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। कम से कम दस अनुदार सदस्य केवल पानी और गैस के ही कारखानों के डायरेक्टर हैं, जो इस समय पार्लिमेंट में बैठते हैं। अस्तु, ऐसी अवस्था में यह कैसे आशा की जा सकती है कि अनुदार सरकार इन लोगों का ख्याल छोड़ कर साधारण प्रजा के स्वार्थों की चिंता करेगी।

लोकोपयोगी व्यवसायों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे दूसरे व्यापार भी हैं, जिन पर बड़े-बड़े व्यवसाय-संघों ने अपना एकाधिकार (Monopoly) क़ायम कर लिया है और साथ ही हर प्रकार के क़ानूनी नियंत्रण से भी बरी हैं। उदाहरणार्थ "लिवर ब्रदर्स एन्ड यूनीलिवर लिमिटेड" कंपनी ने प्रायः समस्त बृटिश साम्राज्य का साबुन और मारग्रीन सम्बंधी कारबार अकेले अपनी मुट्ठी में कर रखा है और प्रायः ३०० भिन्न-भिन्न कंपनियों में भी अपना हाथ रखती है।

किंतु फिर भी कितने ही व्यवसायों में अभी तक एकाधिकार नहीं स्थापित हो सका, जिसका मुख्य कारण विदेशी माल का मुक़ाबला है। जब तक दूसरे देशों से आने वाले माल पर भारी महसूल बैठा कर कोई रोक न लगायी जाय, तब तक ये व्यापारी देश में अपना

एकाधिकार नहीं कायम कर सकते। अस्तु, यही कारण है कि इन बड़े-बड़े व्यापारियों की ओर से सरकारी आयात-कर बैठाने के लिए इतना अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। इस कार्य में इनको सफलता भी बहुत कुछ प्राप्त हो चुकी है, कारण कि अनुदार सरकार ने शासन भार सम्भालते ही सन् १९३१ से स्वतंत्र व्यापार (Free trade) की नीति को त्याग कर 'संरक्षण-नीति' (Policy of protection) को अख्तियार कर लिया है। क़रीब एक सौ वर्ष से यह स्वतंत्र व्यापार की नीति इंगलैंड में बराबर चली आ रही थी, किंतु अनुदार सरकार ने उपरोक्त व्यापारियों के प्रभाव में पड़ कर इसे तिलांजलि देदी और बाहरी माल पर संरक्षण-कर लगाना आरंभ कर दिया।* इसका अर्थ यह है कि बृटिश द्वीप में व्यापार के बड़े-बड़े महारथियों का एकाधिकार क़ायम करने के लिए जनता की जेब से बढ़े हुए मूल्य के रूप में अधिक धन बटोरा जा रहा है। करों का उद्देश अब व्यापार में एकाधिकार को कम करना नहीं, बल्कि प्रजा के व्यय से उनमें सहायता पहुंचाना है।

उपरोक्त एकाधिकारी व्यवसायों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे व्यवसाय भी हैं, जिनमें बड़े-बड़े व्यापारियों का यद्यपि अभी एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रभावशाली अधिकार अवश्य है। ये व्यापारी छोटे-छोटे व्यापारियों के भय से अपने माल का भाव बहुत ऊँचा नहीं बढ़ा सकते, किंतु फिर भी बाज़ार पर इतना अधिकार रखते हैं कि भाव गिरने नहीं पाता। संभव है आगे चल कर कुछ रोज़ में ये लोग भी अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करलें। इस प्रकार की कंपनियों में शराब बनाने वाले कारखाने, पेटेन्ट दवाओं

---

*किंतु यही सरकार भारतवर्ष में संरक्षण-नीति का विरोध करती है, कारण कि उससे बृटिश व्यापारियों के व्यापार को धक्का लगेगा।

—ह० प्र० गोयल

के कारखाने, पेटेन्ट भोजनों के कारखाने इत्यादि मुख्य कहे जा सकते हैं। पार्लिमेंट के कितने ही मेम्बर इनके डायरेक्टर हैं, अतएव इनका भी अनुदार सरकार पर कम प्रभाव नहीं।

सारांश यह है कि अनुदार पक्ष के तमाम राजनैतिक नेता उस वर्ग के मनुष्य हैं, जो देश भर की तमाम चीज़ों की तैयारी तथा लोकोपयोगी हर प्रकार की सेवाओं को अपने अधिकार में किये हैं, जिससे जनता एकबारगी परावलम्बी बन गयी है। सरकार अवश्य इस विषय में जनता की सहायता कर सकती है, किंतु वह भी इन्हीं राजनैतिक नेताओं के हाथ में है; अतएव उसका भी ध्यान सब से पहले इन्हीं के स्वार्थ-साधन की ओर जाता है। वर्तमान बृटिश सरकार ने अब तक जो कुछ कार्य किये हैं और जो कुछ नहीं किये हैं, उन सबसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि वह प्रजा के कल्याणार्थ अपने व्यापारी-वर्ग के स्वार्थों को कुचलने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं।

पाँचवाँ अध्याय

बृटिश साम्राज्य में अनुदार-दलवालों का स्वार्थ

"जब तक भारतीयों ने अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण बुद्धि के द्वारा स्वयं यह सिद्ध नहीं कर दिया कि पश्चिमीय ढंग की पार्लिमेंटी संस्थाएँ पूर्वीय देशों के लिए भी उपयुक्त हैं, तब तक भारतीय प्रश्नों के विचार के समय वे (अर्थात् पार्लिमेंट के सदस्य) जनतंत्रवादी अथवा पार्लिमेंटेरियन नहीं रह जाते थे।"—मिस्टर ए० टी० लेन्कस-बायड, अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य, कामन्स सभा में भाषण देते समय।

बृटिश पार्लिमेंट बृटिश साम्राज्य की भी पार्लिमेंट है। उसका निरंकुश अधिकार न केवल बृटिश द्वीप पर ही, वरन् बृटिश साम्राज्य के अधिकांश भाग में भी स्थापित है, जिसका कुल रक़वा क़रीब एक करोड़ बीस लाख वर्ग मील और आबादी ५० करोड़ के लगभग है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा बृटिश साम्राज्य के अंतर्गत समझा जाता है।

बृटिश हाउस आफ़ कामन्स के निर्वाचन का अधिकार केवल बृटिश द्वीप के ही निवासियों को प्राप्त है। इसी से कुछ लोगों (बृटिश निवासियों) की यह धारणा है कि उसका कार्य और शक्ति भी बृटिश द्वीप तक ही सीमित है।

वास्तव में बृटिश पार्लिमेंट इस समय जितने आदमियों पर हुकूमत कर रही है, उन्हें देखते हुए बृटिश निवासियों की संख्या केवल मुट्ठी भर जान पड़ती है। लेकिन चूँकि बृटिश पर्लिमेंट में केवल बृटिश द्वीप की ही जनता के प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, अतएव यह केवल इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के लिए जनसत्तात्मक संस्था कही जा

सकती है। तमाम बृटिश साम्राज्य की गोरी प्रजा की संख्या इस समय केवल सात करोड़ है। इनमें से लगभग ३ करोड़ व्यक्ति स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हैं, जहाँ इनकी अपनी अपनी अलग पार्लिमेंटें हैं। शेष ४३ करोड़ व्यक्ति बृटिश साम्राज्य शाही पार्लिमेंट की अधीनता में रहते हैं, जिसमें उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठता, जिसके निर्माण में वे कोई भी हाथ नहीं रखते और जिसकी नीति को बदलने के लिए उनके पास कोई क़ानूनी चारा भी नहीं है। इस बात को खूब अच्छी तरह ध्यान में रख कर तब उन बातों पर विचार करना चाहिए, जिन्हें हम इस अध्याय में आगे दे रहे हैं।

सरकारी उपनिवेशों * की प्रजा और बृटिश प्रजा की दशा में बड़ा भारी अंतर है। उदाहरणार्थ हाउस आफ कामन्स में यदि मज़दूरों के मालिकों का आधिपत्य हो जाय तो भी बृटिश मज़दूर पत्त बिलकुल निरुपाय नहीं कहा जा सकता, कारण कि वह भविष्य में निर्वाचन के समय इन मालिकों की जगह को छीन सकता है। इसके अतिरिक्त कामन्स सभा में उसकी ओर के अनेक प्रतिनिधि भी बैठते हैं जो उसके पत्त में भरपूर शक्ति से लड़ा करते हैं, यद्यपि यह सच है कि इस समय उनकी संख्या मज़दूर-मालिकों और ज़मींदारों की संख्या से बहुत दबी हुई है।

किंतु सरकारी उपनिवेशों में तो मज़दूरों की अवस्था अत्यंत दयनीय है। यहाँ के मज़दूरों के मालिक हर प्रकार से निडर और निरंकुश हैं। यहाँ उन्हें कोई भय इस बात का नहीं है कि जिन मज़दूरों से वे काम लेते हैं उनका कोई प्रतिनिधि पार्लिमेंट में बैठकर उनके

---

* नोट—सरकारी उपनिवेशों से यहाँ कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे स्वतंत्र उपनिवेशों का तात्पर्य नहीं है; केवल ऐसे भूभाग जो 'क्राउन कालोनी' प्रोटेक्टोरेट (Protectorate) अथवा 'मैन्डेटेड राज्य' (Mandated Territories) के नाम से प्रसिद्ध है और जो अंग्रेज़ी शासन के अधीन हैं सरकारी उपनिवेशों के अंतर्गत समझने चाहिए।

विरुद्ध बोलेगा। उधर बृटिश जनता के लिए भी ये उपनिवेश-निवासी इतनी दूर पड़ जाते हैं कि इन पर मनमाना अत्याचार करते हुए भी इन मज़दूरों के मालिक पार्लिमेंट के निर्वाचन में अपने या अपने दल-वालों के हराये जाने का कोई भय नहीं रखते।

अस्तु, अब इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत करने में वहाँ के निवासियों के प्रति बृटिश शासकों की नीति किन-किन बातों से प्रेरित हुआ करती है।

सबसे पहले हमें यह मालूम करना ज़रूरी होगा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में और सरकारी उपनिवेशों एवं भारतवर्ष में क्या अंतर है। स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के लोग अधिकतर उन लोगों की संतान हैं, जो किसी समय बृटिश द्वीप से वहाँ जाकर बस गये थे और जिनके साथ ही साथ बृटिश राजनैतिक संस्थाएँ भी वहाँ आरंभ से ही पहुँच चुकी थीं। एक मात्र न्यूफ़ाउंडलैंड को छोड़ कर, जिसका शासन-विधान बृटिश सरकार द्वारा छीन लिया गया है और जो बृटिश पूँजीपतियों के दबाव से अब सरकारी उपनिवेश की हैसियत में रख दिया गया है, शेष सभी स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के पास इस समय अपनी-अपनी स्वतंत्र पार्लिमेंटें मौजूद हैं। अस्तु, इन उपनिवेशों की गोरी प्रजा को तमाम राजनैतिक अधिकार वैसे ही पूर्णतया प्राप्त हैं जैसे अंग्रेज़ों को इंग्लैंड में प्राप्त हैं। बल्कि आस्ट्रेलिया में तो ये अधिकार अंग्रेज़ों के अधिकार से भी अधिक बढ़े हुए हैं। फिर भी स्मरण रहे कि ये अधिकार केवल वहां की गोरी प्रजा को ही प्राप्त हैं। मूल निवासियों के अधिकार वहाँ बिल्कुल सीमित हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संयुक्त-राज्य में भी यद्यपि काली प्रजा की संख्या अत्यधिक है किंतु उसको वहां कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का इंग्लैंड के साथ यद्यपि वैधानिक बंधन बिल्कुल कमज़ोर है (कारण कि उन्हें अपना सम्बंध इंगलैंड से

तोड़ कर स्वतंत्र हो जाने का अधिकार हर समय मौजूद है), फिर भी उनका आर्थिक सम्बंध बड़ा मजबूत दीखता है। इंग्लैंड के सरकारी पक्ष का उक्त उपनिवेशों के सरकारी पक्ष के साथ जो आर्थिक सम्बंध है वह महाजन और असामी का सम्बंध कहा जा सकता है, जैसा जे० ए० हाब्सन ने अपनी पुस्तक "साम्राज्य शाही" (Imperialism) में लिखा है : –

"इस समय जैसी परिस्थिति दिखाई देती है उसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में इस समय व्यवसायी पक्ष का एक ज़बर्दस्त संगठन मौजूद है, जो साम्राज्यशाही-सरकार को स्वतंत्र उपनिवेशों के अनुकूल अपनी नीति क़ायम रखने के लिए बराबर उकसाता रहता है। ये उपनिवेश, विशेष कर आस्ट्रेलिया के उपनिवेश, अपनी ज़मीन-जायदाद और तिजारत बहुत अधिक परिमाण में अंग्रेज़ी महाजन पेशा कंपनियों के पास गिरवी रख चुके हैं। उनकी खानें, उनके बैंक तथा दूसरे क़िस्म की अनेकों महत्वपूर्ण व्यापारी जायदाद अधिकांश में इस समय ग्रेट ब्रिटेन के ही हाथ में हैं। उनका बहुत सा सरकारी ऋण भी ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है। अतएव प्रत्यक्ष है कि बृटिश द्वीप में जिस वर्ग के मनुष्यों का इतना धन इन उपनिवेशी जायदादों में लगा हुआ है, उनका बहुत कुछ हित और अहित उन उपनिवेशों की राजनीति पर अवलम्बित है, जो कि बृटिश राजनीति से बिल्कुल भिन्न है और कभी-कभी उसके विरुद्ध दिशा में भी जाया करती है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बृटिश सरकार पर अपना काफ़ी संघटित दबाव डाल सकते हैं...।"

ब्रिटेन के बड़े-बड़े पूंजीपतियों का जो धन उपनिवेशों में लगा हुआ है उसी के बल पर वे उपनिवेशों के शासक दल के ऊपर अपना प्रभाव डाला करते हैं। यह प्रभाव मुख्यतः उन उपनिवेशों के धनी और शक्तिशाली समूहों के द्वारा ही पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाजन और आसामी का सम्बंध होने से बृटिश सरकार

को भी सीधे इन उपनिवेशी सरकारों पर अपना दबाव डालने का मौक़ा मिलता है।

बृटिश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का इन उपनिवेशों में स्वयं निजी स्वत्व बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। नीचे की सूची से मालूम होगा कि इन सदस्यों में से कितने लोग उपनिवेशी कंपनियों के डायरेक्टर हैं :—

पार्लिमेंट के सरकारी सदस्य और उपनिवेश

उपनिवेश	पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	कंपनियों की डायरेक्टरी
१– कनाडा	६	१२
२ आस्ट्रेलिया ...	११	१३
३– दक्षिणी अफ्रिका ...	१२	१५
४– न्यूज़ीलैंड ...	३	३

अनुदार पार्लिमेंटी मेम्बरों का इस प्रकार उपनिवेशों में व्यापारिक स्वत्व स्वयं ही एक काफ़ी महत्व की बात है। किंतु जिस समय हम उन तमाम बैंकों, बीमा कंपनियों तथा महाजन-पेशा संस्थाओं का भी विचार करते हैं, जिनका ज़बर्दस्त प्रतिनिधित्व हम कामन्स सभा में पहले देख आये हैं और जिनका स्वार्थ उपनिवेशों में न केवल उनकी सरकारी ऋण में लगी हुई पूँजी ही के द्वारा माना जा सकता है, बल्कि उन तमाम उपनिवेशी रेलों और कारखानों के द्वारा भी अंदाजा जा

सकता है जिनमें उनका स्वत्व है, तब हमें उपनिवेशों के साथ बृटिश पूँजी-पतियों के सम्बंध का असली परिचय मिलता है। जो राजनैतिक दल बृटेन में धन और सम्पत्ति का मालिक है वही स्वभावतः उस धन का प्रतिनिधित्व भी करता है जो बृटेन की ओर से उपनिवेशों तथा अन्य देशों में लगा हुआ है। इस समय बृटेन की जो पूँजी कनाडा और न्यूफ़ाउन्डलैंड में लगी है उसकी रक़म लगभग ४४ करोड़ ३० लाख पौंड है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड में भी उसकी क़रीब ६५ करोड़ १० लाख की रक़म लग चुकी है।

फिर भी बृटिश सरकार उपनिवेशी सरकारों पर अपना प्रभाव केवल कुछ ही हद तक डाल सकती है। अभी हाल में न्यूज़ीलैंड पार्लमेंट की निम्न-सभा का जो चुनाव किया गया था उसमें मज़दूर दल के बहुमत को अंग्रेज़ी अनुदार दल भरसक प्रयत्न करने पर भी न रोक सका। उपनिवेशी नीति को प्रभावित करने का एक तरीक़ा उन लोगों की सहायता से भी अख़्त्यार किया जाता है जिन्होंने उपनिवेशी कंपनियों तथा वहाँ की अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को ऋण दे रखा है। साथ ही उस राजनैतिक दल की सहानुभूति और सहायता का भी उन्हें बहुत कुछ भरोसा रहता है जो उपनिवेशों में बृटिश अनुदार दल की छाया पर संघटित किये गये हैं।

इस समय तमाम स्वराज्य भोगी उपनिवेशों में एक मात्र न्यूज़ीलैंड ही ऐसा है जिसकी सरकार में मज़दूर-दल का प्रभुत्व है। अतएव बृटिश पूँजी-पतियों को जब वहाँ कोई दाल गलती न दिखाई दी, तब उन्होंने वहाँ की मज़दूर सरकार को धमकी देना आरंभ किया कि अगर वह अपनी व्यापारिक नीति उनके अनुकूल न बनाये रखेगी तो वे भी ओटावा के समझौते (Ottawa Agreement) को रद्द करके अपना बदला चुकावेंगे।

भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेश

इस प्रकार बृटेन का शासक दल स्वराज्य-भोगी उपनिवेशों की सरकार पर अपना ज़ोर केवल बाहरी तरीक़ों से डाल सकता है। क़ानूनन उसे किसी प्रकार भी नहीं मजबूर कर सकता। परंतु भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेशों को तो वे क़ाननन और केवल अपनी आज्ञा से ही मजबूर कर सकते हैं। यहाँ उनकी पूरी हुकूमत जारी है और यहाँ के तमाम निवासियों के भाग्य का फ़ैसला केवल साम्राज्यशाही बृटिश पार्लिमेंट की निरंकुश इच्छा मात्र पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त एक ज़बर्दस्ती और भी है। वह यह कि जिस पार्लिमेंट में भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के निवासियों को बैठने का कोई हक़ नहीं दिया जाता, वहाँ भारतीय तथा उपनिवेशों की अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर आसानी से जा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर वे इन देशों के भाग्य का फैसला अपनी रुचि और अपने स्वार्थ के अनुकूल कराने के लिए हर प्रकार की क्रियाशीलता दिखला सकते हैं। वास्तव में वे भी केवल उसी पक्ष के कल पुर्जे हैं, जिसके हाथ में इस समय अंग्रेजी शासन है, और जिसकी मर्जी के बिना भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य ऊँचे अफ़सरों की न तो नियुक्ति की जा सकती है और न वे अपने स्थान से हटाये ही जा सकते हैं।

नीचे की सूची से मालूम हो जायगा कि भारतवर्ष तथा सरकारी उपनिवेशों में व्यापार करने वाली कितनी अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर इस समय बृटिश पार्लिमेंट में अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं :—

भारतवर्ष की अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर

इस समय बृटिश पार्लिमेंट के कम से कम १२ सदस्य १३ ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जो भारतवर्ष में बैंकिंग, बीमा, रबर, सोना, चाय, रेल, मैंगनीज़, सीमेंट आदि का व्यवसाय कर रही हैं।

सरकारी उपनिवेशों के कंपनी डायरेक्टर

इसी प्रकार मालय, गोल्ड कोस्ट, नायगेरिया, ट्रिनिडाड, रोडेशिया, कीनिया, टंगानायका, बेकुअन लैंड, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, यूगंडा, बृटिश गायना, फ़ाकलैंड, वर्मा, लंका, बोर्निंगो, पैलेस्टाइन नामक सरकारी उपनिवेशों में भी व्यापार करने वाली कम से कम २५ अंग्रेज़ी कंपनियों के डायरेक्टर पार्लिमेंट के १७ सदस्य हैं। फिर भी इसे यहाँ अंग्रेज़ी पूँजी-पतियों के स्वत्वों का केवल आंशिक दिग्दर्शन ही समझना चाहिए, कारण कि इसमें उन अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का विचार नहीं किया गया है, जो इन कम्पनियों में अपना स्वत्व बतौर हिस्सेदार के रखते हैं। साथ ही इसमें उन अंग्रेज़ी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों की भी गिनती नहीं की गयी, जिनकी बहुत बड़ी रक़म भारतवर्ष में तथा सरकारी उपनिवेशों में लगी हुई है और जिनका एक एक डायरेक्टर इस समय पार्लिमेंट में भी बैठता है। कुल पूँजी जो इस समय अंग्रेजों की केवल भारतवर्ष और लङ्का में लगी है क़रीब ४३ करोड़ ८० लाख पौंड बतलाई जाती है।

यहाँ एक बार हम फिर इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि अंग्रेजों का इन देशों के साथ हर एक सम्बंध केवल धन कमाने और कंपनी के डायरेक्टरों तथा हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफ़ा बटोरने की ही लालसा से स्थापित है और बृटिश पार्लिमेंट में साम्राज्य की ओर से यदि कुछ भी प्रतिनिधित्व पहुँचता है तो वह मुनाफ़े की चिंता में रहने वाले केवल इन्हीं कंपनी डायरेक्टरों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। एक अंग्रेज़ विद्वान के शब्दों में:—

"बृटिश-साम्राज्य-शाही के पिता माल उत्पन्न करने वाली, तैयार करने वाली, बेचने वाली तथा जहाजों में भर भर कर ले जाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर तथा ऐसी संस्थाओं के मैनेजर हैं जो राष्ट्र की इकट्ठा की हुई बचत की रक़म को अपने अधिकार में रखती हैं और उनको

मुनाफ़े के कामों में लगाया करती हैं। यही लोग मंत्रिमंडल के सदस्य तथा राष्ट्र के मुखिया तक बन सकते हैं।"

अस्तु, भारतवर्ष में तथा बृटिश साम्राज्य के अन्य भागों में जो इस समय जनतंत्रात्मक शासन का अभाव देखा जाता है उसे केवल उस ज़बर्दस्त शक्ति का परिणाम समझना चाहिए जो इन देशों में स्वार्थ रखने वाले अंग्रेज़ व्यापारियों के हाथ में दे दी गयी है।

निस्सन्देह भारत निवासियों को कुछ थोड़े से राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। बृटिश भारत के क़रीब १५ प्रतिशत मनुष्य इस समय वोट देने के अधिकारी समझे जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें अभी केवल प्रांतीय धारासभाओं के ही निर्वाचन का अधिकार मिला है। और यह अधिकार भी उन्हें सालों के आन्दोलन के पश्चात् प्राप्त हो सका है। इसमें संदेह नहीं कि ये अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, किंतु फिर भी ये जनतंत्रात्मक शासनाधिकारों से अभी कोसों दूर हैं। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट, जिसके विरोध में कट्टर अनुदार पार्लिमेंटी नेताओं ने अपनी जान लड़ा दी थी, भारतवर्ष को स्वराज देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। प्रमाणस्वरूप इसके द्वारा जो नवीन शासन विधान भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है, उस के सम्बंध में अपने अनुदार भाई बंधुओं को समझाते हुए सर सैमुअल होर ने बतलाया था कि:—

"भारतवर्ष में गवर्नर-जेनरल, प्रांतीय गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अब भी बृटिश सम्राट के ही द्वारा की जायगी। सुरक्षित सरकारी नौकरियों तथा संघशासन एवं प्रांतीय शासन के बड़े बड़े अफ़सरों की भर्ती एवं संरक्षण का काम भी अभी पार्लिमेंट के ही अधिकार में रहेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना, जो की देश की वास्तविक शक्ति है, अभी संपूर्ण रूप से बृटिश पार्लिमेंट के ही अधीन रहेगी। ये सारी बातें केवल काग़ज़ी नहीं है। शासन के अधिकारियों को इनके सम्बंध में बड़े ज़बर्दस्त अधिकार दे

दिये गये है और साथ ही उन अधिकारों को काम में लाने के लिए पूरे-पूरे साधन भी प्रयुक्त कर दिए गये हैं।"

फिर भी बृटिश पार्लिमेंट में अभी ऐसे अनुदार सदस्यों का बहुमत मौजूद है जिनका भारतीय कामनाओं के विरुद्ध, विशेषकर संघ शासन के मामले में हार्दिक द्वेष और असहिष्णुता से भरा हुआ व्यवहार इस देश (इंगलैंड) के नाम पर धब्बा लगाता है। उदाहरण के तौर पर मेजर-जेनरल सर अल्फ्रेड नॉक्स का निम्नलिखित वाक्य देखिए:-

"भारतवर्ष अभी जनतंत्र शासन के योग्य नहीं हुआ। साधारण भारतीय मतदाता अभी नागरिक अधिकारों के सम्बंध में केवल उतनी बुद्धि रखता है, जितना एक छः वर्ष का बालक।"

बृटिश सरकार पर जैसा दबाव डाला जाता है उसी के अनुसार प्रायः उसका रुख भी भारतीय माँगों की तरफ हुआ करता है। पार्लिमेंट में बैठने वाले दस अनुदार सदस्यों का भारत की अंग्रेज़ी कंपनियों में डायरेक्टर होना उस ज़बर्दस्त आर्थिक स्वार्थ के मुक़ाबले में बिल्कुल तुच्छ सा है, जो पार्लिमेंट में और पार्लिमेंट के बाहर मौजूद है और जो अनुदार दल की नीति को सदा प्रभावित किया करता है। ये आर्थिक स्वार्थ भारत में केवल अंग्रेज़ी हुकूमत के क़ायम रहने से ही क़ायम रह सकते हैं, और इनके साथ ही एक दूसरे क़िस्म का स्वार्थ भी मिला हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्लिमेंट में मौजूद है। नमूने के तौर पर एक समुदाय तो यहाँ की बृटिश सेना है, जिसका स्वार्थ भारत में निश्चित रूप से दिखाई देता है:--

"ये लोग निस्सन्देह अपने विश्वास में तथा अपनी नौकरी के स्वार्थवश भी बिल्कुल साम्राज्यवादी हैं, और जो कुछ भी वृद्धि यहाँ की स्थल-सेना जल-सेना एवं आकाश सेना में की जाती है वह बृटिश राजनैतिक शक्ति को भी उतना ही अधिक बढ़ा देती है। भारतवर्ष में बृटिश सत्ता के प्रसार का सबसे बड़ा कारण वस्तुतः यही रहा है।

इन्हीं सैनिकों के साथ उन (अंग्रेज़) अमीरो और बड़े-बड़े ज़मींदारों की भी जबर्दस्त सहानुभूति मिली हुई है, जो इस देश में अपने लड़कों के लिए ऊँची ऊँची नौकरियाँ दिलाना चाहते हैं।"—हाब्सन साहब।

एक दूसरा समुदाय जो बृटिश साम्राज्य को क़ायम रखने में अपना स्वार्थ मानता है भारतीय सिविल सर्विस वालों का है। हाब्सन साहब, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कहते हैं कि:—

"साम्राज्यशाही के पक्ष का समर्थन करने के लिए विशुद्ध आर्थिक प्रेरणाओं की एक पूरी पल्टन भी खड़ी दिखाई पड़ती है—तमाम नौकरी पेशेवालों और व्यवसाइयों की एक भारी बिखरी हुई जमात, जो कि सैनिक और राजनैतिक नौकरियों की वृद्धि में मोटी-मोटी तनख्वाह वाले ओहदों और लम्बे लम्बे मुनाफ़े वाले रोज़गारों की तलाश किया करती है और सैनिक आक्रमणों में अपने इन्हीं उद्देशों की पूर्ति के लिए नवीन क्षेत्रों के खुलने की आशा रखती है, जिनमें नयी पूँजी लगाने का अवसर मिले। इन सभी लोगों को आगे प्रेरित करने वाली तथा मार्ग दिखाने वाली केन्द्रीय शक्ति पूँजीपति की शक्ति है।"

सरकारी उपनिवेशों के पेन्शनयाफ़्ता अफ़सरों को बिना गवर्नर की लिखित स्वीकृति के उपनिवेशों में रोज़गार करने वाली किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने का अधिकार नहीं रहता। पेन्शन पाने के पश्चात् प्रथम तीन वर्ष तक तो साधारणतः यह आज्ञा नहीं दी जाती, किंतु तीन वर्ष बीत चुकने के बाद आम तौर से देखा जाता है कि उपनिवेशों के ये पेन्शनयाफ़्ता अफ़सर वहीं की कंपनियों में डायरेक्टर बन गये हैं और साथ ही अंग्रेज़ी हाउस आफ़ कामन्स में भी ये बहुधा सदस्य होते हुए पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में भी आई० सी० एस० के भूतपूर्व ऊँचे पदाधिकारी-गण तथा भारतीय सरकार में ऊँचे दर्जे पर काम करने वाले पेन्शन-याफ़्ता अफ़सर लोग बहुधा अंग्रेजी निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े हो कर पार्लिमेंट के मेम्बर हो जाया करते हैं। उदाहरणार्थ सर जान वार्डला

मिल्ने (Sir John Wardlaw Milne, Conservative M. P. in 1922) इस समय भारतवर्ष की कितनी ही रेलवे, बैंकिंग, तथा व्यवसायी कम्पनियों के डायरेक्टर बने हुए हैं, जिनमें बी० बी० ऐन्ड सी० आई रेलवे तथा बैंक आफ़ बाम्बे भी शामिल हैं। साथ ही वह पार्लिमेंट के सदस्य भी रह चुके हैं तथा भारतवर्ष में निम्नलिखित सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं :-

सदस्य	...	बाम्बे म्युनिसिपल कार्पोरेशन
सरकारी प्रतिनिधि	...	बाम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।
ट्रस्टी	...	बम्बई बन्दर।
चेयरमैन	...	बाम्बे चेम्बर आफ़ कामर्स।
ऐडिशनल मेम्बर	...	बम्बई की प्रांतीय धारासभा।
ऐडिशनल मेम्बर	...	गवर्नरल जेनरल आफ इन्डिया कौंसिल
प्रेसिडेन्ट	...	गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया की एडवाइज़री वार शिपिंग कमेटी।
लेफ़्टिनेन्ट कर्नल	...	इन्डियन डिफेन्स फ़ोर्स।

किंतु इस समय बृटिश सरकार को भारतवर्ष में जितना अधिकार प्राप्त है उससे कहीं अधिक ताकत उसे सरकारी उपनिवेशों में प्राप्त है। इन उपनिवेशों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल बीस लाख वर्ग मील तथा आबादी छः करोड़ के लगभग है। बृटिश साम्राज्य-शाही के समर्थकगण बहुधा कहा करते हैं कि हम इन छः करोड़ आदमियों को स्वराज, स्वतंत्रता एवं जनतंत्र-शासन के बृटिश आदर्शों की ओर ले जा रहे हैं। किंतु वास्तविक बात यदि देखी जाय तो इधर कितने ही वर्षों से एक भी उपनिवेश स्वराज की ओर नहीं बढ़ने दिया गया है।

प्रत्युत् माल्टा और साइप्रस के शासन-विधान तो बृटिश राष्ट्रीय सरकार ने छीन कर वापस ले लिये हैं। साथ ही लङ्का के शासन-विधान पर भी उसने आघात पहुँचाने की भरपूर चेष्टा की है। लङ्का का शासन-विधान जो कि इंगलिस्तान की मज़दूर सरकार द्वारा दिया गया था, इस समय तमाम सरकारी उपनिवेशों के शासन विधान में सब से अधिक दायित्वपूर्ण है, और कदाचित इसी से साम्राज्यशाही की आँखों में गड़ता भी है। कुल पचास सरकारी उपनिवेशों में से कम से कम पैंतालीस उपनिवेश ऐसे हैं, जिन्हें आज तक राजनैतिक अधिकार प्रदान का कोई काग़ज़ी दिखावा तक नहीं किया गया। इस समय भी साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे करोड़ों नागरिक पड़े हुए हैं जिनको अपने यहाँ के शासन में कोई भी मताधिकार नहीं मिला है। जे० ए० हाब्सन साहब ने सन् १६०२ में जो निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं, वे आज भी उसी प्रकार सही उतरती हैं:—

"जिस शासन के नीचे साम्राज्य में हमारे बहुसंख्यक प्रजा-भाइयों को रहना पड़ता है उसका स्वरूप बृटिश आदर्शों के बिल्कुल ही विपरीत है, कारण कि वह शासित वर्ग की अनुमति पर निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि सम्राजी अधिकारियों की निरङ्कुश इच्छा पर निर्धारित किया गया है। निस्सन्देह इसके रूपों में बहुत सी भिन्नताएँ मौजूद हैं, किन्तु सबों का मुख्य लक्ष्य एक ही है, अर्थात् प्रजा की स्वतन्त्रता का अपहरण।"

जिस समय पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन उपनिवेशों के कम्पनी डायरेक्टर लोग बैठते हैं, तो उन्हें देखकर जान स्टुअर्ट मिल के निम्नलिखित शब्द हमारे कानों में गूँजने लगते हैं :—

"किसी देश का शासन यदि वहीं के लोगों द्वारा हो तो वह एक वास्तविक सत्य है और उसके कुछ अर्थ जान पड़ते हैं। किंतु एक देश का शासन दूसरे देशवालों द्वारा किया जाना एक ऐसी बात है जो

न कभी होती है और न हो ही सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश वालों को अपने बाड़े का पशु अथवा जंगल का शिकार मान कर तो रख सकते हैं और उन्हें अपने धन कमाने का साधन बना कर एक ऐसा इन्सानी मवेशीखाना समझ सकते हैं जिसके आदमियों को अपने मुनाफ़े के लिए इस्तेमाल किया जाय, किंतु यदि शासन का वास्तविक अर्थ शासित-वर्ग का हितसाधन है तो यह बिल्कुल असंभव है कि दूसरे देश वाले इसके लिए कुछ भी ध्यान दें।

इस समय सरकारी पक्ष के बहुत से पार्लिमेंटी सदस्य बृटिश उपनिवेशों में जो स्थान प्राप्त किये हुए हैं उसी से पता चलता है कि साम्राज्य में शासन वर्ग का कितना अधिक स्वार्थ है। इसके लिए उदाहरण अनेकों दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ हम केवल दो ही तीन उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। नीचे तीन ऐसे उपनिवेशों का हाल दिया जाता है, जिनकी चर्चा इधर समाचार पत्रों में बहुत अधिक सुनाई देती रही है।

जून सन १९३७ में त्रिनिदाद में चीज़ों की महँगी के कारण तथा मज़दूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में कई कम्पनियों के इन्कार कर देने पर एक ज़बर्दस्त हड़ताल-आन्दोलन खड़ा हो गया था। परिणाम में एक भयंकर दंगा होगया जिसमें वहाँ के बहुत से निवासी तथा कुछ पुलीस वाले भी मरे और घायल हुए।

त्रिनिदाद की कुल बस्ती ४,५०,००० मनुष्यों की है; जिनमें से अधिकांश हब्शी तथा बहुत से भारतीय भी हैं। सन १९३६ में कुल बृटिश साम्राज्य के तेल का ६२·८% भाग केवल त्रिनिदाद से ही सप्लाई किया गया था। दूसरी उल्लेख योग्य पैदावार यहां चीनी की है। बृटिश पार्लिमेंट के तीन सरकारी सदस्य यहाँ के मुख्य मुख्य तेल के कारखानों के डायरेक्टर हैं, जिनमें सन १९३७ का डिवीडेन्ड ३०% से लेकर ४५% तक बाँटा गया था और जिनमें करोड़ों रुपये की पूँजी लगी हुई है। इन सदस्यों के नाम (१) मिस्टर एलन कार्लटन; (२) ब्रिगे

डियर-जेनरल सर विलियम अलेक्जेन्डर, तथा (३) सर अर्नल्ड ग्रिडले हैं।

उपरोक्त हड़ताल-सम्बंधी दंगा हो जाने के बाद उसकी चर्चा इंगलिस्तान के अखबारों में तथा पार्लिमेंट में भी की गई गयी। ६ जुलाई सन् १९३७ को त्रिनिदाद के सरकारी कोलोनियल सेक्रेटरी ने वहां की धारासभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मज़दूरों के प्रति कुछ सहानुभूति प्रकट की थी। इस पर मिस्टर कार्लटन ने पार्लिमेंट में सरकार का ध्यान दिलाते हुए कोलोनियल सेक्रेटरी के विचारों को अत्यंत "असाधारण" ('Extreme') बतलाया था। उसके दूसरे ही दिन तारीख २८ जुलाई सन १९३७ को दंगे की जांच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट सन् १९३७ के फरवरी मास में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भी उक्त कोलोनियल सेक्रेटरी के भाषण की कड़ी आलोचना की गयी। इस भाषण के जो अंश विशेष आपत्ति जनक समझे गये थे इस प्रकार थे :—

"अतीत काल में हमें अपनी कर्तव्य-बुद्धि को केवल पाखंड-भरी बातों से ही फुसलाना पड़ा है और मज़दूरों को भी कितनी ही बहाने बाज़ियों के द्वारा शांत रखना पड़ा है।".... .

"मैं अपनी इस राय को बहुत ज़ोर देकर बतलाना चाहता हूं कि किसी व्यवसाय में उसके हिस्सेदारों को डिविडेन्ड मिलने का उस समय तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके मज़दूरों को मज़दूरी मुनासिब तौर से न मिल जाय और उनके रहन-सहन में भी उचित ढंग का सुधार न कर दिया जाय।"

शाही कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें मज़दूरों की दशा का इस प्रकार ज़िक्र किया गया था :—

"संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशियों के साधारण स्वास्थ्य पर बहुत सी बातों का असर पड़ा करता है, अर्थात् रोग,

पौष्टिक भोजनों का अभाव, जगह की तंगी, खराब मकान इत्यादि किसी एक कारण को अकेले ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"

उपरोक्त अंग्रेज़ी कंपनियाँ इस स्थान से जितना गहरा मुनाफ़ा उठा रही हैं वह ऊपर बतला चुके हैं। फिर भी उनके मज़दूरों की इस समय जो दशा है वह भी ऊपर के उदाहरण से प्रकट है। उनकी यह करुणीय दशा एक ज़माने से चली आ रही है, किंतु आज तक किसी के कान में जूँ न रेंगी और यदि कदाचित् यह हड़ताल सम्बंधी दंगा न हुआ होता तो अब भी उसकी कोई चर्चा न सुनाई देता।

त्रिनिदाद का 'टट ऐन्ड लायल्स' ('Tate & Lyle's) नाम का चीनी का कारखाना भी दुनिया भर में सब से प्रसिद्ध समझा जाता है। साम्राज्य के व्यवसायिक साधनों से लाभ उठाने वाली सब से बड़ी कंपनियों में इसकी भी गणना है। इसके डायरेक्टर भी उसी प्रकार बृटिश अनुदार दल के कल पुर्ज़े हैं, जैसे अन्य कंपनियों के। इसके वर्तमान अध्यक्ष सर लेनार्ड लाइल के उत्तराधिकारी एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य के दामाद लगते हैं। अपने कारखाने के मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाने के विषय में आपका कहना है कि हब्शी मज़दूरों को और अधिक मज़दूरी नहीं दी जा सकती, कारण कि बृटिश मज़दूरों के मुक़ाबले में इनकी विचार-शक्ति बहुत नीचे दरजे की है। साथ ही वे मज़दूरों के आन्दोलन को केवल साम्यवादियों के भड़काने का परिणाम मानते हैं, जिसके उत्तर में 'टाइम्स' नामक पत्र में लार्ड आलिवर लिखते हैं कि "लाइल साहब कम से कम इतना तो आसानी से समझ सकते हैं कि सरभुख्ने लोगों के अधिक मज़दूरी के हेतु हाय-तोबा मचाने में बोल्शविज़्म की कोई खास ज़रूरत नहीं है।"

चीनी के इस कारखाने में मज़दूरी बढ़ाने के विरुद्ध एक दूसरी दलील यह दी जाती थी कि कंपनी को काफ़ी मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। इसके उत्तर में २० अगस्त सन् १६३८ के मेंचेस्टर गार्जियन

नामक पत्र में ई० एम० गाइन्डर्स (E. M. Ginders) का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था :-

"अगर कारखानों के मज़दूरों की आर्थिक दुर्दशा का एक मात्र कारण यही है कि उनके माल का भाव गिर गया है, तो जिन स्थानों में माल की बिक्री से बेहद मुनाफ़ा मिल रहा है वहां के मज़दूरों की दशा तो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है इसका प्रमाण त्रिनिदाद के मज़दूरों की दशा में ही मिल सकता है, जहां तेल की कम्पनियां अपने हिस्सेदारों को बेतहाशा मुनाफ़ा बांट रही हैं। सच बात, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह है कि किसी जगह की भी भूमि पर पूरी तौर से एकाधिकार स्थापित हो जाने से उन लोगों की दशा, जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, स्वभावतः केवल उसी दर्जे तक क़ायम रक्खी जाती है, जिसमें वे अपने प्राणों को शरीर में अटकाये रह सकें, चाहे फिर उस माल की पैदावार से जितना भी मुनाफ़ा हो जिसमें ये लोग काम करते हैं।"

अफ्रीका में अंग्रेजों के कुछ उपनिवेश सब से बड़े और मालदार हैं। इनमें से बहुतेरे पुरानी चार्टर प्राप्त कम्पनियों की जायदाद हैं जो बाद में बृटिश सरकार ने उनसे प्राप्त कर ली है। यद्यपि ये जायदाद कम्पनियों के हाथ में बृटिश सेना की ही सहायता से आयी थीं, फिर भी जब इनका शासन और राजनैतिक अधिकार बृटिश सरकार को सौंपा गया तो उसके बदले में इन कम्पनियों को बहुत बड़ी-बड़ी रक़में मुआविज़े के तौर पर दी गयीं। इन अंग्रेजी कम्पनियों ने अफ्रीका का मार्ग खुलने के समय से ही अपनी घनिष्ठता बृटिश पार्लिमेंट के साथ तथा दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के साथ खूब अच्छी तरह बढ़ा ली थी और इनके डायरेक्टर सदैव ऊँचे से ऊँचे ओहदे के अंग्रेज़ जमींदारों, भूतपूर्व मन्त्रियों तथा बड़े-बड़े पूँजी पतियों के ही मंडल से भर्त्ती किये जाते थे। इसी प्रकार जो लोग कम्पनी की नौकरी में खूब धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे और फिर कम्पनी के डायरेक्टर

बन जाते थे वे भी बृटिश पार्लिमेंट के अथवा दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के मेम्बर बन जाते थे।

इन अंग्रेजी कम्पनियों में से दो सब से बड़ी थीं, जिनके नाम थे (१) **डि बियर्स** (De Beers); तथा (२) **बृटिश साउथ अफ्रीका कंपनी**। डि बियर्स कंपनी दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खान का काम करती थी और बृटिश साउथ अफ्रीका कंपनी रोडेशिया (Rhodesia) में सोने की खान का काम करती थी।

'डि बियर्स' की स्थापना सन १८८८ ई० में तीन ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी थी जो उन्नीसवीं शताब्दी के सब से प्रसिद्ध पूँजी पति माने जाते थे और जिनके नाम थे (१) **सीसिल रोड्स** (Cecil Rhodes), (२) **बार्नें बार्नेटो** (Barney Barnato) तथा (३) **अल्फ्रेड बीट** (Alfred Beit)। दक्षिणी अफ्रीका के किम्बर्ली (Kimberly) प्रांत में पहले बहुत सी अंग्रेजी कंपनियां खानों से हीरा निकालने का काम कर रही थीं। किंतु सन १८८८ ई० में रोड्स साहब के प्रयत्नों से ये सब कंपनियां एक में मिला दी गयीं और इनका नाम **"डि बयर्स कान्सालिडेटेड माइन्स"** (De Bears Consolidated Mines) रक्खा गया। स्वयं रोड्स साहब उसके मैनेजर बने, जिससे वह एक शाही आमदनी के हकदार हो गये और इनकी शक्ति अब बेहद बढ़ गयी। दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट में अब उन्हें कम से कम चार आदमियों को अपनी मर्जी से ही सदस्य बना कर भेजने का हक प्राप्त हो गया।

१२ मई सन १८८८ को इस सम्मिलित कंपनी के तमाम हिस्सेदारों की जो एक साधारण मीटिंग हुई थी उसमें रोड्स साहब ने इस के विषय में कहा था कि :--

"इस कंपनी की सम्पत्ति का मूल्य समस्त 'गुडहोप' अंतरीप के उपनिवेश की सम्पत्ति के बराबर है। अब हम एक ऐसे व्यवसाय के

मालिक हो गये हैं, जिसने गवर्नमेंट के अंदर एक दूसरी गवर्नमेंट स्थापित कर दी है।"

इस कंपनी की वर्तमान पूंजी साढ़े चार लाख पौंड से भी ऊपर है, और इसका मुनाफ़ा सन १९२३ तथा सन् १९२९ के बीच में २०% से लेकर ६०% तक बाँटा गया था। सन १९२९ से १९३६ तक कोई मुनाफ़ा नहीं बँटा, किंतु सन १९३७ में फिर ३०% बाँटा गया। रोड्स साहब के दूसरे हिस्सेदार बार्नी बार्नेटो के उत्तराधिकारी उनके तीन भतीजे थे, जिनमें से सब से छोटा जैक बार्नेटो जोल (Jack Barnato Joel) अभी जीवित हैं और उनका एक लड़का ब्रिटिश पार्लिमेंट का अनुदार पक्ष की ओर से मेम्बर भी है। इस कुटुम्ब के केवल तीन ही आदमी इस समय कम से कम पैंतालीस कंपनियों के डायरेक्टर हैं जो दक्षिणी अफ्रीका में सोने, हीरे और ताम्बे की खानों का काम कर रही हैं, और जिनकी कुल पूंजी ४ करोड़ ३० लाख पौंड से भी ऊपर पहुंचती है। रोड्स साहब के तीसरे हिस्सेदार अल्फ्रेड बीट अविवाहित अवस्था में मरे थे और क़रीब एक करोड़ पौंड की सम्पत्ति छोड़ गये थे। उनके भतीजे सर अल्फ्रेड बीट इस समय अनुदार दल की ओर से ब्रिटिश पार्लिमेंट के मेम्बर हैं और ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी से विशेष सम्बंध रखते हैं।

'डि बियर्स' के वर्तमान चेयरमैन सर अर्नेस्ट ओपेनहीमर (Sir Ernest Oppenheimer) हैं, जो इस समय ३६ कंपनियों के डायरेक्टर हैं। ये कंपनियां दक्षिणी अफ्रीका में हीरा, सोना और ताम्बे की खानों का कारबार करती हैं। हीमर साहब के भी एक साहब ब्रिटिश पार्लिमेंट में अनुदार पक्ष की ओर से सदस्य हैं, और स्वयं हीमर साहब दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के सदस्य हैं।

यहां तक तो 'डि बियर्स' का वर्णन हुआ। अब ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी का भी हाल संक्षेप में सुन लीजिए। इसकी स्थापना भी उन्हीं त्रिमूर्तियों द्वारा की गयी थी जिन्होंने 'डि बियर्स' को स्थापित

किया था। किंतु इसके विषय में सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए पार्लिमेंट पर भी प्रभाव डाला गया था और कुछ ऐसे उपायों का सहारा लिया गया था, जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। आयरलेंड में उन दिनों मिस्टर पार्नेल के नेतृत्व में होमरूल का आन्दोलन चल रहा था। अतएव पार्लिमेंट के राष्ट्रीय आयरिश सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए रोड्स साहब ने उनके होमरूल फ़ंड में १०,००० पौंड की चेक बतौर चन्दे के दे डाली और अनुदार सरकार ने भी उसे चुपचाप सहन कर लिया। निदान सन १८८९ में बृटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के लिए एक रायल चार्टर प्राप्त हो गया जिससे उसे रोडेशिया प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में अपना पूरा पैर फैलाने का संपूर्ण अधिकार मिल गया।

इस समय इस कम्पनी का कारबार तमाम रोडेशिया में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी प्रदेश का क्षेत्रफल १,४८००० वर्ग मील है और दक्षिणी प्रदेश का क्षेत्र फल २,९१००० वर्ग मील है। इस सम्पूर्ण भूमि पर उक्त कम्पनी को बृटिश चार्टर के अनुसार अपना एकछत्र राज्य करने का अधिकार मिला हुआ था। किन्तु सन १९२३ के १२ सितम्बर को दक्षिणी प्रदेश उसके हाथ से ले लिया गया और उसे बृटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश घोषित कर दिया गया। पश्चात् ३१ मार्च सन १९२४ को उत्तरीय प्रदेश पर से भी कम्पनी ने अपना शासनाधिकार हटा लिया और वह बृटिश सरकार को सौंप दिया गया।

किंतु इसके बदले में कंपनी को बृटिश सरकार से ३७,५०,००० पौंड नक़द मिले और साथ ही उसे वहां अपने सोने की खानों का कारबार पूर्ववत जारी रखने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश भर में उसकी जहां-जहां रेलवे लाइनें फैली हुई हैं उनके सम्बंध में भी उसके कुल अधिकार सुरक्षित कर दिये गये हैं। यही नहीं,

उत्तर-पश्चिमी रोडेशिया में जो भूमि सन् १९६४ ई० तक बेची जायगी उसके मूल्य में भी इस कंपनी का आधा हिस्सा रहेगा।

इस समय कंपनी के पास लगभग ३५ लाख एकड़ भूमि रोडेशिया तथा बेचुआनालैंड में मौजूद है, तथा क़रीब २७०८ मील लंबी रेलवे लाइन पर भी यह अपना पूरा अधिकार रखती है। साथ ही रोडेशिया लैंड बैंक की भी मालिक यही कंपनी है। इसके कई डायरेक्टर तथा उनके बंधु बांधवगण इस समय बृटिश पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य हैं, और सरकारी नीति में अपना प्रभावशाली हाथ रखते हैं।

इस प्रकार बृटिश सरकारी नीति और धन की सहायता से ये कंपनियां अफ्रीका के उपनिवेशों में अपना विशाल कारबार फैलाकर मनमाना मुनाफ़ा कमा रही हैं। किंतु क्या इस "सरकारी नीति और धन की सहायता" का कुछ भी अंश उन्होंने अपने अफ्रीकन मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए खर्च किया? जिन लोगों ने उन्हें इस अपरिमित धनराशि का मालिक बनाने में अपनी एड़ी और चोटी का पसीना एक कर दिया, उनकी गिरी हुई अवस्था को सुधारने अथवा उनके कष्टों को दूर करने की क्या कोई भी तदबीर की गई?

अफ्रिकन निवासियों के साथ इन अंग्रेज़ी कंपनियों का कैसा व्यवहार होता रहा है इसका परिचय एक दूसरी कंपनी के सम्बंध में प्रकाशित सरकारी उपनिवेश की रिपोर्ट से मिलता है, जो सितम्बर सन १९३८ में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में अफ्रीका के सरकारी उपनिवेशों के निवासियों की जैसी दशा दिखाई गई है वह दृश्य बड़ा ही करुणाजनक है। एक स्थान पर गोरों की बस्ती बसाने के हेतु उनकी भूमि छीनी जाने का वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है :—

"क़रीब १०,००० वर्गमील भूमि की जो स्वीकृति (गोरों के बसने के लिए) दी गयी है उसी से (मूल निवासियों के लिए) ज़मीन की कमी पड़ गई। दुर्भाग्यवश इस स्वीकृति के बाद ही

बहुसंख्यक मनुष्य अपनी भूमि से निकाल बाहर कर दिये गये, यद्यपि उस समय ज़मीन की कोई ज़रूरत न थी और न आज तक ही उसका उपयोग गोरी बस्ती के बसाने के लिए किया गया। परिणामस्वरूप ज़मीन का एक बड़ा विस्तृत भाग बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जहाँ किसी समय की खेती के चिन्ह अब भी आकाश से देखे जा सकते हैं। यहाँ के मूल निवासी अपनी भूमि के छिन जाने से अत्यंत दुखी हैं इसमें ज़रा भी संदेह नहीं।......"

हाब्सन साहब के शब्दों में "जब तक मूल निवासियों की भूमि पर गोरे खदान वालों तथा जमीन्दारों का अपने व्यक्तिगत व्यवसाय और अदूरदर्शी स्वार्थों के लिए इस प्रकार का आक्रमण होता रहेगा तब तक यह दावा करना कि हम इन निवासियों को आदमी बनाना चाहते हैं या इसी ढंग की कोई और बातें केवल पाखंड प्रदर्शन के सिवाय कुछ नहीं हैं, चाहे वे किसी खदान के डायरेक्टर द्वारा कही जाँय अथवा किसी राजनीतिज्ञ द्वारा हाउस आफ कामन्स में घोषित की जाँय।"

सरकारी उपनिवेशों के गवर्नर तथा अन्य अफसर लोग अपने उपनिवेश की किसी कंपनी में डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बिना विशेष आज्ञा प्राप्त किये नहीं हो सकते। किंतु यह प्रतिबंध केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही रखा गया है। उतना समय बीत जाने पर फिर वे न केवल इन पदों पर हो ही सकते हैं, बल्कि हुआ भी करते हैं। यही नहीं बृटिश कामन्स सभा की मेम्बरी की भी वे उम्मीदवारी कर सकते हैं। कहना न होगा कि ये सब भी केवल उसी एक वर्ग के पुर्ज़े हैं, जिनके अन्य अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य। सर जान एंडर्सन जो इस समय पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य हैं, सन १९३२-३७ में यहाँ बंगाल के गवर्नर थे। इसी प्रकार मिस्टर एल० एस० एमरी *

*आजकल यही एमरी साहब भारतमंत्री हैं -- अनुवादक

(L. S. Amery) भी जो सन १६२४-२६ में बृटिश मंत्रि-मंडल के अन्दर उपनिवेश मंत्री की हैसियत से और (सन १६२५-२६ में) डोमिनियन सेक्रेटरी की हैसियत से रह चुके हैं, इस समय दक्षिण-पश्चिमी अफ्रिका में सोने की खदान का काम करने वाली एक संस्था के डायरेक्टर हैं तथा आस्ट्रेलिया में भी तीन सोने की खान का काम करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर हैं। साथ ही एक ट्रस्ट कम्पनी के प्रेसिडेन्ट भी हैं जिसका क़रीब ३५ लाख पौंड कनाडा में ज़मीन और जायदाद के कामों में लगा हुआ है।

विदेशों में भी बृटिश पूँजी

बृटिश पूँजी-पतियों की एक बहुत बड़ी रक़म विदेशों में भी लगी हुई है, और स्वभावतः इनमें से अनेकों पूँजी पति बृटिश पार्लिमेंट में सरकारी पक्ष के सदस्य हैं।

नीचे की सूची से प्रकट हो जायगा कि कितने पार्लिमेंटी मेम्बरों का किन-किन देशों में इस समय व्यापारिक स्वार्थ है :—

देशों के नाम		पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	व्यवसाय	डायरेक्टरशिप की संख्या
स्पेन	...	२	लोहा, खदान व जहाज़	२
जुगोस्लाविया	...	१	शीशा (Lead) ..	१
नार्वे	...	२	ह्वेल (Whaling)	२
मिश्र	...	२	नहर व बीमा ...	२

देश के नाम	पार्लिमेंट मेम्बरों की संख्या	व्यवसाय	डाइरेक्टरशिप की संख्या
ईराक़ ...	१	बीमा ...	१
चीन ...	१	बैंकिंग ...	१
मेक्सिको ...	३	तेल व सिमेंट ...	३
पनामा ...	१	टैकंर्स ...	१
कोलम्बिया ...	१	सोना ...	३
वेनेज़ुला ...	२	तेल ...	२
पेरू (Peru) ...	१	आटा ...	१
चिली (Chile) ...	१	आटा ...	१
ब्रैज़िल ...	२	सोना, क़हवा, रूई, पब्लिक वर्क्स	३
अर्जेन्टाइन ...	२	फ़िनान्स, रेलवे ...	२
युरागुवे (Uraguay)	२	फ़िनान्स ...	२

इनमें से कुछ व्यवसायिक स्वार्थ अभी हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं से भी सम्बंध रखते हैं। जून २३ सन १९३८ को पार्लिमेंट में एक प्रस्ताव किया गया था कि स्पेन के विप्लवकारी जेनरल फ्रैंको के व्यापारी जहाज़ों पर बृटेन द्वारा रोक लगा दी जावे। इसके उत्तर में उस समय

के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन साहब ने कहा कि इससे ब्रिटिश पूँजी की चार करोड़ पौंड की रक़म, जो विप्लवकारी स्पेन में लगी हुई है, खतरे में पड़ जायगी।

दक्षिणी स्पेन के ह्यूल्वा (Huelva) प्रांत में **रायो टिन्टो कंपनी** (Rio Tinto Co.) को क़रीब ३२००० एकड़ भूमि माफ़ी में मिली हुई है, जिसमें वह खानों से तांबा और गंधक निकालने का काम करती है। इसके एक डायरेक्टर अर्ल आफ़ बेसबारो (Earl of Bessborough) हैं, जिनके तीन नातेदार अनुदार पक्ष की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं। दूसरे डायरेक्टर आनरेबुल आर० एम० प्रेस्टन हैं। इनके भी एक बहनोई कैप्टेन ए० एच० एम० रैम्ज़े अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य हैं। रायो टिन्टो कंपनी जर्मनी के मेटल-गोसिल-शाफ़्ट ए० जी० (Metall Gesellschaft A. G.) नामक फ़र्म के साझे में एक दूसरी योरोपियन कंपनी पायराइट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (Pyrites Corporation Ltd.), के भी मालिक हैं। मेटल-गोसिल शाफ़्ट के लंदन के डायरेक्टर कैप्टेन आलिवर लिटेल्टन (Captain Oliver Lyttelton) हैं, जो एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य हेनरी गेस्ट साहब (Col. Hon. Henry Guest M. P.) तथा वाई काउन्ट विम्बोर्न के साथ विवाहित सम्बंध रखते हैं।

इसी प्रकार एक दूसरी कंपनी **'कान्सेट स्पेनिश ओर कंपनी'** (Consett Spanish Ore) है जो वहाँ लोहे का काम करती है। इसके भी कई डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके बन्धु बान्धव अनुदार पक्ष की ओर से पार्लिमेंट में बैठते हैं। हेनरी गेस्ट साहब (Col. Hon. Henry Guest M. P.) के विषय में 'डायरेक्टरी आफ़ डायरेक्टर्स सन् १९३८' में इस प्रकार परिचय दिया हुआ है कि "वह 'आर्कोनेरा आयरन कं०' (Orconera Jron Co.) के डाय-

रेक्टर हैं, जो अंशतः कान्सेट स्पेनिश कंपनी के अधिकार में है और जिसका मुनाफ़ा सन १६३६ तक १०% बाटा गया था।"

मेक्सिको देश में अंग्रेजी तेल के कारखानों का जो कारबार फैला है उसकी रक्षा के लिए भी बृटिश सरकार ने अभी हाल में बड़ी ज़ोरदार नीति अख्तियार की थी। पत्र पत्रिकाओं से प्रकट होता है कि इस काम में बृटिश सरकार की सहायता करने वाले अनेकों ऐसे बड़े बड़े व्यवसाइयों के दल भी थे, जिनका तेल के कारबार से कोई सम्बंध न था। कारण यह है कि ये सब के सब मेक्सिको की; कार्डेनाज़ गवर्नमेंट (Cardenas Government) को नीचे गिराने के लिए लालायित हैं, जो एक बहुत ही उन्नतिशील और क्रांतिकारी सरकार कही जा सकती है। बृटिश पार्लिमेंटी सदस्यों में इस समय कमसे कम एक व्यक्ति ऐसा है जो मेक्सिको में तेल के कारबार से सम्बन्ध रखता है।

क़रीब एक अरब पौंड की बृटिश पूंजी दक्षिणी अमेरिका में लगी है और यहां के कंपनी डायरेक्टर भी बृटिश पार्लिमेंट के बहुसंख्यक सदस्य हैं। पनामा, ब्रेज़िल, कोलम्बिया, पेरू, चिली, वेनेज़ुला, युरागुवे और अर्जेन्टाइन में कुल मिला कर कम से कम पन्द्रह कंपनियों की डायरेक्टरशिप इस समय पार्लिमेंटी सदस्यों के हाथ में मौजूद है। इन्हीं में सेन्ट्रल अर्जेन्टाइन रेलवे भी शामिल है, जिसमें कुल ८ करोड़ ३५ लाख पौंड से भी अधिक पूंजी लगी है और जो क़रीब ३५०० मील लंबी रेलवे लाइन पर अपना अधिकार रखती है। सर चार्ल्स बेरी (Sir Charles Barrie M. P.) इसके एक डायरेक्टर हैं, जो पार्लिमेंट में भी उदार राष्ट्रीय दल की ओर से सदस्य हैं।

कितनी ही ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर भी पार्लिमेंट के सदस्य हैं, जिनका कारबार सारे बृटिश साम्राज्य में फैला हुआ है और साथ ही जो अन्य देशों में तथा उनके उपनिवेशों में भी व्यवसाय कर रही हैं। लिवर ब्रदर्स ऐन्ड यूनिलिवर लिमिटेड एक ऐसी ही कंपनी है। इसका

उल्लेख पहिले एक स्थान पर किया जा चुका है। सन १९३८ की अंग्रेजी स्टाक एक्सचेंज इयर-बुक" (Stock Exchange Yearbook, 1938) में इस कंपनी के संबंध में इस प्रकार लिखा है:—

"यह साबुन और मारगरीन के व्यवसाय में समस्त बृटिश साम्राज्य में तथा योरोप एवं पृथ्वी के अन्य भागों में भी अपना कब्ज़ा रखती है। साथ ही वह ३०० से अधिक दूसरी कंपनियों में भी अपना हिस्सा रखती है, जिसमें आस्ट्रेलेशिया, कनाडा, और दक्षिण अफ्रिका के अन्दर शक्तिशाली व्यवसायिक स्वार्थ शामिल हैं........"

इस कंपनी की पूँजी इस समय ६ करोड़ ७० लाख पौंड से भी अधिक है। साधारण शेयर पर इसका मुनाफ़ा सन् १९३२ से १९३६ तक १५% बाटा गया था।

इस प्रकार साम्राज्य भर में एवं सम्राज्य से बाहर भी अपना व्यवसायिक जाल फैला रखने वाली कंपनियों के डायरेक्टरों तथा सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व कर्मचारियों का पार्लिमेंट की कामंस सभा में बने रहना आज के लिये कोई नई बात नहीं है। पिछले योरपीय महायुद्ध के पहिले भी इसका ज़हरीला असर बृटिश राजनैतिक जीवन पर बराबर देखा जाता था :—

"दिन पर दिन इस देश में अर्थात् (इंगलैंड में) भारतीय साम्राज्य तथा सरकारी उपनिवेशों से लौटे हुए ऐसे सैनिकों और राजनैतिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिनके स्वभाव और रहन-सहन में वहां की हुकूमत भरी शान शौकत और नवाबी तौर-तरीकों का रंग पैदा हो चुका है। इनके साथ ही अनेकों अंग्रेज व्यापारी, जमींदार, एंजीनियर तथा ओवरसीयर आदि जो इन देशों से लौटकर आते हैं वे भी अपने वहां के ज़हरीले विचारों, चरित्रों और भावनाओं को अपने साथ ही साथ यहां (इंगलैंड में) लेते आते हैं।

इनमें जो लोग ज़्यादा मालदार होते हैं वे अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं को अधिक ऊँचा ले जाते हैं और फिर हमारी पार्लमेंट की सभाओं के अंदर भी वे अपनी साम्राज्यशाही भावनाओं की स्वार्थपूर्ण और गंदी छूत फैलाया करते हैं, तथा अपने साम्राज्य संबंधी अनुभवों एवं संबंधों से लाभ उठाकर अपने निजी लाभ के लिए मुनाफे वाली कंपनियाँ खड़ी करते एवं उनके लिए हर प्रकार की सरकारी रियायतें किया करते हैं।"—हाब्सन

आज भी ये साम्राज्य के ज़हरीले वातावरण में पले हुए तथा साम्राज्यशाही में अपना स्वार्थ रखने वाले बहुसंख्यक लोग पूर्ववत् क्रियाशील दिखाई देते हैं। इन्हीं लोगों का प्रताप है कि आज इंगलिस्तान में भी सेडीशन ऐक्ट (Sedition Act), पब्लिक आर्डर एक्ट (Public Order Act), तथा ट्रेड्स डिस्प्यूट ऐक्ट (Trades Disputes Act) जैसे क़ानून पास किये गये हैं। इस समय बृटिश अनुदार सरकार का पिष्टपोषण करने वाले इस प्रकार के कम से कम ७८ सैनिक जो साम्राज्य में नौकरी करके लौटे हैं, ८८ कंपनी डायरेक्टर, जिनके कारखाने साम्राज्य भर में फैले हैं, तथा कितने ही सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व गवर्नर पार्लमेंट के अंदर अपनी क्रियाशीलता साम्राज्यशाही को मज़बूत बनाने में प्रकट कर रहे हैं। हाब्सन साहब के शब्दों में "जो लोग इस देश (अर्थात् इंगलिस्तान) के वैधानिक अधिकारों एवं रीतियों को कुचलने तथा प्रजा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने में यहां के नवाबों और अमीरों के उपेक्षापूर्ण और घृणाव्यंजक व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हैं, वे कदाचित् उस ग़ैरज़िम्मेदार हुकूमत के बढ़ते हुए ज़हर को ध्यान में नहीं लाते, जो हमारी ग़ुलाम बनाने वाली असहिष्णु और अग्रसर साम्राज्य से इस देश (अर्थात् इंग्लिस्तान) में भी बराबर प्रवेश कर रहा है।"

टाइम्स नामक पत्र में मिस्टर हेरल्ड स्टैनर्ड के 'वेस्ट इन्डीज़' पर जो तीन लेख निकले हैं उसमें उन्होंने कहा है:—

"अब भी समय है कि हमारे धन का वह हिस्सा, जो साम्राज्यवाद के नाम पर बाहर से बटोरा गया है और जिसे हमारी आत्मा अब बुरा कह रही है, वहाँ वापस भेज दिया जाय। (साम्राज्य की) प्रजा की दशा सुधारने वाली नीति तथा उसके लिए उचित उपाय सीधे इंग्लिस्तान से जारी किए जाँय।......आज जिस बात की आवश्यकता है वह है एक ऐसी उत्साहपूर्ण नैतिक लहर की जो हाउस आफ़ कामन्स से बहती हुई उपनिवेशी दफ़्तरों को भली भाँति परिप्लुत करदे—ठीक वैसी ही नैतिक लहर जैसी गुलामी की प्रथा बन्द करने के समय दिखाई दी थी।"

इस प्रकार की लहर का स्वागत कौन नहीं करेगा ? किंतु इसके लिए अमली नेताओं की ज़रूरत है और ऐसे अमली नेता, हम जानते हैं, वर्तमान अनुदार दल के सदस्यों में कहीं नहीं हैं, जो साम्राज्य में सेवा के भाव से दिलचस्पी दिखाने वालों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकें। अस्तु, अब केवल एक ही उपाय है, जैसा कि हाब्सन साहब लिखते हैं:—

"सरकारी सहायता के बल पर राष्ट्र के साधनों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाली साम्राज्यवादी शक्तियों का विनाश केवल सच्चे जनतंत्र-शासन की स्थापना के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक नीति का नियंत्रण केवल प्रजा के हित के लिए उसी के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहिए, जिनपर प्रजा का पूरा अधिकार है"।

आज दुनिया के तमाम हिस्सों में एकतंत्र शासन और जनतंत्र शासन के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। उपनिवेशी साम्राज्य भी इससे मुक्त नहीं। आज हम सबों के शिर पर एक महायुद्ध की संभावना नाच रही है।* और कोई यह नहीं कह सकता कि इस

* अब यह संभावना वास्तविकता में परिणत हो चुकी है और रणचंडी का प्रलयकारी नृत्य योरोपीय आंगन में एक छोर से दूसरे छोर तक अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। अब तक अनेकों देश अपनी स्वतंत्रता को इसकी भेंट कर चुके हैं। आगे क्या होगा ईश्वर जाने। —अनुवादक।

महायुद्ध का अंतिम निर्णय करने में साम्राज्य के इन उपनिवेशों का भी एक महत्वपूर्ण भाग न रहेगा। किंतु जब इन उपनिवेशों के निवासियों को स्वयं स्वशासन के अधिकार नहीं मिले हैं और न उन्हें देने के लिए बृटिश शासक वर्ग अभी तैयार ही है, तब भला ये जनतन्त्रवाद के युद्ध में क्या हौसला दिखायेंगे ? स्वराज और जनतंत्रवाद की रक्षा का जो दावा बृटिश अनुदार पक्ष अब तक करता आ रहा है वह इन उपनिवेश निवासियों की दृष्टि में केवल पाखंडियों का अद्भुत् पाखंड मात्र जान पड़ेगा।

अनुदार पक्ष से शासित बृटेन यदि आज किसी संकट में फँस जाय तो विश्वास रखना चाहिए कि सरकारी उपनिवेशों के निवासी उसकी सहायता करने से बिल्कुल इन्कार कर देंगे, और जहाँ कहीं वह अपने को समर्थ देखेंगे वहाँ शासकों से शक्ति छीनने की चेष्टा करेंगे। सारा बृटिश साम्राज्य इस समय डगमग दशा में दिखाई दे रहा है और कोई भी गहरा धक्का इस अवस्था का अंत कर देने के लिए काफ़ी होगा, जिसमें एक नन्हें से टापू का व्यापारी समुदाय दुनिया के एक बड़े भारी हिस्से पर हुकूमत चला रहा है।

वास्तव में जनतंत्रवाद के युद्ध में बृटिश साम्राज्य की स्थिति बड़ी ही नाज़ुक है, और इसका कारण है भीतरी फूट। फ़ासिज़्म द्वारा भी इसमें आंतरिक झगड़े फैलाये जाने के भय मौजूद हैं। अभी हाल में फ़िलस्तीन में जिस प्रकार अरबों की शिकायतों को उभाड़ कर इटली की तानाशाही ने अपना मतलब साधने के लिए गृह-युद्ध छिड़वा दिया था, वह उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए एक काफ़ी उदाहरण है। अस्तु, निश्चय है कि बृटिश साम्राज्य की शक्ति में दिन पर दिन कमज़ोरी आती जायगी, जब तक कि उस कमज़ोरी को मिटाने के लिए कोई वास्तविक उपाय न किया जाय। दूसरे शब्दों में अगर वर्तमान अनियंत्रित शासन के बजाय उसमें सच्चा जनतंत्रशासन नहीं स्थापित किया जाता तो इस साम्राज्य के अलग-अलग टुकड़े हो जाना अनिवार्य है।

बृटिश साम्राज्य की कमज़ोरी से उपनिवेश-निवासियों को भी नुक्सान पहुँच सकता है, कारण कि ऐसी दशा में वे फ़ासिज़्म अर्थात् तानाशाही के शिकार आसानी से बन सकते हैं। किंतु अंग्रेजों के लिए तो वह एकबारगी विनाश का ही कारण बन सकता है, कारण कि साम्राज्य के भीतर और बाहर से जितनी अधिक सहायता की उन्हें आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं हुई। और इस कमज़ोरी का सारा उत्तरदायित्व बृटिश अनुदार-दल के व्यापारियों पर है। इन्हीं लोगों ने हमें (अर्थात् अंग्रेजों को) आज करोड़ों आदमियों की सहानुभूति और मित्रता से वंचित कर दिया है। बृटिश अनुदार सरकार के प्रति उपनिवेशी जनता के मन में सिवाय अविश्वास और संदेह के दूसरा कोई भाव पैदा ही नहीं हो सकता। अनुदार दल और पूँजीवाद अब दोनों सदा के लिए एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं।

अब जब तक कोई ऐसी बृटिश सरकार स्थापित न हो जो जनतंत्र-वाद में अपना सच्चा विश्वास रखती हो और जो अपने कार्यों से भी यह सिद्ध करने के लिए तैयार हो कि वह साम्राज्य-निवासियों की स्वतंत्रता-प्राप्ति में सहायता देने की सचमुच इच्छुक है, तब तक वह सहानुभूति कदापि नहीं प्राप्त की जा सकती, जिसे अनुदार सरकार ने इस शोक-जनक रीति से अपने हाथों गवाँ दिया है। यदि ऐसी सरकार स्थापित हो जाय तो वह जनतंत्र-राष्ट्रों का एक ऐसा संघ तैयार कर सकती है जो आपस में प्रेम और मित्रता का नाता रखते हुए एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रह सके। ऐसे संघ को कोई भी न छोड़ना चाहेगा, यदि उसका संगठन सबों के हित की दृष्टि से किया गया हो और न केवल बृटिश शासकदल के व्यापारियों की ही स्वार्थसेवा के लिए हो। वर्तमान कमज़ोर अंग्रेजी साम्राज्य के स्थान पर एक ऐसा ज़बर्दस्त राष्ट्रों का संघ खड़ा दिखाई देगा, जो सारे संसार की शांति, सुख और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में बड़ी भारी सहायता पहुंचा सकता है।

छठवां अध्याय

हाउस आफ़ कामन्स में अंग्रेज़ी सामंतों या नवाबों का घराना

"अंग्रेज़ नवाबी घरानों का मूल रहस्य मुर्दों को जीवितों की मान-मर्यादा का उद्गम स्थान मान लेने में है तथा जीवित मनुष्यों की प्रतिष्ठा को उनके व्यक्तिगत चरित्र और आचरणों पर उतना निर्धारित न करके उनके मरे हुए पूर्वजों की ही हैसियत और कार्यों पर निर्धारित रखने में है। लेकिन चूँकि ये नवाबी घराने शेष जनसमुदाय से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते तथा इनकी शाखायें और प्रतिशाखायें अनेक क्षेत्रों में पहुँचती हैं, और चूँकि समाज में इनका गहरा प्रभाव भी सामाजिक सम्बन्धों को सदा प्रभावित करता रहता है, इसलिए तमाम लोगों के मन अब धीरे-धीरे उसी विचारशैली में अभ्यस्त हो गये हैं, जिसे देखकर अन्यथा वे अपना मुँह सिकोड़ लिये होते।"—Lecky, "Rise and Influence of Rationalism," Vol. I.

अधिकांश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य, जिनका इस पुस्तक में उल्लेख किया जा चुका है, उपाधिधारी व्यक्ति हैं। इनके अतिरिक्त बहुतेरे और भी ऐसे हैं, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है और जो अंग्रेजी सामंत घरानों के वशंज हैं। इस समय निम्न-लिखित व्यक्तियों को हम हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए देखते हैं :—

(१) अर्ल विंटर्टन (Earl Winterton).

(२) मार्किस आफ़ टिचफ़ील्ड (Marquess of Titchfield).

(३) मार्किस आफ क्लाइड्सडेल (Marques of Clydesdale).

(४) वाईकाउन्ट क्रेनबर्न (Viscount Craneborne)

(५) वाईकाउन्ट कैसलरीग (Viscount Castlereagh)

(६) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Wolmar)

(७) लार्ड बैनियल (Lord Baniel)

(८) लार्ड बर्गले (Lord Burghley)

(९) लार्ड ऐप्सली (Lord Apsley)

(१०) लार्ड सी० क्रिश्टन-स्टुअर्ट (Lord C. Crichton-Stuart)

(११) लार्ड डनग्लास (Lord Dunglass)

(१२) लार्ड विलियम स्काट (Lord William Scott)

(१३) लार्ड विलोब डि एरिसबी (Lord Willoughby de Eresby)

ये लोग प्रजावर्ग के मनुष्य नहीं है, किंतु फिर भी ये कामन्स सभा के मेम्बर हैं। ये सब के सब अनुदार दल के लोग हैं। लेकिन यह भी सरकारी पक्ष के केवल कुछ थोड़े ही से इने-गिने उपाधिधारी व्यक्तियों के नाम हैं। इनके अतिरिक्त ढेरों बैरोनेट, नाइट तथा आनरेबुल उपाधियों से भी विभूषित लोगों की भीड़ सरकारी कुर्सियों पर बैठा करती है। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि उपाधिधारी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी नवाबी घरानों के आदमी हैं।

साधारण लोगों में यह विश्वास प्रचलित है कि वर्तमान राजनीति में नवाबी घरानों का प्रभाव बहुत कम रह गया है, किंतु यह केवल एक भ्रम है। रईसों और नवाबों का राजनैतिक प्रभाव केवल लार्डस-सभा तक ही सीमित नहीं है। कामन्स-सभा में तथा मंत्रिमंडल में भी

इस समय बहुत से नवाब लोग मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के अंदर इस समय कम से कम एक मार्कस, तीन अर्ल, दो वाईकाउन्ट, एक बेरन तथा एक बेरनेट दिखाई देते हैं, और यह मंत्रिमंडल केवल कामन्स-सभा की मर्ज़ी पर ही टिका हुआ है।

किंतु इन तमाम उपाधियों का उन गंभीर प्रश्नों से क्या वास्ता है, जिनसे हमें नित्य मुक़ाबला करना पड़ता है? इस समय राष्ट्र की अनेक ऊँची से ऊँची जगहें इन्हीं पदवीधारी नवाबों से भरी हुई हैं। तब क्या ये नवाब ही अंग्रेज़ी शासन-विधान के सब से उत्तम संरक्षक कहे जा सकते हैं? इन्हें इस प्रकार शक्ति से सम्पन्न ऊँचे-ऊँचे आसनों पर बैठाने वाला अनुदार राजनैतिक दल है, जो अपने पक्ष के कामन्स सभा में बैठनेवाले ४५० मेम्बरों को छोड़ कर परराष्ट्र-सचिव, शिक्षा मंत्री तथा भारत-मंत्री के पदों के लिए लार्ड्स सभा के ही आदमियों को ज़्यादा पसंद करती है।

बृटिश अनुदार दल में रईसों और नवाबों का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि इनका अध्ययन यहाँ की राजनैतिक संस्थाओं को समझने में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

कामन्स-सभा में इस समय जितने सदस्य उपाधिधारी घरानों के हैं, उनमें से बहुतेरों की उपाधि का इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी में मिलता है और कुछ की उपाधियाँ तो इससे भी अधिक पुरानी हैं। शेष अनुदार सदस्यों को अभी हाल में ही उपाधियाँ दी गई हैं, कारण कि इधर हाल की सरकारों ने, और विशेष कर सन् १९३१ के बाद की अनुदार सरकार ने तो उपाधि-वितरण के कार्य में अपनी बेहद उदारता दिखाई है।

पहिले जो कुछ थोड़े से उपाधिधारियों के नाम गिना आये हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि कामन्स सभा और लार्डस सभा के अनुदार

ठीक है कि वर्तमान बृटिश शासन में लार्डस सभा मध्यकाल की बची हुई एक लाश के समान रह गयी है ? अथवा यह ठीक है कि देश की शासन-नौका को चलाने में उसका भी एक शक्ति-शाली भाग रहता है ? क्या लार्डस सभा और कामन्स सभा में अंग्रेज़ी नवाबों का दोहरा प्रतिनिधित्व इस बात को पूरी तौर से साबित नहीं करता कि इन नवाबों के हाथ में अब भी एक ज़बर्दस्त ताक़त और राजनैतिक ज़िम्मेदारी मौजूद है ? लेकिन क्या जनतंत्रात्मक संस्थाओं के प्रति भी उन्हें अपनी कुछ ज़िम्मेदारी का ज्ञान है, अथवा उनका एक मात्र उद्देश केवल ओहदों और अपने स्वार्थों की रक्षा करना भर है ?

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें इस सामंतमंडल के उस भाग का विश्लेषण करना होगा, जिसका अधिकतर संबन्ध कामन्स सभा से है, किंतु यह कार्य।केवल पुराने इतिहास में घुसने से ही पूरा हो सकता है।

बृटिश सामन्तवाद का जन्म अंग्रेजी 'फ़्यूडलिज़्म' (Feudalism) अर्थात् जागीरदारी के ज़माने में हुआ था। 'फ़्यूडलिज़्मा' का शुद्ध अर्थ है **'जमींदारों का शासन'**, और जो उपाधियाँ इन ज़मींदारों अथवा जागीरदारों को दी जाती थीं, वे केवल उनकी राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों को ही सूचित करने के लिए हुआ करती थीं। फ़्यूडल सिद्धांत के अनुसार इंग्लिस्तान की सारी भूमि का स्वामी वहाँ का राजा समझा जाता था, और बाकी जितने जागीरदार या जमींदार थे वे केवल उसके आसामी थे। राजा के बाद जागीरदारों और ज़मीन्दारों की एक के नीचे एक शृंखलाबद्ध श्रेणियाँ सी बनी हुई थीं, जिससे एक छोटे-से छोटे भूमि के टुकड़े का भी मालिक किसी न किसी व्यक्ति का मालगुज़ार हुआ करता था और इन सबों का प्रधान ज़मींदार केवल राजा समझा जाता था। उपाधियों की प्राप्ति केवल

उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनके पास बहुत ज्यादा ज़मीन हुआ करती थी।

ये अंग्रेज़ी नवाब (या ताल्लुकेदार) लोग सदैव एक दूसरे से तथा राजा के साथ भी लड़ते-झगड़ते रहते थे, किंतु फिर भी इनकी स्थिति में किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आने पायी। मध्यकाल के पिछले भाग तक उपरोक्त उपाधियाँ न केवल ज़मीन के ही अधिकार को सूचित करती थीं, बल्कि राजनैतिक अधिकारों की भी सूचक थीं।

नये नवाबों की भर्ती किसी एक पीढ़ी में बहुत ही थोड़ी हुआ करती थी और वह भी केवल भूमि की प्राप्ति से ही हो सकती थी। आगे चल कर यद्यपि भूमि की शर्त इसके लिए बनी हुई थी, किंतु अब यह भूमि बड़े-बड़े व्यापारियों और व्यवसाइयों के हाथ में आने लगी, जो भारतवर्ष तथा अन्य बाहरी देशों को लूट-लूट कर धनकुबेर बन रहे थे, और जिन्होंने इंग्लैंड आकर अपने लिए ज़मीन तथा पार्लिमेंट की मेम्बरी प्राप्त करने में पानी की तरह धन बहाना आरंभ कर दिया था। इससे भूमि का मूल्य इतना अधिक बढ़ा कि वहाँ के पुराने खान्दानी नवाबों के लिए भी एक ख़ासी समस्या पैदा हो गयी, कारण कि उन बेचारों को केवल अपनी खान्दानी बँधी हुई आमदनी का ही भरोसा था और इसलिए वे पार्लिमेंट में अपनी ताक़त क़ायम रखने के हेतु इन नये नवाबों के बराबर पैसे नहीं खर्च कर सकते थे। बाद में ज्यों ज्यों अंग्रेज़ी व्यापारियों का नये-नये उपनिवेशों में लोहा सोना, ताम्बा, कोयला, तेल आदि की खानों, बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरे प्रकार के कारखानों का कारबार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों उनके राजनैतिक रुतबे और शक्ति में भी वृद्धि होती गयी। आजकल जो बहुत से अंग्रेज़ नवाब दिखाई देते हैं उनकी भर्ती प्रायः इन्हीं बड़े-बड़े व्यवसाइयों में से की गयी है।

बृटिश राज्य-क्रांति के समय से कामन्स सभा की शक्ति देश भर में प्रधान हो गयी। अस्तु, अब मंत्री लोग भी राजा के प्रति उत्तरदायी

न होकर कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी हो गये। किंतु कामन्स सभा की शक्ति के बढ़ने से अंग्रेजी नवाबों की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पायी। प्रत्युत् अब उन्हें और भी स्वच्छन्दता मिल गयी, कारण कि पहले तो उन्हें सदा राजा की कृपादृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति बहुत स्थिर नहीं कही जा सकती थी, किंतु अब कामन्स सभा में अधिकार जमाना उनके लिए विशेष कठिन न था; और इसलिए शासन की सारी शक्ति उन्हीं की हाथ में आ गयी। गवर्नमेंट के तमाम विभागों पर इन्हीं नवाबों का आधिपत्य दिखाई देने लगा। पार्लिमेंट की दोनों सभाओं पर इनका प्रभाव था ही। अतएव तमाम सरकारी नियुक्तियाँ सब इन्हीं के हाथ की चीज़ हो गयीं। स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय शासन में हर जगह इन्हीं के नातेदार और रिश्तेदार भरे जाने लगे। इस प्रकार समस्त देश एकबारगी इनके पंजे के नीचे आ गया।

परम्परा के अधिकारों का सम्पूर्ण ढाँचा ज़मीन और जायदाद का सूचक है। और हर एक काल में किसी न किसी ढंग की जायदाद ही नवाबी सनद और उपाधियों की प्राप्ति के लिए सब से बड़ी योग्यता समझी जाती रही है। पहले ज़माने में इन उपाधियों और सनदों का देने वाला राजा था, और यद्यपि आज भी सिद्धांततः इनका वितरण उसीके नाम से किया जाता है, किंतु, जैसा कि सब को विदित है, इन उपाधियों एवं सनदों की सूची अब सदैव उन लोगों के हाथ से तैयार हुआ करती है, जिनके हाथ में देश का शासन है। किंतु आज भी जो नवाबी की सनद बड़े-बड़े व्यापारिक महारथियों को दी जाती है, उसका मूलाधार वास्तव में वही है जो सोलवहीं शताब्दी मे बड़े-बड़े ज़मीन्दारों और ताल्लुकेदारों को नवाब बनाने में था।

इंगलिस्तान के जो सब से पुराने नवाबी वंश हैं उनकी अधिकतर सम्पत्ति वस्तुतः भूमि ही है। ड्यूक आफ़ बक्लू (Duke of Buccleuch) और ड्यूक आफ़ डेवान शायर (Duke of

Devonshire) इस वर्ग के सबसे प्रसिद्ध वंश कहे जा सकते हैं। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी में जायदाद और सम्पत्ति का रूप बदल गया। अतएव उस समय से नवाबों की भर्ती बड़े-बड़े व्यवसायिक नेताओं में से की जाने लगी।

जिस समय सम्पति का मुख्य स्वरूप भूमि के रूप में था, उससमय यहाँ के नवाब लोग जमींदार और ताल्लुक़ेदार हुआ करते थे। किंतु जब यहाँ व्यवसायों का महत्व बढ़ा, तब ये लोग बड़े से बड़े व्यवसाय-पतियों के वर्ग में पाये जाने लगे। इस समय अधिकांश नये-नये व्यवसाय के डायरेक्टरों।में नवाबों की संख्या मौजूद है। हर एक पीढ़ी के नये नवाब पुराने नवाबों के साथ इस प्रकार हिल-मिल कर एक हो गये हैं कि उनमें अब कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता।

यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि आरंभ में कुछ दिनों तक प्राचीन वंश के नवाब नये रंगरूटों के प्रति हार्दिक घृणा और विरोध-भाव दिखाया करते थे। किंतु बाद में जब उन्होंने समय के बहाव को देखा तब अपना रुख भी उसी के अनुकूल बना लिया। जो कुछ थोड़े से लोग अपने हठ पर अड़े रहे वे राजनैतिक क्षेत्र में पीछे ढकेल दिये गये और उनकी जगह नये-नये व्यापारी-नवाबों ने लेली। साधारण तौर पर प्राचीन वंश वालों ने विजयी पक्ष का साथ पकड़ने में ही अपनी कुशल समझी। अब वे इस समय सब एक हैं और मुख्यत: बड़े-बड़े व्यवसायों का नेतृत्व अपने हाथ में रखते हैं तथा अनुदार पक्ष के मुख्य स्तंभ हैं।

अनुदार पक्ष वास्तव में लार्ड्स सभा का दल है, कामन्स सभा का नहीं। किंतु फिर भी इसने अपना प्रभाव केवल लार्ड्स सभा तक ही परिमित नहीं रखा। कामन्स सभा में भी यह अपना पूरा प्रभाव बनाये रखने के लिए सदा से सचेष्ट रहा है। बेजहाट (Bagehot) नामक लेखक इस सम्बंध में टीका करते हुए लिखता है:—

"बड़े-बड़े सांमत लोग अपना प्रभाव हाउस आफ़ लार्डस के बजाय हाउस आफ़ कामन्स में जमाने के लिए अधिक क्रियाशील रहते थे।

कोई भी देहात का नवाब यदि इस ढंग से अपने प्रांत के दो सदस्य बनाने का आधा श्रेय और ज़िले के दो सदस्य बनाने का पूरा श्रेय अपने हाथ में रखता हो तथा सरकारी सदस्यों को भी बहुधा स्थान पर बैठा सके, तो वह उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली समझा जायगा जो केवल अपनी लार्ड्स सभा में बैठ कर चान्सलर के भाषणों को ही सुनता रहे। जिस समय ये नवाब लोग प्रथम श्रेणी की शक्ति में दाख़िल थे उस समय भी हाउस आफ़ लार्ड्स की शक्ति द्वितीय श्रेणी की समझी जाती थी, कारण कि जो नवाब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और जिनका समाज पर विशेष रूप से प्रभाव रहता था वे प्रायः अपनी लार्ड्स सभा की उतनी चिंता नहीं करते थे, जितनी की निर्वाचित सभा (अर्थात् हाउस आफ़ कामन्स) की, जहाँ वह इसी अप्रत्यक्ष रूप में अपनी राजनैतिक शक्ति के अधिकांश प्रभाव को प्रकट किया करते थे।"

बेजहाट का उपरोक्त वर्णन नवाबी प्रभाव के बाबत आज भी हाउस आफ़ कामन्स में उतना ही सच्चा साबित होता है जितना कि पूर्व काल में। अन्यत्र यही लेखक फिर लिखता है:—

"नवाबी घराने के मुख्य वंशजों एवं उनके बंधुबांधवों में से जितने सदस्य पार्लिमेंट के अंदर पहुँचते है उनकी संख्या उस अनुपात से कहीं ज़्यादा बढ़कर है जो सम्पूर्ण बृटिश जनता की संख्या में और कुल नवाबों की संख्या में दिखाई देता है। उनकी विचारशैली भी बिल्कुल वही नवाबी पक्ष की सी हुआ करती है, जिसमें उनका जन्म हुआ है।"

आज भी पार्लिमेंट के अनुदार पक्ष का अधिकतर भाग इन्हीं नवाबी घराने के वंशजों और उनके भाई-बंधुओं से भरा है, जैसा कि नीचे दी हुई सूची से विदित होगा :—

कामन्स सभा के अनुदार पक्षीय नवाब और नाइट सदस्य

स्वयं पियर (Peer) या नवाब	९
नवाबी (Peerage) के उत्तराधिकारी ...	१८
नवाबों के छोटे पुत्र	१३

नवाबों के दामाद	...	...	२५
नवाब सहग्रोत्री	...	...	२४
नवाबों के विवाह द्वारा संबंधी	...	...	१२
जमीन्दार वर्ग	...	...	५५
			१४८
बेरनेट लोग (Baronets)	...	...	२४
			१७२
नाइट वर्ग (Knights)	...	...	६४
		टोटल	२३६

उपाधियाँ केवल आज से ही नहीं सदा से धन का प्रदर्शन चिन्ह रहती आयी हैं। किंतु बहुधा इस चिन्ह को ही लोग भूल से वास्तविक वस्तु समझ लिया करते हैं। सच तो यह है कि धन का सवाल उपाधि से पहले आता है, और आधुनिक ढंग के सामाजिक संगठन में धन का ही अर्थ राजनैतिक सत्ता है। राजनैतिक सत्ता वास्तव में कामन्स सभा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और यही कारण है कि अंग्रेज़ी नवाबों ने बृटिश समाज में अपना रुतबा क़ायम रखने के लिए इस सभा को अपना एक मुख्य साधन बना रखा है।

क्रिस्टी (O. F. Christie in his 'The Transition from Aristocracy) नामक लेखक ने इसके संबंध में लिखा है:

"ये लोग केवल धनिक ही नहीं थे......राजनैतिक शक्ति में भी ज़बर्दस्त थे। देश के वे ही शासक थे, और उनकी शक्ति का मुख्य रहस्य यह था कि वे पार्लिमेंट में अपनी ओर के सदस्य बहुत बड़ी संख्या में बनवा लिया करते थे।"

अभी तक हमने यह दिखाया है कि अंग्रेज़ी नवाब बेहद मालदार होते हैं और उनकी सम्पति साधारणतः सर्वोच्च कोटि के व्यवसायों में लगी हुई है। अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि अमीर ही लोग समय

पाकर नवाबी रुतबे तक पहुँचा दिये जाते हैं। वास्तव में उपाधियों का मुख्य तात्पर्य राजनैतिक दृष्टि से अल्प-संख्यक अमीरों के संगठन को सुरक्षित रखना तथा सुदृढ़ बनाना ही है। अस्तु, आजकल उपाधियों के. वितरण को केवल "बड़े-बड़े आदमियों" की "सार्वजनिक सेवा" के लिए सम्मान-प्रदर्शन की रस्म-अदाई मात्र नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे सरकारी पक्ष के सब से ऊँचे स्थानों में ऐसे लोगों की भर्ती समझनी चाहिए, जिन्होंने बृटिश साम्पत्तिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नेतृत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है।

अपने उपरोक्त कथन की पुष्टि में हम कुछ ऐसे लोगों का ब्यौरा देंगे, जो अभी हाल में सन् १९३१ के बाद, अर्थात् वर्तमान बृटिश राष्ट्रीय सरकार के ही शासन-काल में, नवाबों के दर्जे में भर्ती किये गये हैं।

इस प्रकार का ब्यौरा कई दृष्टियों से उपयोगी जान पड़ता है। प्रथम तो इस से यह विदित हो जायगा कि जनता में से किस प्रकार के आदमी नवाबी दर्जे में भर्ती किये जाते हैं। दूसरे, इसके द्वारा वर्तमान बृटिश सरकार के रंगरूप को समझने में भी बहुत कुछ सहायता मिलेगी, कारण कि जैसे लोगों को वह सम्मानित करना पसंद करती है उन्हीं के अनुकूल उसका स्वाभाव भी होगा।

सन १९३१ से अब तक वर्तमान बृटिश सरकार द्वारा कुल ९० मनुष्यों को नवाबी उपाधियाँ बाँटी गई हैं। इस संख्या में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो यद्यपि नवाब पहले ही से बने हुए थे किंतु जिनकी उपाधियाँ अब और ऊँची कर दी गयी हैं। इन ९० मनुष्यों में से ६० ऐसे हैं जो व्यापारी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। जिन कम्पनियों के ये डायरेक्टर हैं उनकी कुल संख्या क़रीब ४२० से भी ऊपर है। इनमें से ४२ व्यक्ति बैंकों तथा बीमा कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनकी संख्या ८६ है। ये लोग अब लार्डस सभा में बैठते हैं। (**इनके अतिरिक्त अनुदार पक्ष के १६ अन्य बैंक-डायरेक्टर तथा ४३ बीमा-कंपनी के डायरेक्टर**

कामन्स सभा में भी बैठते हैं। ब्यौरा के लिये नीचे बैंक आफ़ इंग्लैंड तथा अन्य पाँच मुख्य बैंकों के उन डायरेक्टरों की सूची दी जाती है, जिन्हें सन् १९३१ के बाद नवाबी (Peerage) का खिताब दिया गया है। स्मरण रहे कि इनमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जो पहले ही से नवाब (Peers) थे किंतु जिनकी पदवी अब और ऊँची कर दी गयी है।

नये नवाबों की सूची

बैंक		**हाउस आफ़ लार्ड्स**
बैंक आफ़ इंगलैंड	...	लार्ड सेंट जस्ट (१९३५) लार्ड स्टाम्प (१९३८)
लायड्स बैंक	...	**चेयरमैन** : लार्ड वार्डिंग्टन (१९३६)
(सदस्य कैपिटल काउन्टीज़ बैंक कमिटी)		वाईकाउन्ट बीयर (१९३८) वाईकाउन्ट ब्लेडिस्लो (१९३५) वाईकाउन्ट हार्न आफ़ स्लैमेनन (१९३७)
नैशनल प्राविंशल बैंक	.	लार्ड रिवरडेल (१९३५) लार्ड पेन्डर (१९३७) लार्ड पेरी (१९३८)
मिडलैंड बैंक	...	लार्ड डेविस (१९३२) लार्ड विग्राम (१९३५) लार्ड मैक्गाउन (१९३७)
वेस्टमिनिस्टर बैंक	...	मार्क्वेस आफ़ वेलिंगटन (१९३६) वाईकाउन्ट रन्सीमैन (१९३७)
बार्क्लेज बैंक	...	लार्ड ईसेन्डन (१९३२)

उपरोक्त सूची से यह न समझना चाहिए कि इन बैंकों के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स में केवल इतने ही पियर (Peer) या नवाब हैं। ये तो केवल उन लोगों के नाम हैं जिन्हें सन १९३१ के बाद नवाबी का पद प्राप्त हुआ है।

मेन-लाइन रेलवेज़ के भो नौ मौजूदः डायरेक्टरों को नवाबो का ाद सन १६३१ के बाद ही दिया गया है। (**साथ ही स्मरण रहे कि इन रेलवे कम्पनियों के नौ डायरेक्टर कामन्स सभा के भी मेम्बर हैं।**

अन्य व्यवसायिक नेताओं के नाम जिन्हें सन १६३१ के बाद नवाब की उपाधि मिली है इस प्रकार हैं :—

१—शराब के कारखाने

नवाबों के नाम	**कारखाने**
लार्ड ब्लेकफ़ोर्ड (१६३५) ..	इन्ड कूप ऐन्ड एल्साप तथा अन्य।
लार्ड ब्रोकेट (१६३३) ...	पीटर वाकर्स तथा सात अन्य।
लार्ड डेनहम (१६३७)	**डिपुटी चेयरमैन :** बेन्सिकन्स वाटफ़ोर्ड ब्रियुरी।
लार्ड मायन (१६३२) ...	आर्थर गाइनेस सन एंड कम्पनी।

(इनके अतिरिक्त कामन्स सभा में भी ११ शराब के कारखाने वाले मेम्बर हैं)

२—कोयला

लार्ड डेविस (१६३२) ...	**चेयरमैन :** टैफ़ मर्थिर स्टीम कोल तथा अन्य।
लार्ड रैंकिलर (१६३२) ...	कार्ल्टन मेन कोलियरीज़।
लार्ड ब्रासी (१६३८) ...	पावेल डफ़रिन वेल्श एसोशियेटेड कोलियरीज़।

(इनके अतिरिक्त कामन्स सभा में भी १४ सदस्य कोयले के कारखानों के मालिक हैं।)

३—प्रेस

लार्ड इलिफ़ (१६३३) ..	डेली टेलीग्राफ़
लार्ड केम्स्ले (१६३६) ...	चेयरमैनः एलायड न्यूज़पेपर्स (डेली स्केच, सन्डे टाइम्स इत्यादि)

लार्ड साउथवुड (१९३७) ... { चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर : ओढम्स प्रेस (डेली हेराल्ड इत्यादि) चेयरमैन : स्पोर्टिंग ऐन्ड ड्रैमेटिक इत्यादि }

(कामन्स सभा के भी क़रीब १४ अनुदार सदस्य प्रेस से सम्बंध रखते हैं।)

४—मोटर के कारख़ाने

लार्ड आस्टिन (१९३६) ... चेयरमैनः आस्टिन मोटर कंपनी।
वाईकाउन्ट नफ़ील्ड (१९३८).. चेयरमैनः मारिस मोटर्स।
लार्ड पेरी (१९३८) ... चेयरमैनः फोर्ड मोटर कंपनी।

(कामन्स सभा के भी क़रीब ७ अनुदार सदस्यों का मोटर के व्यवसाय से घनिष्ट सम्बंध है।)

५—रासायनिक वस्तुएँ

लार्ड मैकगाउन (१९३७) ... चेयरमैन { इम्पीरियल केमिकल
वाईकाउन्ट वीयर (१९३८) ... इन्डस्ट्रीज़ }
लार्ड सेल्सन (१९३२) ... **चेयरमैन** : एनोज़ (दवा)

कामन्स सभा में इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले अनुदार सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या है।

६—जहाज़रानी

वाईकाउन्ट ब्लेडिस्लो (१९३५) ... पी० ऐन्ड ओ०

वाई काउन्ट रन्सीमैन (१९३७) ... मूर लाइन इत्यादि।

लार्ड ईसेन्डन (१९३२) ... **चेयरमैन** : फ़र्नेस, विथी ऐन्ड कंपनी।
कनार्ड व्हाइट स्टार लिमिटेड।

(कामन्स सभा में इस व्यवसाय से सम्बंध रखने वाले लगभग १८ अनुदार सदस्य हैं ।)

७—बेतार का तार इत्यादि

लार्ड पेन्डर (१९३७) ... **गवर्नर तथा मैनेजिंग डायरेक्टरः** केबुल ऐन्ड वायरलेस लिमिटेड (तथा कोडक लिमिटेड)

(कामन्स सभा में भी इसी कंपनी का एक डायरेक्टर अनुदार सदस्य है)।

८—तेल

लार्ड कैडमैन (१९३७) ... चेयरमैन : ऐंग्लो ईरानियन आयल कम्पनी ।

९—बिस्कुट

लार्ड पामर (१९३३) ... हन्टले ऐन्ड पामर्स ।

१०—बिजली

लार्ड एल्टिस्ले (१९३४) ... एडमंडसन्स एलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन तथा अन्य ।

११—एलेक्ट्रिकल एंजिनियरिंग

लार्ड हर्स्ट (१९३४) ... चेयरमैन : जेनरल एलेक्ट्रिक कंपनी तथा अन्य ।

ये कुल नवाब केवल सन १९३१ से लेकर सन् १९३८ तक के अन्दर ही बनाये गये हैं । अस्तु, जब गत वर्ष के इस थोड़े से समय में ही इतने अधिक व्यवसाय-पतियों की संख्या नवाबों के वर्ग में शामिल की जा सकती है तो यह आसानी से सोचा जा सकता है कि बृटिश राष्ट्र की सम्पत्ति पर बृटिश नवाबों का कितना भारी अधिकार

है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि एक वास्तविक सम्पत्तिशाली व्यक्ति के लिए इंग्लिस्तान में नवाब बनकर हाउस आफ़ लार्ड्स में बैठने की कितनी भारी संभावना है।

इन नवीन उपाधि-प्राप्त नवाबों में से बहुतेरे तो ऐसे हैं जो दर्जनों भिन्न-भिन्न कंपनियों के डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर वाईकाउन्ट ग्रीनवुड का नाम लिया जा सकता है, जो सन १९३३ से अनुदार दल के कोषाध्यक्ष हैं और जिन्हें नवाबी की उपाधि सन १९३७ में दी गई है। यह निम्नलिखित कंपनियों के डायरेक्टर अथवा चेयरमैन हैं :—

पद	कम्पनियों के नाम
चेयरमैन :	एयरेटेड ब्रेड कंपनी
चेयरमैन :	एग्रीकल्चरल मार्गेज कंपनी आफ़ पैलेस्टाइन
चेयरमैन :	वाउज़फील्ड स्टील कम्पनी
डायरेक्टर :	ब्रिटिश स्ट्रक्चरल स्टील कम्पनी
डिपुटी चेयरमैन :	डार्लिंग्टन रोलिंग मिल्स कम्पनी
डायरेक्टर :	डार्मन लांग (अफ्रिका)
चेयरमैन :	डार्मन लांग ऐन्ड कम्पनी
डायरेक्टर :	ला डिबेंचर कार्पोरेशन
चेयरमैन :	ल्युई बर्जर ऐन्ड सन्स
डायरेक्टर :	मांटेगु बर्टन
डायरेक्टर :	पियर्सन ऐन्ड डार्मन लांग
डायरेक्टर :	फ़ेनिक्स एश्योरेन्स कम्पनी
चेयरमैन :	रेडपाथ ब्राउन ऐन्ड कम्पनी
डायरेक्टर :	सोसाइटी इंटरनैशनेल ड' एनर्जी हाइड्रो एलक्ट्रिक (सिड्रो)

पद	कंपनियों के नाम
चेयरमैन :	टीज़ साइड ब्रिज ऐन्ड एंजीनियरिंग वर्क्स
चेयरमैन :	अप्टन कोलियरी कम्पनी

कुछ लोगों को नवाबी रुतबा उनकी दानशीलता अथवा किसी पेशे में सफलता के कारण भी दिया गया है। इनमें से एक उल्लेखनीय नाम लार्ड होर्डर का है, जो डाक्टरी पेशे के एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। दानशीलता के लिए उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में दो नाम उल्लेख-योग्य हैं। प्रथम तो वाईकाउन्ट नफ़ील्ड का, जिन्होंने अपनी विशाल सम्पत्ति का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक हित के कार्यों में दे डाला है। नवीन आक्सफोर्ड कालेज की स्थापना, अस्पतालों तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उन्होंने काफ़ी रक़म दी है। दूसरा नाम लार्ड डूवीन का है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपने देश को कला सम्बन्धी बहुमूल्य वस्तुओं का एक ऐसा ख़ज़ाना अर्पित कर दिया जैसा कदाचित् अभी तक किसी भी रईस ने नहीं किया।

इनके अतिरिक्त बहुत से क़ानूनदाँ (जैसे लार्ड साघम जो आजकल बृटिश सरकार के लार्ड चान्सलर हैं) तथा कितने ही सैनिक, नाविक एवं राजनैतिक कर्मचारी भी हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार इन तमाम पेशों के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को नवाब (Peer) की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता है। अनेक राजनैतिक नेता भी इन्हीं में शामिल हैं यथाः—अर्ल बाल्डविन, लार्ड रशक्लिफ़, दो राष्ट्रीय मज़दूर पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य, एक लिबरल, और एक मज़दूर दल का पार्लिमेंटी सदस्य।

इसमें से केवल दो एक व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सब के सब नवीन उपाधिधारी नवाब अनुदार पक्ष के ही प्रतिनिधि हैं, जिससे इन

उपाधियों के प्रगाढ़ राजनैतिक स्वरूप का सच्चा परिचय मिल जाता है। यही नहीं, इन ९० नवाबों में से कम से कम ४८ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहिले कामन्स सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। अस्तु, यों समझना चाहिए कि ये उपाधियाँ पूर्ण राष्ट्रीय होने के बजाय केवल अनुदार दल वालों द्वारा अनुदार दल वालों में ही बाँट दी जाती हैं। अर्थात् लार्ड्स सभा के नवाब लोग इधर तो अपने भाई-बंधुओं को कामन्स सभा में भेजते हैं और उधर अपने राजनैतिक सहायकों को लार्ड्स सभा में भी भर्ती करते हैं।

हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी पक्ष के 'नाइट' उपाधिधारी कुल सदस्य इस समय ७७ हैं, जिनमें से ४० को उपाधि वर्तमान राष्ट्रीय सरकार द्वारा मिली थी और १० को वह भूतपूर्व अनुदार सरकार द्वारा दी गयी थी। उपाधियाँ पाने वालों के नाम प्रधान मंत्री चुनता है, किंतु इस काम में वह कामन्स सभा के उन तमाम अनुदार पक्षीय रईसों के प्रति उत्तरदायी भी रहता है, जिन पर उपाधियों की इस प्रकार वर्षा की जाती है।

जैसा कि पहिले कह आये हैं, बेरन, अर्ल या ड्यूक की उपाधि व्यवसायिक क्रांति के पहले ज़मीन और जायदाद के ही अधिकार की सूचक थी। अवश्य कभी-कभी किसी प्रसिद्ध जज अथवा सैनिक को भी यह उपाधि दे दी जाती थी, किंतु उस अवस्था में उपाधि के साथ-साथ कुछ ज़मीन अथवा धन भी उसे ज़रूर दिया जाता था। आज भी जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं यह बेरन, वाईकाउन्ट अथवा अर्ल की उपाधि जायदाद और सम्पत्ति की पूर्ववत् सूचक है, किंतु अब वह जायदाद और सम्पत्ति भूमि के रूप में नहीं बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में दिखाई देने लगी है। यद्यपि यह सच है कि उपाधि प्राप्त होने के समय नवाब लोग अब भी प्राचीन प्रथा के अनुसार कुछ भूमि खरीद लिया करते हैं, किंतु आजकल उनकी उपाधि जिस सम्पत्ति

की परिचायक है वह भूमि की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति है।

अस्तु, जो उपाधियाँ आज लोगों को बृटिश सरकार द्वारा दी जाया करती हैं वे वास्तव में धन और जायदाद के ही सम्मानार्थ हैं। एक अनुदार पक्षीय सदस्य जब यह लिखता है कि "हमें अपने रईसों के लिए अभिमान करना चाहिए न कि लज्जा", तो वह केवल खुले शब्दों में उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसका व्यवहार प्रधान मन्त्री अपने उस कार्य द्वारा कर दिखाता है जिसमें वह बड़े-बड़े बैंक वालों, शराब वालों, गोलाबारूद के कारखाने वालों एवं जहाज के मालिकों को नवाब बनाये जाने की सम्राट से सिफ़ारिश किया करता है। अस्तु, उपाधि-प्रदान की वर्तमान शैली का अर्थ वास्तव में जनता से यह कहना है कि "अमुक धनवान की तुम सब लोग इसलिए इज़्ज़त करो, कि वह धनवान है"।

अधिकतर लोग नवाबों के भिन्न भिन्न दरजों से एवं राजकीय अवसरों पर पहने जाने वाले उनके लिबासों से तो अच्छी तरह परिचित रहते हैं किंतु यह नहीं जानते कि कौन नवाब कितनी कम्पनियों का डिरेक्टर है। बात यह है कि मध्यकाल की तड़क-भड़क और दिखावे का पुराना ढंग अंग्रेज़ी नवाबों में अब तक आश्चर्यजनक रीति से बराबर मौजूद है। किंतु पुराने ज़माने में इन नवाबों के छोटे-बड़े अलग-अलग दरजे उनकी ज़मींदारी की हैसियत से रखे गये थे। उदाहरणार्थ एक ड्यूक (Duke) का पद यह बतलाता था कि उसकी जमींदारी एक अर्ल (Earl) की जमींदारी से बड़ी है। इसी प्रकार एक अर्ल का पद एक बेरन (Baron) के दरजे से अधिक श्रेष्ठ जमींदारी का सूचक था। यही हाल और बाक़ी दर्जों का भी था। आधुनिक अवस्था में यद्यपि यह सच है कि एक ड्यूक की भूमि साधारणतः एक अर्ल अथवा बेरन की भूमि से अब भी अधिक हुआ

करती है, किंतु उनको क्रमागत दरजों में रखना और भाँति-भांति की उपाधियों से सजाना अब बिलकुल अर्थहीन हो गया है।

फिर भी इनसे एक मतलब अवश्य निकलता है। वर्तमान बृटिश समाज में, जो पूर्ण जनतंत्रवाद की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील दिखाई देता है, अमीरों की इज़्ज़त करने वाले सिद्धांत के साधारण रूप में स्वीकृत हो जाने की विशेष आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी ग़रीब किसानों और मज़दूरों की निगाह में कोई तब तक इज़्ज़त पाने की आशा नहीं कर सकता था जब तक वह ऊपरी तड़क-भड़क और उपाधियों की सजावट से सजा हुआ न हो। अस्तु, उपाधियों की यह सजावट और ऊपरी तड़क भड़क कम से कम साधारण मनुष्य के चित्त को तो अपनी ओर आकर्षित रखने में समर्थ रहती ही है। सब जानते हैं कि एक बीमा कंपनी के डायरेक्टर अथवा शराबवाले की अपेक्षा एक अर्ल अथवा बैरन की कहानी अधिक मनोरंजक और रोमांचकारी हुआ करती है।

अस्तु, इस महान आकर्षण को क़ायम रखने के लिए एक ज़बर्दस्त प्रचारकर्त्री मशीन बराबर काम किया करती है। इसका कुछ हिस्सा तो "आंतरिक" उपयोग के लिए हुआ करता है—जैसे अधिक खर्चीले स्वजातीय पत्र और पत्रिकाएं आदि और—कुछ साधारण जनता में इन अमीरों के वैभव और स्थायित्व का विश्वास उत्पन्न करने के लिए काम में लाया जाता है। प्रमाण के तौर पर स्वयं अर्ल विंटर्टन (Earl Winterton), जो किसी समय 'वर्ल्ड' नामक पत्र का सम्पादन किया करते थे और जो इस सम्पादन-कार्य को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति मानते हैं, इस पत्र के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं :—

"[ये पत्र] अपने मान का प्रदर्शन एक ऐसे समाज के सामने किया करते थे जो इज़्ज़तदार होता हुआ भी नितान्त असभ्य और

अहंकारी था। यह समाज वास्तव में उन लोगों से बना था जिन्हें अपने सम्बंध की बातें पढ़ने का विशेष चाव था और जो राजकीय घराने के लोगों की बाबत हरएक जानने योग्य बातों को जानने के लिये नित्य बेचैन रहा करते थे। इन लोगों के बड़प्पन का कारण केवल उनका जन्म था, अथवा कोई विशेष कार्य था, अथवा ये दोनों ही थे।"

समाज के पछड़े हुए लोगों में एक (उपाधिहीन) धनवान की अपेक्षा एक उपाधिधारी के प्रति सम्मान-भाव पैदा करना ज़्यादा आसान है। वाल्टर बेजहाट (Bagehot) नाम का लेखक, जो अमीरों और नवाबों का सदा से हिमायती रहा है, इस बात को अच्छी तरह जानता था। अतएव उसने लिखा है :—

"नवाबी ओहदे का मुख्य कार्य साधारण प्रजा पर रोब जमाना है......।"

उपाधियाँ मनुष्य को धनिकों के समाज में, जहाँ उसे सदा रहना पड़ता है, एक प्रकार का गौरव प्रदान करती हैं। साथ ही यह उसके प्रभाव को भी उन चापलूसों के हृदय बढ़ा दिया करती हैं, जो वैसा ही धन और उपाधि प्राप्त करने के लए सदा लालायित रहते हैं। साथ ही ये इस बात की भी सूचक हैं कि उपाधि प्राप्त करने वाला मनुष्य शासकों के वर्ग में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार उपाधिधारी व्यक्तियों की यह देवसेना शासकवर्ग को सुसंघटित रखने में सदा सहायक हुआ करतीं हैं, साथ ही समाज के सहस्त्रों उम्मीदवारों की आँखों में अपने लटकते हुये तमग़ों और सनदों का जादू डालकर उन्हें अन्त तक अपना आज्ञाकारी गुलाम भी बना रखती है। इसके अतिरिक्त ये उपाधियाँ एवं उच्चवर्ग की तमाम सामाजिक रीतियाँ धनिकवर्ग के हृदय में एक ऐसी भावना पैदा कर देती है जिसका सिद्धांत होता है "धनिकों का गौरव"। राजनैतिक दृष्टि से यही सिद्धांत धनिकों के शासन के रूप में प्रकट हुआ करता है, जो, जैसा कि हम

ऊपर देख आये हैं, अनुदार राजनीति का वास्तविक उद्देश्य और ध्येय है।

हाउस आफ़ लार्ड्स, जिसमें यह उपाधिधारी नवाबी पल्टन बैठा करती है, वैधानिक रूप से यद्यपि पूर्वापेक्षा बहुत कुछ शक्तिहीन बना दिया गया है, किंतु फिर भी अभी किसी प्रस्ताव पर अड़ङ्गा लगाने की क़ानूनी शक्ति उसमें बहुत कुछ विद्यमान है। एकमात्र आर्थिक प्रस्ताव (Money Bill) को छोड़ कर अन्य सब प्रकार के प्रस्तावों को यदि वह चाहे तो कम से कम दो वर्ष तक के लिए रोक सकता है अस्तु, एक जनतंत्रवादी अथवा मज़दूर सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस लार्ड्स सभा का मूलोच्छेद करने का पूर्ण निश्चय कर ले। यद्यपि यह सच है कि कामन्स सभा का अध्यक्ष यदि चाहे तो अब भी किसी बिल को अपने विशेषाधिकार से पास कर के उसे लार्ड्स सभा के विरोध करने पर भी क़ानून का रूप दे सकता है, किन्तु फिर भी लार्ड्स सभा की वर्तमान आर्थिक शक्ति और उसका अनेक प्रभावशाली पत्र-पत्रिकाओं पर अधिकार देखकर यह कहना पड़ता है कि किसी भी जनतंत्रवादी सरकार के लिए उसके विरोध का सामना करना कठिन हो जायगा, जब तक कि वह सरकार लार्ड्स सभा को सदा के लिए मिटा देने पर ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति से न तुल जाय।

लार्ड रोज़बरी के निम्न-लिखित वाक्य, जो सन १८६४ में महारानी विक्टोरिया को लिखे गये थे, इस समय भी उतने ही सच जान पड़ते हैं जितने की उस समय :—

"जिस समय शासन का अधिकार अनुदार पक्ष के हाथ में होता है, उस समय हाउस आफ़ लार्ड्स का मानों अस्तित्व ही नहीं रहता; जो कुछ भी अनुदार सरकार हाउस आफ़ कामन्स में पास कर देती है उसे वह बिना कुछ पूँछ-ताँछ किये चुपचाप स्वीकार कर लेता है। किंतु जिस क्षण शासन की बागडोर उदार सरकार के हाथ में आ जाती है, उसी क्षण से यह निर्जीव संस्था एक बारगी सजीव हो उठती

हैं, और फिर अपनी सारी शक्ति सरकारी पक्ष का विरोध करने में ही लगा दिया करती है।"

किसी जनतंत्रवादी देश के अन्दर एक ऐसी शासन-संस्था का होना ही विलक्षण बात है जो बड़े-बड़े ज़मींदारों, ताल्लुकेदारों, कोयले के व्यापारियों, बैंकरों एवं व्यापारिक महारथियों से मिलकर बनी हो। निस्सन्देह एक मज़दूर सरकार यदि चाहे तो अपने मज़दूर-पक्षीय सदस्यों को काफ़ी संख्या में नवाबी का रुतबा देकर लार्ड्स सभा में बैठा सकती है और इस प्रकार वहां के अनुदार पक्षीय बहुमत को नीचे गिरा सकती है। यही नहीं, इस बात की यदि एक धमकी मात्र भी दे दी जाय तो भी वह अपना पूरा असर दिखा सकती है। सन १९०७ में हावर्ड एवान्स ने लिखा था :—

"हम मानते हैं कि गाइनेस (Guinness) बड़ी अच्छी चीज़ें बेचता है और बास तथा ऐल्सप (Bass & Allsoph) का कारखाना भी बहुत बढ़िया शराब बेचता है। लेकिन क्या यह भी कोई ऐसा कारण है कि लार्ड आर्डिलान और आईवीग तथा बर्टन और हिन्डलिप (Lords Ardilaun and Iveagh and Burton and Hindlip) और उनके तमाम उत्तराधिकारी लोग इस बात के हक़दार समझे जाँय कि वे संपूर्ण बृटिश प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर अपनी कलम चलावें। ग्लिन्स (Glyns) और मिल्स (Mills) और लायड जोन्स (Lloyd-Jones) आदि ने लम्बार्ड स्ट्रीट में बड़ी भारी रक़म कमा ली है; तो क्या इससे वह हमारे राष्ट्रीय धन के वास्तविक पैदा करने वाले करोड़ों मज़दूरों पर नादिरशाही करेंगे ? अब और कब तक यह सहनशील बृटिश जनता अपनी उन्नति के पहियों में इस प्रकार के रोड़े बर्दाशत करती जायगी ? आओ जान मार्ले की इस प्राचीन उद्घोषणा को एक बार फिर गुंजरित कर दो कि :—"इसका सुधार हो

या अंत हो!" और अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखो जब तक कोई अंतिम निपटारा न हो जाय।"

पिछले पचास वर्षों में बृटिश जनता के एक बहुत बड़े भाग में लार्ड्स सभा तथा उसकी उपाधियों के प्रति कुछ घृणा का सा भाव पैदा हो रहा है, जो एक प्रकार से कल्याणकारी ही कहा जा सकता है। फिर भी कुछ अंश तक यह घृणा भी ठीक नहीं जान पड़ती, कारण कि लार्ड्स सभा तथा उसकी तमाम उपाधियां केवल पिछले ज़माने के बचे हुए चिन्ह मात्र हैं, जो हमारे इस आधुनिक युग के लिए विलक्षण प्रतीत होते हैं। परन्तु इन उपाधियों के पीछे धन, जायदाद और अधिकारों की एक ऐसी ज़बर्दस्त ताक़त छिपी हुई है, जिसका अंदाज़ा बहुत कम लोगों को है, और वही ताक़त वास्तव में बृटिश जनतन्त्रवाद पर शासन किया करती है। अनेक शताब्दियों तक ये उपाधियाँ इंग्लिस्तान पर हुकूमत रखने वाले भूमि-पतियों की शक्ति की सूचक थीं, किंतु अब ये भूमिपतियों के साथ-साथ उन व्यवसाय-पतियों की शक्ति की भी सूचक हैं, जो अनुदार दल के नाम से इंग्लिस्तान पर शासन किया करते हैं।

प्राय: सभी महत्वपूर्ण उपाधियाँ परंपरागत हुआ करती हैं। यह वास्तव में सम्पत्ति के उस परम्परागत स्वभाव की सूचना है, जो बृटिश समाज की आर्थिक और राजनैतिक प्रणाली का मूल स्वरूप कहा जा सकता है।

इस समय शासकवर्ग के अधिकतर भाग की सम्पत्ति और हैसियत उसके पूर्वजों से ही उत्तराधिकार के रूप में मिली है। बड़े-बड़े अंग्रेज़ धनिकों में से प्रतिशत क़रीब ८० अंग्रेज़ इस समय ऐसे हैं, जिनकी सम्पत्ति उन्हें उत्तराधिकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। केवल २० प्रतिशत बड़े व्यापारी यह गर्व कर सकते हैं कि वह अपने पैरों आप खड़े हुए हैं। यही हाल उपाधि-धारी घरानों का भी है। वर्तमान लार्ड्स सभा के तमाम सदस्यों में इस समय केवल ४१ ही प्रतिशत व्यक्ति

ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी उपाधियाँ इसी बीसवीं शताब्दी में प्राप्त हुई हैं। शेष सब पुरानी हैं और परम्परा के क्रम से आई हुई हैं। किन्तु यह संख्या भी इस समय कुछ विशेष रूप से अधिक हो गयी है, कारण कि पिछले सात आठ वर्षों में बहुत अधिक व्यवसाय पतियों पर यह उपाधि-वर्षा कर दी गयी थी। वस्तुतः हर पीढ़ी में जितने आदमियों को ये उपाधियाँ बांटी जाती हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी है।

ऊपर जो २० प्रतिशत अपने पैरों आप खड़े होने वाले धनिकों का हिसाब बतलाया गया है, उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्हों ने अपनी सारी सम्पत्ति केवल एक ही पीढ़ी में प्राप्त कर ली हो। अधिकांश को तो आरम्भ में पैत्रिक सम्पत्ति ही प्राप्त हुई थी, यद्यपि उसी को आगे चलकर उन्होंने बहुत अधिक बढ़ा लिया। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग सदा उत्तराधिकार पर ही निर्भर रहता है। परम्परागत उपाधियों पर उसकी विचित्र भक्ति, अपनी वंशावली के अध्ययन में उसका बेहद उत्साह तथा बर्क के 'पियरेज' (Burke's 'Peerage') जैसे भारी भारी ग्रंथों का प्रकाशन ये सब इस बात के अविचल प्रमाण कहे जा सकते हैं कि इस वर्ग का अस्तित्व उत्तराधिकार के सिद्धांत पर ही निर्भर है।

धन की इज़्ज़त के साथ वैसी ही इज़्ज़त परम्परागत अधिकारों की भी होनी ही चाहिए। बृटिश शासक घरानों की परम्परागत रूढ़ियों की निरंतरता उनकी परम्परागत सम्पत्ति के साथ ही साथ दिखाई देती है। जिन स्कूलों में उनकी शिक्षा होती है, जिस प्रकार की जीवनशैली उनके लड़कों के लिये निश्चित की जाती है और विशेष कर जिस प्रकार की राजनैतिक विचारधारा में वे लोग बहते रहते हैं उन सबों में इसी प्राचीन रूढ़ि-पालन का सिद्धांत दिखाई देता है।

अन्यत्र यह दिखा चुके हैं कि किस प्रकार शताब्दियों से नवाबी घरानों की संतान निरन्तर एक शृङ्खला के रूप में कामन्स सभा की

कुर्सियों पर अपना अधिकार जमाये हुए है। साथ ही यह भी हम देख आये हैं कि पिछले दो सौ वर्षों से किस प्रकार इन्हीं घरानों के आदमी मंत्रिमंडल में भी अपना अधिकार जमाये रहते हैं। व्यवसायिक क्रांति के द्वारा बृटिश समाज में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये, जिससे उसकी विचारशैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन एक बात जो अब तक नहीं बदली वह यह है कि ये नवाब अब भी अपने धन और अधिकारों की रक्षा के लिए देश को अपनी राजनैतिक अधीनता में रखना उसी प्रकार आवश्यक समझते हैं जैसा पहले।

अस्तु, आजकल भी बृटिश सरकार की नीति को प्रेरित करने वाली मुख्य वस्तु यही "शासक घराने" की विचार धारा है। ग्लैडस्टन के शब्दों में इस समय भी "बृटिश प्रजा की वास्तविक रुचि को कुचलने के लिए बलवानों, नवाबों, धनिकों और न जाने किन-किन लोगों का एक सुदृढ़ जत्था मौजूद है।"

अस्तु, हर एक जनतन्त्रवादी को चाहिए कि वह उपाधियों के अन्दर सदैव अपने जनतन्त्रवाद की प्रतिपक्षता का अनुभव करे; उपाधिधारी नवाबों की नीयत को अत्यन्त सन्देह की दृष्टि से देखे; और उसी प्रकार उनकी लिखी हुई बातों एवं कहे हुए शब्दों पर भी अपना पूर्ण अविश्वास रखे। आज जब कि सारे संसार में जनतन्त्र वाद अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, कुछ थोड़े से इने गिने ईमानदार और साहसी आदमी अवश्य ऐसे हो सकते हैं जो अपने को प्रजा के ही पक्ष में बनाये रखें। किंतु अधिकतर संख्या तो हर एक देश में केवल उन्हीं नवाबों और सामंतों की दिखाई देती है जो आज अनियंत्रित राज्य और ताना-शाही का साथ दे रहे हैं।



सातवाँ अध्याय

अनुदार राजनीतिज्ञों की सामाजिक व्युत्पत्ति

पिछले अध्याय में जिन नवाबों की चर्चा की गयी है, वे कामन्स सभा के अनुदार पक्षीय सदस्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बल्कि यों कहा जा सकता है कि सरकारी नेताओं पर उनका प्रभाव बड़ा ज़बर्दस्त है।

कामन्स सभा के तमाम अनुदार-पक्षीय सदस्यों में इन उपाधिधारी नवाबों और उनके बन्धु-बान्धवों की संख्या इस समय लगभग आधी होगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में भी तथा उपमंत्रियों एवं अन्य ऊँचे कर्मचारियों के पद पर इनकी संख्या कुल मिला कर आधी से कुछ कम कही जा सकती है।

इससे प्रकट है कि एक काफ़ी संख्या ऐसे अनुदार सदस्यों की भी है जो न तो अभी नवाब बनाये गये हैं और न नवाबी घराने में कोई वैवाहिक सम्बन्ध ही रखते हैं। इनका विचार पिछले अध्याय में नहीं किया गया। फिर भी कामन्स सभा में अनुदार-पक्षीय प्रतिनिधित्व के मूल स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन सबों का ही विचार करना आवश्यक होगा। पिछले अध्याय में केवल उन्हीं पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों की चर्चा की गई है, जिनकी प्रतिष्ठा और पद नवाबी वंश में जन्म पाने के कारण प्राप्त हुये हैं। साथ ही धन और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के साथ साथ अनुदार पक्षीय रूढ़ियों का किस प्रकार एक स्थायी लगाव चला आता है यह भी पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है। अब यहाँ सम्पूर्ण अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का वास्तविक स्वरूप समझने के पहिले यह आवश्यक जान पड़ता है कि

उन सबों के वंश पर भी एक दृष्टि डाल ली जाय, जिसमें उनका जन्म हुआ है।

इस समय कामन्स सभा के अनुदार सदस्यों में से क़रीब ३०० व्यक्तियों के पिताओं का परिचय आसानी से मिल सकता है। शेष सदस्यों के सम्बन्ध में उनकी शिक्षा सम्पत्ति और पेशों का विचार करते हुये जान पड़ता है कि वे सब भी प्रायः इसी नमूने के लोग हैं। नीचे ३०० उक्त सदस्यों के पिताओं को उनके पेशों के अनुसार विभक्त करके प्रतिशत के आंकड़ों में रखा गया है :—

अनुदार पार्लियेंटी सदस्यों के पिताओं के पेशे

१—कारखाने, बैंक और व्यापार	...	२८	प्रति शत।
२—ज़मीन और जायदाद के मालिक	...	२०	,, ,,
३—सेना में अफ़सर ...	...	१६	,, ,,
४—पेशेवर राजनैतिक लोग	...	१५	,, ,,
५—पादड़ी (Church) ...	...	७	,, ,,
६—ऊँचे दर्जे के हाकिम और राजनैतिक कर्मचारी ...	...	५	,, ,,
७—अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर, कारीगर इत्यादि पेशे वाले ...	...	८	,, ,,

इनमें से उपाधिधारी नवाबों के घराने प्रथम दो दर्जों में, अर्थात् 'कार-खाने, बैंक और व्यापार' तथा 'ज़मीन और जायदाद के मालिक' के वर्ग में सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त चौथे वर्ग अर्थात 'पेशेवर राजनैतिक लोग' में भी अधिकतर यही ज़मींदार एवं नवाब लोग भरे पड़े हैं, कारण कि पिछली पीढ़ी में आजकल की अपेक्षा यह और भी अधिक कठिन था कि कोई व्यक्ति बिना किसी ख़ान्दानी जायदाद की ताक़त रखे, अनुदार पक्ष की ओर से राजनैतिक पेशा प्राप्त कर सके। अस्तु, एक मात्र अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर, कारीगर आदि पेशे के आदमियों

को छोड़कर शेष सभी वर्ग के पिताओं में अपार धनराशि की उपस्थिति दिखाई देती है। केवल अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर आदि पेशे वालों में अवश्य कुछ थोड़े ही से ऐसे आदमी हैं जो भारी धनवान कहे जा सकते हैं। पादड़ियों, हाकमों एवं राजकर्मचारियों में भी सब नहीं तो अधिकांश व्यक्ति अवश्य धनवान हैं। साथ ही कुछ नवाबी घराने के लोग भी हाकिमों और राज कर्मचारियों के वर्ग में पाये जाते हैं।

'कारखाने, बैंक और व्यापार' के वर्ग में ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध नाम मौजूद हैं जैसे: बर्ड ('कस्टर्ड' अर्थात् पके हुये अन्डे और दूध से मिलकर बने खाद्यविशेष के व्यवसायी), कोर्टाल्ड ('रेयन' के व्यवसायी), क्रासली (मोटर-व्यवसायी), ग्रेटेन (बियर शराब), निकोल्सन (जिन), गेस्ट (लोहा और फौलाद), हैम्ब्रो (बैंकिंग), बीट और जोल (सोना और जवाहिरात), केजर (जहाजरानी), इत्यादि। ये सब के सब अतुल सम्पत्तिशाली घराने हैं।

व्यापार समिति (Board of Trade) के पार्लिमेंटी सेक्रेटरी तथा विदेशी व्यापार-विभाग के सचिव मिस्टर आर० एस० हडसन को अपने पिता राबर्ट विलियम हडसन से १,५०,००० पौंड उत्तराधिकार में मिले थे। पोलैंड, रूस, नार्वे तथा अन्य योरोपीय देशों के साथ व्यापारिक समझौता कराने में इनका हाथ विशेष रूप से रहा है।

कोर्टाल्ड (Courtalds) घराने के संबन्ध में भी जो निम्नलिखित रिपोर्ट एक दैनिक पत्र में छपी थी वह इन बड़े-बड़े घरानों की अतुल धनराशि का एक खासा नमूना कहा जा सकता है :—

"१९,००,००० पौंड का मुनाफ़ा केवल तीन दिन में! कोर्टाल्ड वंश की आमदनी"

"कोर्टाल्ड वंश के १,२०,००,००० पौंड बोनस बाँटने की खबर ने कल (लंदन के) स्टाक एक्सचेंज में बड़ी भारी हलचल पैदा कर दी। ऐसी हलचल कदाचित् इधर कई साल से देखने में नहीं आई

थी। दलाल लोग शहर को जाने वाली ट्रेनों की तरफ़ दौड़ पड़े, और शेयर बाज़ार खुलने के पहिले ही लोगों की एक भारी भीड़ शेयरों का सौदा करने में जुटी हुई थी। दलाल लोग अढ़तियों के पास तक पहुँचने के लिये धक्कामुक्की कर रहे थे। इसी प्रकार स्टाक एक्सचेंज बंद हो जाने के बाद भी लगभग तीन घंटे तक शेयरों की लेवा-बेंचा जारी रही।......इस प्रकार शेयरों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उससे कोर्टाल्ड घराने के लोगों ने खूब लाभ उठाया। इनमें से सोमरसेट हाउस के रजिस्टरों में दर्ज अठारह व्यक्तियों के पास १२,०७,६७८ साधारण शेयर और ६,८७,४०६ प्रिफरेन्स शेयर मौजूद हैं। इनका आदि मूल्य केवल १ पौंड प्रति शेयर था, किन्तु कल रात्रि में उनकी क़ीमत बढ़कर कुल १,१०,००,००० पौंड की हो गई।"

कामन्स सभा में इस घराने के वर्तमान सदस्य मेजर जान सिवेल कोर्टाल्ड (Major John Sewell Courtauld) हैं। इनके अतिरिक्त मेजर राल्फ़ रेनर तथा मि० आर० ए० बटलर भी, जो इस समय कामन्स सभा के मेम्बर हैं इसी घराने में ब्याहे हैं।

कुछ इने-गिने अपवादों को छोड़ कर शेष सभी पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों की वर्तमान ऊँची स्थिति केवल ऊँचे घरानों में जन्म पाने के कारण ही दिखाई देती है। साथ ही ये इने-गिने अपवाद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक 'खाने-पीने से खुश' मध्य श्रेणी के मनुष्य के लिए इस प्रभावशाली दल में स्थान पाना अत्यंत कठिन काम है। ये मध्य श्रेणी के 'खाने-पीने से खुश' पिता लोग अधिकतर अध्यापक डाक्टर, एंजीनियर, कारीगर आदि पेशे वालों में ही पाये जाते हैं, और इनकी संख्या कुल आदमियों में ८ प्रतिशत से अधिक नहीं है।

कुल ३०० से अधिक पार्लिमेंटी मेम्बरों में केवल एक ही व्यक्ति हमें ऐसा मिला है, जिसके पिता सचमुच 'ग़रीब' कहे जा सकते थे।

इस व्यक्ति का नाम 'सर वाल्टर वोमर्स्ले' (Sir Walter Womersley M. P.) है, जो इस समय असिस्टेन्ट पोस्ट मास्टर जेनरल है, और जिसको दस वर्ष की अवस्था में अपनी जीविका के लिए एक कारखाने के अंदर मज़दूरी करनी पड़ती थी। इसी से इस समय उसको लोग 'पार्लिमेंट में अनुदार पक्ष का अकेला मज़दूर' कहा करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तीन चार व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अपने पैरों आपही खड़े हुए हैं। यद्यपि इस समय ये धनवान हैं, किंतु फिर भी इनको अपने जन्म का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला था।

इस प्रकार के व्यक्तियों की इतनी अल्प संख्या अनुदार पक्ष में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि पेशेवर लोगों के लड़के, जिन्हें यदि धन का लाभ नहीं तो ऊँची शिक्षा का लाभ तो अवश्य मिला था, इस अनुदार पक्ष में बहुत कम भर्ती हो सके हैं। तारीख़ १४ मार्च सन् १९३९ के 'इवनिंग स्टैन्डर्ड' (Evening Standard) नामक पत्र में श्री ए० डफ़ कूपर नामक एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य स्वयं लिखते हैं :—

"एक निर्धन मनुष्य के लिए, यदि वह अनुदार पक्ष का है तो, कामन्स सभा में पहुँचना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊँट का सूई के नाके में घुसना। इससे यह तात्पर्य नहीं कि यह बात बिल्कुल ही असंभव है। वास्तव में इसकी संभावना केवल उतनी ही कही जा सकती है जितनी कि एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग द्वार तक पहुंचने की संभावना। दोनों ही अवस्थाओं में प्रवेश के लिए गहरी अड़चन है।"

पार्लिमेंट के अनुदार पक्षीय सदस्यों की उत्पत्ति का यह संक्षिप्त वर्णन एक बार फिर उसी बात को प्रमाणित करता है, जिसकी चर्चा पिछले अध्यायों में कर आये हैं, अर्थात अनुदार पक्ष वास्तव में धनाढ्यों का पक्ष है। बृटिश जाति के केवल मुट्ठीभर लोग शासन की बागडोर पर अपना सम्पूर्ण अधिकार एक ऐसी राजनैतिक पार्टी द्वारा

जमाये हुए हैं, जो हर एक बात को केवल उनकी ही आँखों से देखती है और हर एक मामले में सदा उनके ही हितों को सोचा करती है इस वर्ग के लोगों की सारी प्रतिष्ठा और हैसियत केवल उनके पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति और जायदाद पर ही निर्भर है। प्रोफ़ेसर कैनन (Prof. Cannan) सन् १९१२ के 'एकनामिक आउटलुक' (Economic Outlook) नाम पत्र में लिखते हैं :—

"जो सम्पत्ति लोगों ने वसीयत और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है उसकी असमानता ही समाज की साम्पत्तिक असमानता का सब से ज़बर्दस्त कारण है।"

धनी घरानों का एक छोटा सा समूह अपनी सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखे है। अपने वंशजों को यह न केवल परम्परा से धन ही प्रदान करता है बल्कि अपने उस अनुदार दल का प्रबंध भी उनके हाथों में दे जाता है, जो उनके धन और अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ज़बर्दस्त हथियार बना हुआ है।

इस धनिक समूह के पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए अलग से एक शानदार प्रबंध किया गया है। एटन (Eton) और हैरो (Harrow) के स्कूल, जहाँ इनकी शिक्षा होती है, बृटिश द्वीप के सब से शानदार और खर्चीले स्कूल कहे जा सकते हैं। यहाँ पर एक-एक लड़के की शिक्षा के लिए लगभग ३०० पौंड से कम सालाना खर्च नहीं पड़ा करता। क़रीब २३० पौंड तो इन स्कूलों में केवल वार्षिक फीस ही दे देनी पड़ती है। अस्तु, जब तक कोई आदमी बहुत ही अमीर न हो तब तक वह इन दोनों में से किसी स्कूल में अपने पुत्रों को पढ़ाने की आशा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये स्कूल केवल उन बड़े-बड़े अमीर अनुदार नेताओं के ही मतलब के हैं, जिनका ज़बर्दस्त पंजा देश की तमाम राजनैतिक संस्थाओं पर अपना मज़बूत अधिकार क़ायम किये है।

२८ अक्तूबर सन् १६३८ को इवनिंग न्यूज़ नामक पत्र लिखता है :—

"मिस्टर चेम्बरलेन के मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने के कारण दो पुराने 'एटोनियन' ('Etonians' अर्थात् एटन स्कूल के पुराने छात्रों) की बृद्धि हुई है। अर्ल स्टैनहोप और अर्ल डि-ला-वार अब अपने स्कूल के पुराने मित्रगण वाईकाउन्ट हेल्शम, जो कि कौंसिल के लार्डप्रेसिडेन्ट हैं, लार्ड हलीफ़क्स, जो इस समय पर राष्ट्र सचिव हैं, बोर्ड आफ़ ट्रेड के मिस्टर आलिवर स्टैनली तथा डची आफ़ लैंकेस्टर के चान्सलर अर्ल विंटरटन के साथ आ मिले हैं। इस प्रकार अब मंत्रिमंडल में एटन वालों का ही बहुमत है। रगबी के प्रतिनिधि-स्वयं प्रधान मंत्री हैं और हैरो के प्रतिनिधि सर सैमुअल होर तथा मार्कूस आफ़ ज़ेटलैंड हैं। आशा है कि कैप्टेन यूवान वैलेस (Captain Euan Wallace) के आगमन से हैरो वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी।"

लार्ड बाल्डविन भी हैरो के पुराने छात्र हैं। उन्होंने एक बार कहा था :—

"जिस समय गवर्नमेंट बनाने का मुझे निमंत्रण मिला तो सब से पहला विचार जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह था कि मेरी सरकार एक ऐसी सरकार हो, जिसके लिए हैरो को लज्जित होना न पड़े।"

अनुदार दल पर 'एटन' और 'हैरो' के प्राचीन छात्रों का अधिकार कई पीढ़ियों से बराबर चला आ रहा है। नीचे की सूची से विदित हो जायगा कि पिछले ३० वर्षों में इन दोनों स्कूलों के कितने प्रतिनिधि पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य रहे हैं :—

सन्	कुल अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	एटन और हैरो वालों की संख्या
१६०५	३८६	१४४ = ३७ प्रति शत
१६०६	१५७	६७ = ४३ ,, ,,
१६०८	४१५	१२८ = ३१ ,, ,,
१६०६	४१५	१२५ = ३० ,, ,,

बहुत से अनुदार पक्षीय सदस्यों ने कहाँ शिक्षा पायी थी इसका पता नहीं लग सका। किंतु यह निश्चय है कि एटन और हैरो वालों के जो आँकड़े ऊपर दिये गये हैं उनसे उनकी वास्तविक संख्या ज़रूर कुछ अधिक ही थी। साथ ही पार्लिमेंट के अंदर अनुदार पक्षवालों में हैरो की अपेक्षा एटन वालों की ही प्रधानता अधिक दिखाई देती रही है। सन् १६३८ में एटन वालों की संख्या १०१ थी और हैरो की केवल २४।

कुल बृटिश जनता में केवल ०·१% लोग एटन या हैरो में पढ़ते हैं। किंतु अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों में लगभग ३०% लोग यहीं से शिक्षा पाये हुए हैं। इतनी ऊँची फ़ीस देने की सामर्थ्य भी बृटिश जनता के केवल ०·१% से अधिक व्यक्तियों में नहीं है।

अस्तु, प्रत्यक्ष है कि ये ही स्कूल अनुदार दल के भावी राजनीतिज्ञों की ट्रेनिंग के अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इनकी गणना वस्तुतः उन तमाम संस्थाओं के सिलसिले में की जा सकती है जो अनुदार नेताओं की विचारशैली को बनाने और स्थिर करने में भाग लिया करती हैं। ये स्कूल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके विषय में कुछ और अधिक परिचय देना ज़रूरी जान पड़ता है।

इन स्कूलों का प्रबंध किसके हाथ में है? एटन का प्रबंध १० "फ़ेलो" (Fellows) से बना हुआ एक बोर्ड करता है। और हैरो

का प्रबंध १० गवर्नरों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन दोनों बोर्डों के सदस्य बैंक आफ इंग्लैंड के डिरेक्टर हैं: मिस्टर केसिल लबक एटन के बोर्ड में और लार्ड सेंट जस्ट हैरो के बोर्ड में। अन्य पाँच बड़े बैंकों में से भी बार्क्लेज़ बैंक के डिरेक्टर सर हैरल्ड स्नैग तथा नैशनल प्राविंशल बैंक के ज्वाइन्ट डिपुटी चेयरमैन आन० जैस्पर रिडले एटन के फेलो हैं।

साथ ही इनमें से प्रत्येक स्कूल के बोर्ड में अनुदार मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी रहा करता है: एटन में इस समय वाइकउान्ट हलीफ़क्स हैं, तथा हैरो में मार्क्स आफ ज़ेटलैंड हैं। इनके अतिरिक्त हैरो के बोर्ड में अनुदार मंत्रिमंडल के दो भूतपूर्व मंत्री भी अर्थात् एल० एस० एमरी साहब तथा लार्ड बाल्डविन हैं। एटन के फेलोज़ में भी 'दि टाइम्स' पत्र के सम्पादक ज़ाफ्रे डासन साहब हैं।

दोनों स्कूलों के संचालक वर्ग में कुछ थोड़े से विद्वानों को भी जगह दी जाती है, जिनमें से एक या दो इस समय उन्नतिशील विचार के भी लोग हैं। अस्तु, प्रकट है कि इन दोनों स्कूलों की शिक्षा नीति एवं प्रबंध का सम्पूर्ण भार अनुदार दल के मुख्य-मुख्य नेताओं के ही हाथ में रहा करता है।

वास्तव में हैरो और एटन बृटिश अनुदार नीति के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा-केंद्र हैं। आजकल के अनुदार नेताओं में से अधिकांश की शिक्षा उनके पूर्वजों के समान इन्हीं संस्थाओं में हुई थी; और अब उनके पुत्र भी उसी रूढ़ि के अनुसार यहीं तैयार हो रहे हैं।

यह बात नहीं है कि इन स्कूलों की पढ़ाई देश भर में सब से महँगी केवल आकस्मिक रूप से हो। वास्तव में यह ढंग इंग्लिस्तान के कुछ थोड़े से कुबेर-पुत्रों को प्रजा-वर्ग के अन्य साधारण लड़कों से अलग रखने के लिए ही जान बूझ कर निकाला गया है, और इन्हीं थोड़े से धन-कुबेरों में हमारे अनुदार दल के नेता लोग भी पाये जाते हैं।

विचित्रता तो यह है कि एटन और हैरो दोनों ही स्कूलों की स्थापना आरंभ में केवल 'सुयोग्य और चरित्रवान' तथा 'ग़रीब और असमर्थ' बालकों के लिए की गयी थी फिर भी उनके अमीर प्रबंधकों ने अपना स्वार्थ साधन करने के लिए चालबाज़ी का रास्ता पकड़ा और विधान के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा उनका मनमाना अर्थ लगा कर अपना मनोरथ सिद्ध किया। उदाहरण के तौर पर 'ग़रीब और असमर्थ' बालक का अर्थ यह लगाया गया कि बालक के माता-पिता या अभिभावक के ग़रीब होने की ज़रूरत नहीं; केवल बालक ही के धनहीन होने से मतलब है। इस प्रकार के विचित्र अर्थ से बड़े से बड़े धन-कुबेर का पुत्र भी 'ग़रीब और असमर्थ' की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसी ढंग से और भी कितने ही शब्दों की दुर्दशा की गयी और फिर अपना मतलब सिद्ध किया गया।

पार्लिमेंट के अन्य अनुदार सदस्यों में से, जिनकी शिक्षा एटन या हैरो के स्कूलों में नहीं हुई, क़रीब २३ ऐसे हैं जिन्होंने घर पर प्राइवेट अध्यापकों से पढ़ा है। इस प्रकार की शिक्षा भी अत्यधिक महँगी हुआ करती है। शेष में से १५४ व्यक्तियों ने ऐसे स्कूलों में शिक्षा पायी है, जो साधारण स्कूलों की अपेक्षा अधिक महँगे कहे जा सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के लिए स्कूल का चुनाव उसकी वशंगत रूढ़ि के विचार से ही किया जाता है। कुछ के पिता अपने पुत्रों को एटन या हैरो में केवल धार्मिक विचार से ही नहीं भेजते और किसी कैथोलिक सम्प्रदाय के स्कूल में पढ़ाते हैं।

अब स्कूलों के बाद विश्वविद्यालयों का नम्बर आता है। केवल २७२ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों से उनके विश्वविद्यालयों के नाम मिल सके हैं। इनमें से १८८ व्यक्ति तो आक्सफ़ोर्ड अथवा कैंब्रिज के विद्यार्थी रह चुके हैं; ५० ने प्रांतीय विश्वविद्यालयों में अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पायी थी और शेष ३४ व्यक्ति रायल मिलिटरी एवं नेवेल कालिजों से निकले हुए हैं।

अस्तु, यहाँ भी हम देखते हैं कि शिक्षा की जो सुहूलियतें अनुदार-पक्षीय लोगों को प्राप्त हैं वह ६८% बृटिश जनता को नसीब नहीं। अधिकांश अनुदार-पक्षीय नेताओं का आक्सफ़ोर्ड अथवा कैम्ब्रिज के विश्व-विद्यालयों में पढ़ना केवल इसलिए संभव हो सका कि उनके माता पिता धनवान थे। उनकी शिक्षा-सम्बंधी सुविधायें वस्तुतः उनकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उनकी ऊँची हैसियत के कारण प्राप्त हुई हैं। यदि सब नहीं तो इनमें से बहुसंख्यक लोग ज़रूर ऐसे दिखाई देते हैं, जिनका मानसिक विकास उस दर्जे तक नहीं पहुँच सका, जिससे यह कहा जा सके कि उनका आक्सफ़ोर्ड या कैम्ब्रिज में जाकर १००० पौंड के खर्च से विद्यालाभ करना उचित था। बात यह है कि मनुष्य के चुनाव के लिए उसके धन के विचार और उसकी योग्यता के विचार में बड़ा वैपरीत्य पड़ जाता है।

यह बात नहीं है कि अनुदार दल वालों में योग्यता की कमी कुछ विशेष रूप से पायी जाती हो। जिस प्रकार साधारण जनता में अधिकतर साधारण बुद्धि वालों की ही संख्या दिखाई देती है उसी प्रकार अनुदार दल के लोगों में भी इन्हीं साधारण लोगों की संख्या बहुतायत से मौजूद है। निस्सन्देह कुछ अनुदार दल के सदस्य पार्लिमेंट में ऐसे भी मौजूद हैं, जिनका चुनाव उनकी योग्यता के ही लिहाज़ से किया गया है; लेकिन इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। धन और वंश का विचार ही सर्वत्र प्रधान दिखाई देता है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा का भाव भी यहाँ व्यापक रूप से मौजूद है।

अर्ल विन्टर्टन अपनी 'युद्ध के पहले' (Pre-war) नामक पुस्तक में लिखते हैं कि अनुदार वर्ग की 'दिलचस्पी किसी ऐसी बात चीत में नहीं दीखती जिसमें मानसिक योग्यता की आवश्यकता रहती है'। मिस्टर एम० आर० हेली हचिन्सन एम० पी० भी यद्यपि

एटन तथा आक्सफ़ोर्ड में शिक्षा-लाभ कर चुके हैं, किंतु शिक्षा के प्रति अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं :—

"अधिकांश लोग ज़रूरत से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ा करते हैं। साधारण पठन पाठन के लिये बाइबिल, विशेषकर उसका Ecclesistes and Proverbs वाला अंश तथा शेक्सपियर के नाटक, मुख्यतः जूलियस सीज़र और हेनरी पाँचवें को पढ़ लेने से ही हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है।"

हम यह नहीं कहते कि अनुदार दल के सभी लोग हेली हचिन्सन के से विचार रखते हैं। लेकिन फिर भी उसके अधिकतर भाग की विचारशैली साधारणतया हेली हचिन्सन की ही विचारशैली के नमूने पर है, और मंत्रिमंडल में भी कम से कम एक सदस्य इसी विचार के हैं, इसमें ज़रा संदेह नहीं।

किन्तु अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों के लिए यह उतना आवश्यक भी नहीं है कि वे सब के सब अपने माथे में स्वतन्त्र बुद्धि ही रक्खें। केवल अनुदार पक्ष के सिद्धांतों में अविचल अंधी भक्ति ही उनके लिए काफ़ी होती है, कारण कि अनुदार शासकों का समूह अपने इन अनुयायियों से हर एक मामले पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के बजाय केवल आँख मूँद कर अपनी आज्ञाओं का पालन ही ज़्यादा उचित समझता है

अब इन अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की जीविका पर भी एक नज़र डालना है। पहिले दिखला आये हैं कि इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या बड़े-बड़े व्यापारियों एवं कम्पनी-डिरेक्टरों की है। लगभग १८१ अनुदार सदस्य इस समय अनेक कम्पनियों के डिरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अपने जीवन के किसी न किसी समय में बड़ी-बड़ी लिमिटेड कम्पनियों के डिरेक्टर रह चुके हैं। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि अपनी पारिवारिक

सम्पत्ति को पालना-पोसना और बढ़ाना ही धनिक परिवार के पुत्रों का ख़ास पेशा है। कितने लोग केवल अपनी रियासत और ज़मींदारी के प्रबन्ध में ही लगे रहते हैं। यद्यपि यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि पार्लिमेंट के कितने अनुदार सदस्यों के पास इस समय ज़मीन और रियासत है, अथवा कितने लोग मुख्यतः अपनी ज़मींदारी के प्रबन्ध में लगे हुये हैं, फिर भी इनमें से कम से कम बीस आदमी तो ऐसे अवश्य हैं जो अपने को स्वयं जमींदार कहते हैं और जिनकी जीविका के लिये इधर सिवाय जमींदारी के कोई दूसरा काम नहीं दिखाई देता। किन्तु यदि अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की वसीयतों का अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि उनमें ज़मींदारों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। कुछ न कुछ भूमि तो अधिकांश व्यक्तियों के पास है, किन्तु जिन लोगों की जीविका मुख्यतः भूमि की ही आय पर निर्भर है उनकी संख्या भी पचास या साठ से कम न होगी।

यद्यपि अपनी पारिवारिक सम्पत्ति का प्रबन्धही अधिकतर पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों का मुख्य रोज़गार है, फिर भी लगभग २०० व्यक्ति ऐसे हैं जिनके और दूसरे-दूसरे भी रोज़गार हैं। इन सबों के अलग-अलग ब्यौरे तो बतलाना कठिन है, किन्तु फिर भी बहुतों के ब्यौरे मालूम कर लिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

रेग्युलर सेना में अफ़सर	...	...	६६
बैरिस्टर	...	...	७८
सिविल सर्विस के भूतपूर्व अफ़सर		...	१६

इन सब पेशों में एक बात, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण दीखती है, यह है कि इन सबों का राष्ट्र सेवा से घना सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ सिविल सर्विस के द्वारा शासन की संपूर्ण मशीन चालू रहती है; न्याय-विभाग की तमाम ऊँची ऊँची जगहों पर, अर्थात् ऊँची से ऊँची अदालत-अपील के जजों से लेकर साधारण वेतनभोगी मजिस्ट्रेटों तक के पदों पर

बॅरिस्टरों का ही एक मात्र अधिकार रहता है; तथा फ़ौजी अफ़सरों के हाथ में राष्ट्र की अंतिम और सब से ज़बर्दस्त ताक़त रहा करती है।

अस्तु, इन पेशों को 'हुकूमत के पेशे' भी कह सकते हैं, इसलिए कि देश की हुकूमत में इन्हीं पेशेवालों का मुख्य भाग रहता है और इसलिए भी कि देश के हाकिम अनुदार दल वाले इन्हीं पेशों को पसन्द किया करते हैं। वास्तव में धनिकों के इस समूह ने बृटिश प्रजा पर अपना अधिकार दोहरे रूप में जमा रखा है। एक तो पार्लमेंट की कुर्सियों पर क़ब्ज़ा कर के और दूसरे, सरकारी नौकरियों के मुख्य-मुख्य पदों पर अपना अधिकार जमा कर। दूसरे देश के एक दर्शक ने इसी बात को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया है :—

"(इस धनिक) 'समाज' की वास्तविक शक्ति कुछ वैधानिक अधिकारों में नहीं, बल्कि शासन की संपूर्ण मशीन पर अपना अधिकार जमा लेने में है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उन सबों पर इसी दल का प्रभाव रहता है और इसलिए केवल वे ही व्यक्ति इन पदों के योग्य समझे जाते हैं, जो अपने जन्म से ही इस समाज के आदमी हैं। × × × × × अधिकांश जज और क़ानूनी अफ़सर, बिशप, तथा तमाम प्रतिष्ठित चर्चों के ऊँचे-ऊँचे पादड़ी एवं स्थल और जल सेना के ऊँचे ऊँचे अफ़सर सब इसी दल के आदमियों में से भर्ती किये जाते हैं। × × × सिविल सर्विस में भी इन्हीं नवाबों के उपाधिहीन छोटे बेटों, भतीजों, भाइयों तथा दूर के रिश्तेदारों की भरमार की जाती है।"

निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि सभी बैरिस्टर, सेना के अफ़सर अथवा सिविल सर्विस के कर्मचारी लोग धनिक वर्ग से ही लिये गये हैं। उपरोक्त वर्णन में कुछ थोड़ी सी अत्युक्ति ज़रूर है, कारण कि इन पदों पर बहुत से लोग मध्य श्रेणी के आदमियों में से भी अवश्य भर्ती किये जाते हैं। किंतु फिर भी जो पद अत्यन्त ऊँचे और बहुत ही

महत्वपूर्ण समझे जाते हैं उन सब पर अधिकतर धनी घराने के लोगों का क़ब्ज़ा है।

सेना पर अनुदार पक्ष का अधिकार एक विशेष महत्व का विषय है। लोगों की यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है कि बृटिश सेना राजनीति से बिल्कुल अलग रखी जाती हैं। वास्तव में पार्लिमेंट के अंदर बहुसंख्यक भूतपूर्व सैनिक अफ़सरों की उपस्थिति तो यह सिद्ध करती है कि यह सेना अनुदार पक्ष के लिये तैयार करने के लिए एक सुन्दर शिक्षा-भूमि है।

यह झूठ है कि सेना को हर प्रकार की राजनीति से अलग रक्खा जाता है। वास्तविक बात यह है कि अनुदार राजनीति के सिवाय और कोई दूसरे प्रकार की राजनीति वहाँ नहीं पहुँचने दी जाती। सेना को भड़काने के विरूद्ध जो क़ानून बनाये गये हैं उनका प्रयोजन सेना को राजनीति से अलग रखना नहीं है, बल्कि सेना में अनुदार राजनीति की शिक्षा को सुरक्षित बनाना है। अनुदारपक्षीय सैनिक अफ़सर भी यह खूब अच्छी तरह जानते हैं कि सेना में विरोधी दल की राजनीति के प्रचार को रोकने के लिये इस प्रकार के सैनिक कानून का उपयोग किस ढंग से करना चाहिए।

अस्तु, दूसरे देशों में जनतंत्रवाद के विरुद्ध जो बृटिश सेना इस्तेमाल की जाती है वह इसी ढंग की सेना है, जिसपर धनी नवाबों की मंडली ने अपना पूरा अधिकार जमा रखा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण स्पेन का गृहयुद्ध है। बलवे का संगठन अफ़सरों के समुदाय ने किया था और उनकी सहायता स्पेन के तमाम धनिक ज़मींदार और व्यापारियों ने की थी। अस्तु, बृटिश अनुदार-पक्षीय सेना की सहानुभूति भी स्वभावतः बलवाइयों के ही पक्ष में दिखाई पड़ी। प्रमाण-स्वरूप 'जर्नल आफ़ दि रायल यूनाइटेड सर्विसेज़ इन्स्टिट्यूट (Journal of Royal United Services Institute) नामक पत्र अपने एक सम्पादकीय लेख में लिखता है :—

"प्रायः सभी सेनाएँ स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी और देशभक्त

संस्थाएँ हुआ करती हैं, और देश की प्रतिष्ठा तथा एकता को क़ायम रखना ही उनका मुख्य अभीष्ट होता है। स्पेन में प्रजातंत्र शासन के कारण जो अधःपतन तेज़ी के साथ दिखाई दे रहा था, उसने सेना के अधिकांश अफ़सरों तथा अन्य देशभक्त सैनिकों को चौकन्ना बना दिया। स्पेन की रक्षा यदि हो सकती थी तो वह इसी सेना के हाथ से हो सकती थी अस्तु, मोराको स्थित स्पेनी सेना ने जेनरल फ्रांको की अधीनता में विद्रोह का झंडा सबसे पहले खड़ा किया।"

स्मरण रहे कि अभी बहुत समय नहीं हुआ कि आयर्लेंड में भी एक इसी प्रकार का विद्रोह बृटिश सेना के एक भाग ने अनुदार पक्षीय नेताओं के इशारे पर उठाने की चेष्टा की थी, जिससे पार्लिमेंट में आयरिश होमरूल बिल न पास हो सके। इन दोनों ही बलवों में एक घनिष्ठ समानता दिखाई देती है :—

"सर एडवर्ड कार्सन के जर्मन राइफ़लों से सुसज्जित उल्स्टर के स्वयंसेवक ही इधर डेढ़ सौ वर्षों में बृटिश राज्य के अंदर पहली बार बग़ावत करने वाले निकले। इनका मुक़ाबला एक ऐसी सरकार को करना पड़ा, जो सन् १९३६ की स्पेनी सरकार के सदृश ही रेग्युलर सेना पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती थी और संभव था कि कदाचित् वह इस बलवे को वहीं दबा देने में असमर्थ सिद्ध होती।"

पार्लिमेंट में तथा मंत्रि-मंडल में भी कुछ ऐसे अनुदार सदस्य मौजूद हैं, जिन्हों ने कुराग (Curragh rebellion) के बलवाइयों का साथ दिया था। प्रमाण-स्वरूप स्वयं अर्ल विंटर्टन ही इस बात को अपने जीवन-चरित में स्वीकार करते हैं। कैप्टेन विक्टर कैज़लेट तथा सर आर्नल्ड विल्सन जैसे भूतपूर्व सैनिक तथा वर्तमान पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य इस समय जेनरल फ्रांको के सब से ज़बर्दस्त समर्थकों में समझे जाते हैं।

सरकारी नौकरियों पर धनिक अनुदार पक्ष का जो अधिकार जमा हुआ है उससे उसका राजनैतिक प्रभाव अत्यंत स्थायी बन गया है।

अस्तु, जिस समय पार्लिमेंट में इस पक्ष का बहुमत न भी हो उस समय भी देश के शासन में उसका प्रभाव बराबर काम करता ही रहेगा। वास्तव में अनुदार पक्ष को शक्ति पार्लिमेंट की कुर्सियों के साथ-साथ सरकारी ओहदों पर भी अधिकार जमा लेने से ही क़ायम रह सकी है। इन दोनों ही पर इस समय प्रजावर्ग की इस नन्हीं सी संकुचित विचारों वाली धनिक मंडली का अधिकार क़ायम है।

ऊपर जिन पेशों को हम 'हुकूमत के पेशे' के नाम से परिचित करा आये हैं उनके मुक़ाबले में अब मध्य श्रेणी के पेशों का पार्लिमेंटी अनुदार दल में कितना प्रतिनिधित्व है इसे भी नीचे की सूची में देखिए :—

१—सालिसिटर	...	...	१०
२—पत्रकार	..		१५
३—डाक्टर	...	...	६
४—एकाउन्टेन्ट	...	...	८
५—स्कूल मास्टर	...	...	४
६—विद्वान वर्ग (भिन्न भिन्न विषय में)		...	६
७—शिल्पकार	...	...	२
८—दाँत बनाने वाले	...	...	१

बृटिश जनता में कम्पनी-डायरेक्टरों और डाक्टरों की संख्या लगभग एक सी है। किंतु अनुदार पक्ष में डाक्टरों के प्रतिनिधि केवल ६ हैं जब कि डायरेक्टरों की प्रतिनिधि-संख्या १८१ है। इसी प्रकार स्कूल-मास्टरों की संख्या बृटिश जनसमूह में सेनापतियों की संख्या से कहीं ज्यादा बढ़कर है, किंतु अनुदार दल में उनकी गिनती केवल ४ है और सेनापतियों की ७६। वैज्ञानिकों, युनिवर्सिटी-प्रोफ़ेसरों तथा लेक्चरर लोगों की भी संख्या उच्च राजकर्मचारियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, किंतु फिर भी राज-कर्मचारियों की तादाद अनुदार पक्ष में इन लोगों की दूनी से भी

अधिक है। डाक्टर, पत्र सम्पादक, सालिसिटर, युनीवर्सिटी के अध्यापकगण, शिल्पकार, दाँत बनानेवाले इत्यादि मध्य श्रेणी के तमाम पेशों के जितने आदमी अनुदार पार्लिमेंटी दल में मौजूद हैं उनकी कुल संख्या मिलाकर भी अकेली बीमा कम्पनियों के आदमियों की संख्या से विशेष अधिक नहीं होती।

किंतु मध्यश्रेणी की ऊपर जो संख्याएँ दी गयी हैं वे वास्तविक से कुछ अधिक ही हैं, कारण कि उनमें बहुत से ऐसे डाक्टर भी शामिल कर लिये गये हैं जो अब डाक्टरी नहीं करते। पत्र सम्पादक और सालिसिटर लोगों में भी अब कितने ही कम्पनी डायरेक्टर हो गये हैं। इनके अतिरिक्त १२ एंजीनियर भी हैं जो अब कम्पनियों के डायरेक्टर हो गये हैं और इसलिए उनके नाम नहीं शामिल किये गये।

किंतु फिर भी मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व अनुदार दल में कुछ कम नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कम्पनी डायरेक्टरों, भूतपूर्व सैनिकों, बैरिस्टरों, भूतपूर्व राजकर्मचारियों, जमींदारों इत्यादि का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत उसमें इतना अधिक है कि उनके मुकाबले में मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व बहुत कम जान पड़ता है। मध्यश्रेणी के पेशेवर लोग इंगलिस्तान के विशेषज्ञवर्ग कहे जा सकते हैं, किंतु अनुदार दल में धनिकों के प्रतिनिधित्व का महत्व क़ायम रखने के लिए इन विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व को बिल्कुल दबा दिया जाता है।

इससे भी अधिक एक और उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों में मज़दूर-मालिकों की संख्या इतनी अधिकता के साथ मौजूद है वहाँ मज़दूरवर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं दिखाई देता। बृटिश द्वीप की कुल जनसंख्या में ६० प्रतिशत से भी अधिक लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी प्रकार की नौकरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें श्रमिक, दफ़्तरों में काम करने वाले, सेल्समैन, कारखानों के फ़ोरमैन, सुपरिन्टेन्डेन्ट भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषज्ञ

इत्यादि सब शामिल हैं। वास्तव में इन्हीं के मिले हुए समूह को हम ब्रिटिश जनता के नाम से पुकार सकते हैं। इनमें का एक भी आदमी इस समय अनुदार पक्ष में नहीं दीखता। केवल इनके मालिक ही मालिक उसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार अनुदार दल एक प्रकार का निराला दल है, जो देश के प्रायः सभी मुख्य मुख्य पेशे वालों को पार्लिमेंट में अनुदार पक्षीय सदस्य होने से रोकता है।

अनुदार पक्षीय वोटरों को, बल्कि अनुदार पक्ष के साधारण सदस्यों तक को, अनुदार दल की नीति स्थिर करने में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अतएव अनुदार दल की कान्फरेंसों में यदि उत्साह का बिल्कुल अभाव दिखाई दे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है? स्वयं पीटर हावर्ड साहब, जो सन् १९३७ में स्कारबारो की अनुदार कान्फरेंस में एक प्रतिनिधि की हैसियत से उपस्थित थे, और जो बोर्नमाउथ की मजदूर कान्फरेन्स में भी सन्डे एक्सप्रेस (Sunday Express) नामक पत्र के संवाददाता की हैसियत से गये हुए थे, इन दोनों कान्फरेंसों की तुलना करते हुए इस प्रकार लिखते हैं:—

"भूल में मत पड़िए। इन वार्षिक अधिवेशनों में साम्यवादियों ने अनुदारों को मात कर दिया है। बोर्नमाउथ सजीव था और स्कारबारो निर्जीव। पार्लिमेंट का प्रायः प्रत्येक मजदूर सदस्य और ट्रेड यूनियनों का हर एक नेता बोर्नमाउथ पहुँचा हुआ था; किंतु अनुदार पक्ष के ३७० पार्लिमेंटी सदस्यों में से ५ प्रतिशत भी लोग स्कारबारो नहीं गये। बोर्नमाउथ—अव्वल दर्जे की वक्तृत्व-शक्ति। स्कारबारो—मध्यम श्रेणी के व्याख्यान। साम्यवादी प्रधान श्रीयुत् ऐटली साहब हर एक व्याख्यान को सुनते हुए आदि से अंत तक मंच पर बैठे रहे। किंतु स्कारबारो में चेम्बरलेन साहब केवल एक ही व्याख्यान के समय मौजूद रहे और उस व्याख्यान के भी देने वाले स्वयं वही थे।

"जिस समय एक अनुदार डेलीगेट मंच पर खड़ा बोल रहा था, उस समय मैंने मंच पर बैठने वाले १६ नेताओं को 'क्रासवर्ड पज़ल'

(Cross-word Puzzles) अर्थात् पहेलियाँ हल करते पाया। किंतु बोर्नमाउथ में लोगों की दिलचस्पी प्रत्येक भाषण में प्रकट हो रही थी। स्कारबारो में जब कोई साधारण दर्जे का डेलीगेट बोलता था तो उसके शब्द सभामंडप से उठ-उठ कर शराबखाने की तरफ़ जाने वालों की पदध्वनि में डूब जाते थे।

"बोर्नमाउथ में वाद विवाद की मात्रा अत्यधिक दिखाई दे रही थी ...... किंतु स्कारबारो में वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं। जब तक मैं वहाँ था किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध एक भी वोट नहीं दिखाई पड़ी। क्या इसी का अर्थ टोरी प्रतिनिधियों की प्रत्येक विषय पर सहमति है? नहीं। इसका अर्थ है केवल यह कि जिन-जिन विषयों पर टोरी दल वाले भिन्न-भिन्न राय रखते थे, वे टोरी कान्फरेंस में विचार के लिए रखे ही नहीं गये। अनुदारों की एक गुप्त समिति होती है, जो हर एक ऐसे प्रस्ताव को अलग कर देती है जिसपर मतभेद जान पड़ता है।

'बोर्नमाउथ से प्रतिनिधिगण उत्साह से भरे हुए वापस गये। स्कार-बारो से प्रतिनिधिगण केवल घर लौटने के लिए उत्सुक थे।"

अनुदार दल के साधारण सदस्य और समर्थक लोग भी वास्तविक अनुदार मंडली से सर्वथा अलग रक्खे जाते हैं। बहुधा अनुदार दल की नीति लंदन के खर्चीले क्लबों में ही तय की जाया करती है, किंतु उनमें अधिकांश अनुदार पक्ष के समर्थक प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वे उतना खर्च उठाने के लिए तैयार भी हो जाँय। उदाहरणार्थ आधे से ज्यादा पार्लिमेंट के अनुदार पक्षीय सदस्य कार्ल्टन क्लब के मेम्बर हैं, जिसका प्रवेश शुल्क ४० पौंड और वार्षिक चन्दा १७ गिन्नी है। अन्य सदस्य सिटी आफ़ लंदन क्लब के मेम्बर हैं। इसका प्रवेश-शुल्क १०० गिन्नी है और सालाना चन्दा १५ गिन्नी है। इस प्रकार प्रायः सभी अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य किसी न किसी खर्चीले क्लब के मेम्बर बने हैं, जिनमें से उपरोक्त दोनों क्लबों में इनकी संख्या

सबसे ज्यादा है। इनके अतिरिक्त प्रांतीय क्लबों, नौका-क्लबों तथा गाल्फ़-क्लबों में भी इनकी संख्या मौजूद है। अधिकांश लंदन क्लबों में, जहाँ ये लोग जाया करते हैं, प्रवेश-शुल्क की एक गहरी रक़म के अतिरिक्त कम से कम १२ से १८ पौंड तक सालाना ऊपरी खर्च बैठता है।

वास्तव में ये क्लब भी इस धनिक समुदाय के जीवन की सामाजिक पृथकता के एक भाग हैं। इस प्रकार के सामाजिक जीवन से शासक समूह और भी सुगठित बन जाता है और इसी समूह के हाथ में अनुदार दल की तमाम नीतियों का निर्णय भी रहता है। अस्तु, नवाबी की छाप इस शासक श्रेणी के जीवन के अंग-प्रत्यंग पर बैठ गयी है।

नवाबी उपाधियों और इनके महत्त्व एवं राजनैतिक प्रभावों के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। किंतु इनके अतिरिक्त अनुदार वर्ग में एक और भी समुदाय है, जो अपने विचार, सामाजिक कार्य, मन बहलाने के ढंग इत्यादि के कारण साधारण बृटिश समाज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है।

लगभग १०० अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्यों का जी बहलाने का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, चिड़िया मारना और जंगलों में शिकार करना है। कहना न होगा कि ये तीनों ही बड़े खर्चीले मन-बहलाव हैं। इनके अतिरिक्त कम से कम ३० व्यक्ति नौका-क्लबों के भी मेम्बर हैं। संक्षेप में एकमात्र गाल्फ़ को छोड़ कर, जो कि इनमें बहुत कम खेला जाता है, शायद ही कोई ऐसा खेल इनका है जो सर्व साधारण का खेल कहा जा सके।

लगभग आधे अनुदार पार्लिमेंटी मेम्बरों के पास अपने रहने के लिए दो-दो महल हैं, और बहुतों के पास तो तीन-तीन भी हैं। इनके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी रक़म दावतों में भी खर्च की जाया करती है। इन दावतों में अनुदार-पक्ष के मज़दूरों की तो कौन कहे मध्यश्रेणी के इज्जत-

दार लोग भी कितनी संख्या में पहुँच सकते हैं यह स्वयं सोचा जा सकता है।

वास्तव में जैसे लोगों के बीच में मनुष्य उठता-बैठता और रहा करता है, वैसे ही ढंग की उसकी विचार-शैली भी बन जाया करती है। पार्लिमेंट के अनुदार-पक्षीय सदस्यों का साथ बड़ी-बड़ी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों से है, अपने ही समान अपने अमीरी क्लबों के अमीर मेम्बरों से है, तथा चिड़ियों पर निशान लगानेवाले, मछली पकड़ने वाले और शिकार करने वाले मित्रों से है। अस्तु, बस यही समाज उनकी अनुदार नीति और विचार शैली को भी स्थिर करता है। उन लोगों के रहन-सहन का ढंग ही ऐसा है जो उन्हें साधारण मनुष्य के जीवन-प्रश्नों को समझने के लिए बिल्कुल अयोग्य बना दे। उनके राजनैतिक विचार एकमात्र उसी वर्ग के स्वार्थों को प्रकट कर सकते हैं जिसमें वह रहता है।

———

आठवां अध्याय

अनुदार दक्षिण पार्श्व

"स्पेन यदि फ्रांको के हाथ में आ गया, तो जिब्राल्टर के लिए खतरा है, और उपनिवेशों से फ्रांसीसी सेनाओं को भी बुलाना बोलियारिक द्वीपों की किले बंदी के कारण प्रायः असंभव हो जायगा। यदि ऐसी अवस्था आ गयी, तो जर्मनी फ्रान्स की वह दुर्दशा करेगा जैसी कदाचित् किसी देश ने आज तक अपने तमाम इतिहास में न देखी होगी.........।

"जापान से यह पूरी आशा की जा सकती है कि वह हांकांग पर अपना अधिकार करने का अवसर कदापि हाथ से न जाने देगा और इस का अर्थ वास्तव में वही होगा जो इंग्लेंड को सुदूर पूर्व से निकाल बाहर करने का हो सकता है। इंगलैंड को सब कुछ सहना पड़ेगा जो जर्मनी और इटली उसे सहावेगा। सारी दुनिया आज इंग्लैंड की वर्तमान नपुंसकता पर हँस रही है। सन् १९१४ के पूर्व वह इस अवस्था को बर्दाश्त करने के लिए कदापि तैयार न हुआ होता। इंग्लेंड इस समय अपने भयंकर शस्त्रीकरण द्वारा जर्मनी और इटली से आगे बढ़ने के प्रयत्न में है। किंतु शस्त्रास्त्रों में हमलोग इतने आगे बढ़े हुए हैं कि हमें कोई नहीं पा सकता।"—ताः ८ एप्रिल सन् १९३८ के मैंचेस्टर गार्जियन में प्रकाशित प्रोफेसर मैक्स ग्रुएन (Professr Max Gruen, Nazi authority) के एक व्याख्यान से उद्धृत।

देश की रक्षा की सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर है। लेकिन बृटेन की रक्षा उसकी सैनिक-शक्ति पर उतनी अधिक निर्भर नहीं जितनी

कि उन महत्वपूर्ण स्थानों के अधिकार पर है, जिनके द्वारा उसके व्यापारिक जहाज़ों का मार्ग सुरक्षित रह सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों की शक्ति पर भी उसे बहुत कुछ भरोसा रहा करता है। मित्रों की सैनिक शक्ति में यदि कुछ हानि पहुंच जाय तो उसका अर्थ यही होगा कि बृटेन की शक्ति में भी उतनी ही कमी आ गयी। इस अध्याय में हम पार्लिमेंट के अनुदार सदस्यों का रुख बृटिश द्वीप की रक्षा के सवाल पर क्या है इसका विचार करेंगे। इस समय बृटिश सरकार जर्मन ख़तरे के विरुद्ध बड़े ज़ोरों से तैयारी कर रही है। किंतु अनुदार पक्षीय लोग इस ख़तरे को किस दृष्टि से देखते हैं यही यहां देखना है। विकहैम स्टीड (Wickham Steed) का कहना है कि जर्मनी में हमें जो कुछ भय है वह उसके भीतरी शासन से है। अस्तु, अनुदार दल वाले इस शासन को किस दृष्टि से देखते हैं ?

यदि हम कुछ अनुदार नेताओं के पिछले भाषणों पर दृष्टि डालें तो जान पड़ेगा कि वे नाज़ी जर्मनी के बढ़ते हुए ख़तरे से बिल्कुल ही बेसुध रहते आये हैं। उदाहरणार्थ सन १६३३ में एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य सर टामस मोर (Sir Thomas Moor M. P.) का कहना था :—

"किंतु हर हिटलर को यदि मैं कुछ भी अपने निजी अनुभव से समझ सकता हूँ तो शांति और न्याय ही उसकी नीति के मूलमंत्र हैं।"—Sunday Dispatch, Oct. 22, 1933.

उस समय तो सर टामस मोर यहाँ तक आगे बढ़े हुए थे कि वह जर्मनी को उसके प्राचीन उपनिवेश वापस देकर उसकी शक्ति को और मज़बूत बनाने की राय दे रहे थे। यूनियनिस्ट कैनवासिंग कोर (Unionist Canvassing Corps) में भाषण करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि **"जर्मनी को पश्चिमी अफ्रिका में कुल पुराने उपनिवेश लौटा देने चाहिए, जिससे उसकी शक्ति के प्रयुक्त होने**

के लिए एक मार्ग खुल जाय।"—Daily Herald, 20th July, 1933.

सन १९३४ में भी सर टामस मोर जनता को इसी प्रकार शांति का झूठा सपना दिखा रहे थे। तारीख १८ फ़रवरी को उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था "हिटलर को एक मौका दो।" इसमें उन्होंने लिखा था कि **"मैंने अपना सब प्रकार से संतोष कर लिया है कि हर हिटलर एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है।"** कदाचित् सर टामस ने हर हिटलर का लिखा हुआ "मीन कैंफ़" (Mein Kampf) नहीं पढ़ा, जिसमें वह कहता है:—

"असत्य पर विश्वास जमाने के लिए एक निश्चित साधन उस असत्य का आकार है। . ... कारण कि जन सधारण का विशाल समूह अपने हृदय की पुरानी मिधाई में एक छोटे असत्य की अपेक्षा एक बड़े असत्य का जल्दी शिकार बन जाता है।"

अन्य पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य भी आगे वाले योरोपीय युद्ध के भय से बिल्कुल बेफ़िक्र थे और मध्य योरोप में जनतंत्र शासन के नाश को बुरा न समझ कर उसी रास्ते पर अपने देश को भी चलने के लिए सलाह दे रहे थे। उदाहरणार्थ सन १९३४ में सर आर्नल्ड विल्सन नामक एक अनुदार पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्य ने जर्मनी के सम्बंध में अपने विचार रेडियो द्वारा प्रकट किये थे। इस पर 'मैंचेस्टर गार्जियन' पत्र की टिप्पणी इस प्रकार निकली थी :—

"नवीन शासन का यह गुण-गान आज तक हमने जो कुछ सुना था उसमें सब से चोखा निकला। सर आर्नल्ड विल्सन को कहीं एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो असंतुष्ट हो। × × जो कुछ उन्होंने सिद्ध करना चाहा वह यह था कि जर्मनी में सैनिकता कहीं भी नहीं है।...... अंग्रेज़ श्रोताओं पर उनकी इस सलाह का कदाचित् कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा कि हमें जर्मन पद्धति का अध्ययन करके और

उसे काट-छाँट कर स्वयं अपने काम में लाना चाहिए।—(मई २४, १६२४)।

सन् १६३५ में भी, जिस समय जर्मनी का शस्त्रीकरण बहुत कुछ आगे बढ़ चुका था, सर आर्नल्ड को साम्राज्य के लिए भय की कोई संभावना नहीं दिखाई दी :—

"अपनी निज की जर्मन यात्राओं में उन्हें यह धारणा हो गयी थी कि किसी भी बड़े राष्ट्र से हमारे लिए युद्ध की इतनी कम संभावना नहीं है जितनी जर्मनी से।"—३ री मई सन १६३५ के टाइम्स नामक पत्र से उद्धृत।

म्यूनिक का समझौता हो चुकने के बाद भी आर्नल्ड विल्सन हमें यही समझाते रहे कि "वह इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जर्मनी की नीयत बृटेन अथवा बृटिश सम्राज्य से मुक़ाबला करने की है।" और दिसम्बर सन् १६३८ में उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी को समझौते के तौर पर उसके पुराने उपनिवेश वापस कर देने चाहिए।

यहाँ तक कि जिस समय चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन सेना का अधिकार हो जाने के कारण समस्त इंगलिस्तान में प्रतिवाद का एक तूफ़ान सा उमड़ उठा था और म्यूनिक समझौते के पक्षपातियों तक के नेत्र खुल गये थे, उस समय भी कितने अनुदार-पक्षीय लोग यही राग अलाप रहे थे कि हिटलर की नीति से इस देश (अर्थात् इग्लेंड) को कोई भय नहीं है। मिस्टर एनीसले सोमरविल (Annesley Somervile, Conservative M. P.) ने कामन्स सभा की एक बहस में, जो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन अधिकार हो जाने के बाद ही की गयी थी, इस प्रकार कहा था :—

"हमें चाहिए कि हिट्लर को हम जितना वह दक्षिण-पूर्वीय योरोप में आगे बढ़ सकता है बढ़ने दें। व्यापार में हमारा हिस्सा फिर भी बना रहेगा......इससे निश्चय है कि उसके मार्ग में विरोध और कठि-

नाइयाँ स्वयं बढ़ जाँयगी। किंतु जितना ही अधिक हम उसका विरोध करेंगे उतना अधिक उसका विरोध कमज़ोर पड़ जायगा।"

एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर एस० एस० डे चेयर ने भी इसी अवसर पर कहा था :—

"मेरा ऐसा ख़याल नहीं है कि हिटलर का इरादा इस देश की हुकूमत से मुक़ाबला करने का है!"—मार्च १५ सन् १९३९ को होने वाली कामन्स सभा की बहस में।

२४ फ़रवरी सन् १९३७ को एक मज़ेदार रस्म-अदाई की गयी थी। इसमें "जर्मन राजदूत ने चमड़ा बेचने वालों की कम्पनी के ओर से सर क्लाड हालिस (Sir Claude Hollis, G. C. M. G., C. B. E.) द्वारा अर्पित किये गये एक झंडे को स्वीकार किया था। इस रस्म अदाई में फ़ेलोशिप के चेयरमैन लार्ड माउन्ट टेम्पल का भी पूरा सहयोग था।"

ऊपर जिस 'फ़ेलोशिप' का उल्लेख किया गया है वह एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप है। सर टामस मोर एम० पी०, लार्ड रेंडिसडेल तथा लार्ड माउन्ट टेम्पल सभी इस संख्या के मेम्बर हैं।

"एंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप की उत्पत्ति नाज़ी शासन की स्थापना के बाद हुई है और न्यूनाधिक रूप में वह पुरानी एंग्लो-जर्मन सोसाइटी का स्थानापन्न है, जिसके अध्यक्ष लार्ड रीडिंग थे। नाज़ी-विद्रोह के पश्चात् इसका काम काज सब बंद हो गया था। इसके अंग्रेज़ सदस्यों में श्रीयुत् अर्नेस्ट टेनेन्ट हैं, जो उसके एक अवैतनिक मंत्री हैं, तथा मार्क्स आफ़ क्लाइज़्सडेल और कई एक सिटी बैंकर हैं, जिनमें मिस्टर सैमुअल गाइनेस का भी एक नाम है।"—'इवनिंग स्टैन्डर्ड' (नवम्बर २८, सन् १९३५)।

पुरानी एंग्लो-जर्मन सोसाइटी के बंद हो जाने का कारण यह था कि नाज़ी पक्ष इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था और इसके कितने ही सदस्य भी हिटलर के तरीकों को पसंद नहीं करते थे।

अब उसके स्थानापन्न ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के उद्देश्य इसके वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रकार बतलाये गये हैं:—

"यह बात ठीक है कि ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप का कार्य राजनैतिक दलबंदी से बिल्कुल अलग है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों जातियों में भ्रातृभाव की वृद्धि करना ही है, किंतु फिर भी उद्देश्य चाहे जितना अराजनैतिक हो, परंतु उसकी पूर्ति का महत्वपूर्ण परिणाम उनकी नीति पर पड़ना अवश्यंभावी है।"

इसी की प्रतिसहयोगी संस्था, जो जर्मनी में स्थापित है, अंग्रेज़ी सदस्यों को दावतें दिया करती है और साथ ही उन्हें "उस आन्दोलन के समझने में सहायता देती है, जो इस समय जर्मनी के जीवन को एक नये साँचे में ढाल रहा है और उन्हें यह दिखाना चाहती है कि वहाँ के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार की सुधार करने वाली शक्तियाँ इस समय काम कर रही हैं।"

न्यूज़ रिव्यू (News Review) अपने एक लेख में उक्त फ़ेलोशिप के अंग्रेज़ी सदस्यों का वर्णन इस प्रकार करता है:—

"...... (ये सदस्य) बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यवसायपतियों के प्रसिद्ध नेता हैं, जिनका यह दावा है कि हिटलर का पक्ष न्याय की दृष्टि से "लाजवाब" है, और जिन्होंने लंदन में बड़े-बड़े अमीरी ढंग पर सुसज्जित क्लब भी खोल रखे हैं, जहाँ नाज़ीवाद का प्रचार किया जाता है, तथा जर्मन राष्ट्रीय-समाजवाद (National Socialism) के मंत्रियों को दावतें दी जाती हैं।"

—२३ जनवरी १९३६।

लार्ड लंडनडरी अपनी पुस्तक 'हम और जर्मनी' ('Ourselves and Germany) की भूमिका में अपने लिए लिखते हैं:—

'पाँच साल से अधिक हुए जब से और विशेषकर सन १९३५ से जब मैंने वायुमंत्री (Air-ministry) के पद से इस्तीफ़ा दिया

था, मैं इस देश (अर्थात् इंग्लैंड) के लोगों को बराबर समझाता रहा कि जर्मनी और उसकी समस्याओं के विषय में समझदारी से काम लेना चाहिए।"

नाज़ी और फासिस्ट सरकारों ने अपनी-अपनी प्रजाओं को अन्य देशवासियों के सम्पर्क से बिल्कुल अलग कर रखा है। जब से नाज़ी-शासन का प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन सम्बंधी अनेक संस्थाओं, शांति-परिषदों तथा अन्य सभी प्रकार की सभाओं ने अपनी-अपनी जर्मन शाखाएँ और सहयोगी समितियाँ तोड़ दीं। बात यह है कि वाह्यजगत् से किसी भी प्रकार के सम्बंध के लिए, जिसपर नाज़ी सरकार का आधिपत्य नहीं है, जर्मन में मनाही कर दी गयी है। किंतु ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप से नाजी सरकार की विशेष सहानुभूति है, कारण कि इस संस्था में नाज़ी दल के ऐसे-ऐसे बड़े और प्रसिद्ध नेता मेहमान रहा करते हैं, जैसे—हर वान रिबेनट्राप; फील्ड मार्शलवान ब्लाम वर्ग; हरवान शैमर अन्ड ओस्टन (Herr Von Tschammer-und Osten); डाक्टर अर्न्स्ट वोर्मान इत्यादि।

बदले में फ़ेलोशिप के भी अनेक सदस्य नाज़ी नेताओं के यहाँ मेहमान रह चुके हैं। उदाहरणार्थ लार्ड लंडनडरी ही जर्मनी में कई बार जाकर हिट्लर और जेनरल गेरिंग (Goering) के मेहमान रहे हैं। इनके अतिरिक्त जिन सदस्यों ने हिट्लर से भेंट की है इनमें लार्ड माउन्ट टेम्पल, सर बैरी डामवाइल, लार्ड ब्रेकेट, लार्ड स्टम्प, लार्ड मैकगाउन तथा लार्ड लोथियन के नाम भी गिनाये जा सकते हैं।

अस्तु, उक्त संस्था का दो जातियों में भ्रातृभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य मुख्यतः नाज़ी दल और अनुदार दल के कुछ नेताओं एवं व्यवसाय-पतियों के भ्रातृभाव में फलता-फूलता दिखाई पड़ता है।

नाज़ी पक्ष ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के साथ क्यों इतनी अधिक सहानुभूति रखता है यह जानना कठिन नहीं। सब से पहले तो फेलोशिप

यद्यपि अपने किसी नियम द्वारा नाज़ी सरकार की वाह्य अथवा आन्तरिक नीति का समर्थन करने के लिये वाध्य नहीं है, फिर भी वह उसके लिएं इंग्लिस्तान में एक ऐसा व्याख्यान-मंच प्रयुक्त करता है, जहाँ से नाज़ी दल के नेतागण अपने सिद्धांतों का प्रचार कर सकें और अपनी शासन-पद्धति के लिए बृटिश जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। इसके १९३६-३७ के वार्षिक रिपोर्ट को तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि समय-समय पर इस संस्था ने इंग्लैंड में अनेक नाज़ी नेताओं के लिए सभाएँ संघटित की हैं और व्याख्यान कराये हैं। साथ ही अंग्रेज़ सदस्य भी जब-जब जर्मनी की सभाओं में गये हैं तो वहाँ हिट्लर, गेरिंग तथा अन्य नाज़ी नेताओं द्वारा उनकी आवभगत की गयी है।

दूसरा कारण इसके साथ नाज़ी सहानुभूति का यह है कि जर्मनी में नाज़ी पक्ष का प्रचार करने के लिए भी ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के सदस्यों के नाम से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ, सन् १९३८ में नाज़ी वार्षिकोत्सव के समय पर प्रसिद्ध जर्मन पत्र Berliner Tageblatt में बृटिश नेवल इन्टेलिजेन्स के डायरेक्टर सर बैरी डामविल तथा मार्क्स आफ़ लंडनडरी के बधाई सवाद छापे गये थे। स्वयं वान रिबन ट्राप ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जर्मनी को राजनैतिक क्षेत्र में ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप से अत्यधिक सहायता मिली है।

नाज़ी सरकार को यह कहने का अवसर मिल गया है कि उसके पुराने उपनिवेशों को लौटाने का समर्थन कितने ही इग्लैंड तक के नेता कर रहे हैं और इसी दलील से वह बृटिश सरकार पर भी बराबर अपना दवाव डालने का प्रयत्न करती रही। जिन अंग्रेज़ नेताओं के नाम से वह लाभ उठा रही थी, वे अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य एवं नवाब-मंडली के ही लोग थे।

अब ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप का कुछ विशेष वृत्तांत देने एवं उसके सदस्यों की सूची प्रकट करने के पूर्व हम यह बतला देना चाहते हैं कि यह संस्था इंग्लिस्तान में अपने ढंग की केवल एक ही संस्था नहीं है। वस्तुतः इस देश में इस प्रकार की संस्थाओं की एक पूरी माला सी दिखाई देती है, जिनमें से यह भी एक है। अवश्य ही इसका स्थान सब से ऊँचा है, किंतु फिर भी स्थिति को पूरी तौर से समझने के लिए कुछ अन्य संस्थाओं के भी नाम दे देना आवश्यक जान पड़ता है निम्नलिखित संस्थाओं के नाम विशेष उल्लेख-योग्य जान पड़ते हैं:—

(१) ऐंग्लो-जर्मन केमरेड शाफ्ट (Anglo-German Kamerad Schaft);
(२) ऐंग्लो-जर्मन सर्किल (Anglo-German Circle).
(३) ऐंग्लो-जर्मन एकेडमिक ब्यूरो (Anglo-German Academic Bureau),
(४) दि लिंक (The Link).

इनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्था 'दि लिंक' है।

"...... एडमिरल सर बैरी डामविल, जो कि हर हिट्लर, हर वान रिबनट्राप, हर हिमलर तथा नवीन जर्मनी के अन्य नेताओं के दोस्त हैं, इस समय अपनी व्यक्तिगत मित्रता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी से इसका नाम 'लिंक' (कड़ी) पड़ा। लिंक का निर्माण कई महीनों तक होता रहा। सर बेरी डामविल हिट्लर के यहाँ दो बार मेहमान रह चुके। अभी एक सप्ताह के लिए वह हर हिमलर के साथ हरिणों का शिकार खेलने गये थे

"परिणाम यह हुआ कि केवल इंग्लैंड में ही इस संस्था का ज़ोर नहीं बढ़ा, बल्कि जर्मनी में भी एक संस्था इसी ढंग की क़ायम कर दी गयी है।

"दि लिंक ..... सर बैरी डामविल की पैदा की हुई चीज़ है। वही इसके जन्मदाता और अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने मुझसे कहा था कि इंग्लैंड में यद्यपि ऐंग्लो-जर्मन संस्थाएँ बहुत सी हैं, किंतु उनके आपस में कोई सहयोग नहीं दीखता। ...... यही कारण है कि हममें से कुछ लोगों को एक ऐसी संस्था स्थापित करने की आवश्यकता जान पड़ी जो वास्तव में लोकप्रिय हो। .... लगभग एक हज़ार सदस्य तो हमारी इसी सभा के अब तक हो चुके हैं और इसकी शाखाएँ भी बर्मिंघम, साउथेन्ड, चेल्सी, तथा बेज़वाटर में खुल गयी हैं। इनके अतिरिक्त और भी शाखाएँ बेल्फ़ास्ट, क्रायडन, सालन, अक्सफोर्ड, एबर्डीन तथा केपटाउन में खुलने जा रही हैं।

"हमें आशा है कि लंदन तथा देश के अन्य भागों में स्थित जर्मन लोग इस सभा के सदस्य हो जायंगे। इससे वे अंग्रेज सदस्यों के साथ सामाजिक उत्सवों में, व्याख्यानों में तथा सिनेमा में मुलाकात कर सकेंगे।

" ..... हर हिटलर स्वयं इस आन्दोलन में अत्यंत दिलचस्पी रखते हैं।"

—आब्सर्वर (Observer), २८ नवम्बर सन १९३७।

यह सर बैरी डामविल साहब अभी सन १९३६ में ही सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। इसके पहले यह निम्नलिखित पदों पर काम कर चुके हैं:—

(१) कमिटी आफ़ इम्पीरयल डिफ़ेन्स के उपमंत्री, १९१२ से १९१४ तक।

(२) डायरेक्टर आफ़ नेवल इन्टेलिजेन्स, १९२७-३०।

(३) वार कालेज में कमांडिंग वाइस-ऐडमिरल, १९३२-३४।

इस समय यह 'दि लिंक' के चेयरमैन हैं। अन्य सदस्यों की नामावली इस प्रकार है:—

(१) सर रेमन्ड बीजले ...... वाइस चेयरमैन।

(२) लार्ड रेडिसडे
(३) लार्ड मेम्पिल
(४) सी० ई० कैरोल
(५) प्रो० ए० पी० लागी
(६) ए० ई० आर० डायर
(७) आर्किबाल्ड क्राफ़र्ड

...... कौंसिल (कार्य कारिणी) के सदस्य।

ऊपर जिन कौंसिल के सदस्यों का नाम लिखा गया है वे सब ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के भी मेम्बर हैं। मिस्टर सी० ई० कैरोल 'ऐंग्लो-जर्मन रिव्यू' (Anglo-German Review) के सम्पादक भी हैं, जो 'दि लिंक' का मुख्य-पत्र है और जिसका झुकाव सदैव नाज़ी पक्ष की ही ओर दिखाई देता रहा है, तथा जिसे जर्मन विज्ञापन-दाताओं से भी भरपूर सहायता मिलती रही है। यह पत्र हिट्लर और जर्मन-पत्रकारों का पक्ष लेकर बृटिश राजनीतिज्ञों को सदैव खरी-खोटी सुनाता रहा। चर्चिल साहब को भी इसने दुनिया का "निश्चयात्मक रूप से सब से भारी युद्ध-व्यसायी" बतलाया। अन्थनी एडेन साहब के विषय में इसने कहा था कि "परराष्ट्र-सचिव-पद के लिए यदि सब से दुर्भाग्य पूर्ण चुनाव किसी व्यक्ति का आज तक किया गया है तो वह इन्हीं का है।"

जनतंत्रवादी सस्थांओं पर इस पत्र का बुरी तरह से आक्रमण होता रहा। चेकोस्लो-वाकिया के प्रश्न पर साइनर मुसोलिनी ने एक बार कहा था :—

"मुझे विश्वास नहीं कि योरोप एक सड़े अंडे को पकाने के लिए अपने घर में आग लगा देगा।"

सड़े अंडे से यहाँ तात्पर्य्य चेकोस्लोवाकिया का है। इस कथन को उक्त पत्र ने 'सुंदर विचार' शीर्षक देकर छापा था और इसे 'महीने का सबसे शुद्ध भावनापूर्ण विचार' बतलाया था। डाक्टर बीनिस (Dr. Benes) पर इस पत्र की विशेष कृपा होती रही और उन्हें यह अपनी गालियों और कटूक्तियों से सदा ही सम्मानित करता रहा। यह डाक्टर बीनिस वही महापुरुष थे, जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया जनतंत्र-शासन की नौका को उस समय भी सुरक्षित रखा था, जिस समय अन्य मध्य योरोपीय देशों में तानाशाही स्थापित हो चुकी थी।

सन १६३८ में यह पत्र लिथुआनिया के विरुद्ध जर्मन माँगों का समर्थन कर रहा था। अमेरिका की भी इसने म्युनिक कांड के समय उसकी उचित सलाह के लिए हँसी उड़ाई थी तथा लार्ड बाल्डविन ने जिस समय जर्मन यहूदियों और अन्य भागे हुए लोगों के पक्ष में अपनी अपील प्रकाशित की थी तब इसने उनकी भी खबर ली थी। दिसम्बर सन् १६३८ में इसने अनेक ऐसे लेख विशेषज्ञों से लिखवा कर प्रकाशित किये जिनके द्वारा इंगलिस्तान के पत्रों और भाषणों की स्वतंत्रता पर ताला लगाने की सिफ़ारिश की गयी थी। एक लेख में मेजर जेनरल सर वाइन्डम चाइल्ड्स (Major-General Sir Wyndham Childs) ने कुछ ऐसी विधियाँ तजवीज़ की थीं जिनसे योरोपीय डिक्टेटरों के विरुद्ध आक्षेप करने के लिए अंग्रेज़ी पत्रों पर मानहानि का क़ानून प्रयुक्त किया जा सकता था। जनतंत्रवाद पर तो इस पत्र का आक्रमण खुल्लमखुल्ला और सदैव बुरी तरह से होता रहा। राष्ट्रसंघ (League of Nations) के सम्बंध में इसने लिखा था :—

"राष्ट्रसंघ-स्थापन की कल्पना ·····कुछ ऐसे 'विचारवानों के

मस्तिष्क की उपज थी जो ब्रिटेन और अमेरिका की दुर्भाग्यमूर्तियाँ कहे जा सकते हैं।'

कामन्स सभा के अनेक अनुदारपक्षीय सदस्यों ने ऐंग्लो-जर्मन रिव्यू का पक्ष समर्थन करने और उसकी जर्मनी के साथ समझौते वाली नीति की प्रशंसा करने के लिए अपने अपने संदेश भेजे थे, जिनमें से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं :—

(१) जाफ़े हचिन्सन (Mr. Geoffrey Hutchinson);
(२) टामस मैग्ने (Mr. Thomes Magnay);
(३) सर हेनरी पेज क्राफ़्ट (Sir Henry Page Croft)
(४) सर जे वार्डला मिल्ने (Sir J. Wardlaw-Milne);
(५) मिस थेल्मा कैज़लेट (Miss Thelma Cazolet);
(६) सर टामस मोर (Sir Thomas Moore);
(७) सर अर्नेस्ट बेनेट (Sir Ernest Bennet);
(८) कैप्टेन ए० एच० एम० रैम्ज़े (Capt. A. H. M. Ramsay);
(९) सर फ्रेंक सैंडर्सन (Sir Trank Sanderson);
(१०) सर जे० स्मेड्ली क्रुक (Sir J. Smedley Crook);

इनके अतिरिक्त लार्ड्स सभा के भी बहुत से सदस्य इनमें शामिल थे।

ऐंग्लो जर्मन रिव्यू का मुद्रण और प्रकाशन लिंक हाउस, स्ट्रैन्ड, लन्दन (W.C. 2) में हुआ करता है।

इस प्रकार एक ओर तो ब्रिटिश सरकार नाज़ी शक्ति का मुक़ाबला करने के लिए प्रचंड सैनिक तैयारियाँ कर रही थी और दूसरी ओर उसके कितने ही अनुदार नेता ऐसी-ऐसी संस्थाओं के सदस्य बने हुए थे तथा उनकी सहायता करते थे, जो इंगलिस्तान में नाज़ीवाद का प्रचार करने के लिए सब प्रकार के साधन प्रयुक्त कर रही थीं।

ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप, जैसा कि पहिले लिख आये हैं, इस प्रकार की संस्थाओं में सब से महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी सभाओं द्वारा बड़े-बड़े नाज़ी नेता जर्मनी की बाह्य और आंतरिक नीति की खूबियों का इंग्लिस्तान में प्रचार किया करते थे।* उनके लेखों और ग्रंथों को भी इसी संस्था द्वारा इंग्लिस्तान में प्रसिद्ध की जाती थी। फ़ासिस्ट फ़िल्मों का भी प्रदर्शन होता था। तथा "जर्मन शिक्षा विशारदों" का व्याख्यान भी अंग्रेज़ अध्यापकों के लिए कराया जाता था। न्यूरेम्बर्ग के नाज़ी कांग्रेस में इस संस्था के तमाम सदस्यों को निमंत्रित किया जाता था।

हाउस आफ़ कामन्स के अनुदार पक्षीय सदस्यों में से तीन व्यक्ति इस संस्था की कार्य-कारिणी काउंन्सिल के मेम्बर और लगभग २५ व्यक्ति इसके साधारण मेम्बर हैं। हाउस आफ़ लार्डस के सदस्यों में तो इन मेम्बरों की संख्या और भी अधिक है। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य नवाबी घरानों के आदमी भी इस संस्था के मेम्बर हैं। लार्ड हलीफ़क्स† भी इस संस्था में अतिथि रूप से रह चुके हैं।

उपरोक्त सदस्यों में से अधिकांश बड़े बड़े व्यवसायपतियों, ताल्लुकेदारों, जमींदारों एवं ब्रिटिश नवाबों के ही नाम हैं। इससे केवल उक्त संस्था की शक्ति की विशालता ही नहीं प्रकट होती, बल्कि यह भी विदित होता है कि ब्रिटिश समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो नाज़ी पक्ष का मित्र है और जिसके लिए उक्त संस्था एक संघटन क्षेत्र तैयार कर रही है।

*नोट- अब जर्मनी के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण यह प्रचार-कार्य स्वभावत: बंद है।

† यह लार्ड हलीफक्स वही हैं जो भारतवर्ष में लार्ड अर्विन के नाम से पहिले वाइसराय रह चुके हैं। —हि० प्र० गो०

नाज़ी पक्ष का खुल्लमखुल्ला समर्थन करने वाले केवल मुट्ठी भर ही अंग्रेज़ हैं, किंतु म्यूनिक की समझौते वाली सरकारी नीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन्हीं मुट्ठीभर लोगों का अंग्रेज़ी हुकूमत पर कितना ज़बर्दस्त प्रभाव है। अधिकांश अनुदार-पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्यों ने भी इस सरकारी नीति का समर्थन कर के प्रकट कर दिया कि वास्तव में वे भी इन्हीं मुट्ठी भर लोगों की विचारशैली के अनुकरण करने वाले हैं। केवल २० अनुदार सदस्य ऐसे थे जो इस प्रश्न पर कामन्स सभा में वोट लिये जाने के समय तटस्थ रहे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे, जिनको फ़ासिस्ट शत्रु की कृपादृष्टि की अपेक्षा साम्राज्य-रक्षा की ही अधिक चिंता थी।

अनेक अनुदार सदस्य केवल जर्मनी के ही नहीं, वरन् उसके मित्रों के भी हिमायती हैं। ये मित्र इटली, जापान, और फ्रांको-शासित स्पेन हैं। इन्हीं पर जर्मनी को सब से बड़ा भरोसा है। हर हिटलर का कहना है कि "वह मित्रता, जिसका उद्देश्य भावी युद्ध न हो, बिल्कुल अर्थहीन और अनुपयोगी है। अस्तु, प्रकट है कि रोम, बर्लिन और टोकियो की मित्रता युद्ध में एक साथ रहने वाली मित्रता है। फ्रांको को भी इन्होंने अपना मित्र बना रखा है, कारण कि स्पेन की भौगोलिक स्थिति बृटेन और फ्रांस के लिए मार्मिक होने कारण के इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अस्तु, अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्यों में जर्मनी के साथ-साथ इटली, स्पेन और जापान के भी हिमायती पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, वाई काउन्ट ईशर (Viscount Esher), जो कि ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप के भी एक सदस्य हैं, चीन पर जापानी आक्रमण का समर्थन इस प्रकार करते हैं :—

"......जापान को अपनी व्यवसायी जनता का हितरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़े व्यापार-क्षेत्र की ज़रूरत थी। अतएव उत्तरीय चीन के अविकास प्राप्त क्षेत्र की ओर उसकी दृष्टि जाना बिल्कुल स्वाभाविक था।"—दि टाइम्स, जुलाई १, १९३८।

इटली के हिमायतियों ने **'इटली-मित्रमंडल'** (Friend of Italy) नामक इंग्लैंड में एक अलग संस्था ही बना ली है। इस संस्था के अवैतनिक सभापति और कर्ता धर्ता सर हैरी ब्रिटेन (Sir Harry Britain) हैं, जो ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप के भी एक सदस्य हैं। इसी फ़ेलोशिप के एक दूसरे सदस्य लार्ड माटिस्टन (Lord Mattisone) ने भी हाउस आफ़ लार्डस में अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण का समर्थन इस प्रकार किया था :—

"एक ओर रक्त के प्यासे करोड़ों अत्याचारी (अर्थात् अबीसीनियन) थे, जिनकी सहायता के लिए शस्त्रास्त्र भेजने का प्रस्ताव किया जा रहा था, और दूसरी ओर वह आदरणीय और दयावान (इटैलियन) सेना थी, जो अपने एक लाख या डेढ़ लाख आदमियों की उदरपूर्ति का प्रश्न सामने रहते हुए भी यह कह रही थी कि जो लोग उसकी शरण में आयेंगे वे भी उसके भोजन में हिस्से पायेंगे।...... ...यह एक बड़ी नीच बात थी कि इन झूठे और पाशवी मनुष्यों के लिए तो हथियारों की रवानगी होने दी जाय और उन दूसरे लोगों के लिए इसकी मनाही कर दी जाय, जो एक आदरणीय कार्य में लगे हुए थे।"—टाइम्स २६ अक्तूबर १६३५।

एक दूसरे अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य सर आर्नल्ड विल्सन भी इसी प्रकार अबीसिनिया को इटली के हाथ में पूरी तौर से छोड़ देने के लिए जोर दे रहे थे।

जर्मनी और इटली को जो सब से बड़ी चिंता इधर कुछ वर्षों से व्याकुल कर रही थी, वह वस्तुतः कुछ नये-नये और श्रेष्ठतर जहाज़ी अड्डों को प्राप्त करने की चिंता थी, जैसा कि सैनिक विद्या सम्बंधी एक जर्मन ग्रंथ (German "Handbook of Modern Science", 1936) में कहा भी है :—

"बड़ी-बड़ी नौसैनिक शक्ति राष्ट्रों की विदेशी नीति के स्थिर करने में जहाज़ी अड्डों की प्राप्ति का प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कभी-कभी निर्णायात्मक भाग लिया करता है !"

यह प्रश्न रोम-बर्लिन गुट्ट की नीति को स्पेन में मुख्यतः संचालित कर रहा था एक प्रसिद्ध इटैलियन जेनरल (General Amboroggio Borlotti, quoted in 'Il Mediterraned', February, 1938) का स्वयं कहना है :—

"हमें स्पेनियों पर अपना प्रभाव जमा रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम भूमध्य-सागर को कदापि मुसोलिनी के शब्दों में 'इटली की झील' नहीं बना सकते। अस्तु, यही कारण है कि आज हम फ्रांको की मदद कर रहे हैं।"

अंग्रेज़ों की कुछ अनुदार मंडली फ्रांको को किसी प्रकार का लालच देकर फुसला लेने की बात सोचती है, किंतु यह केवल उनका भ्रम ही भ्रम है। एक रोम का पत्र (Relazioni-Internazionali) अपने १२ फ़रवरी सन् १९३९ के अंक में इस प्रकार के विचारवालों की खिल्ली उड़ा कर लिखता है :—

"जनतंत्रवादी महाशयो ! हम आनन्दपूर्वक आप को बतला देना चाहते हैं कि आपकी रिश्वत देने वाली इस आख़िरी कोशिश का भी बदला हम पूरी तौर से ले लेने वाले हैं। कारण यह कि छुरी की बेंट अब हमारे ही हाथ में है। स्पेन की यह विजय फ़ासिस्ट-विजय है, यह बात तुमको सदा ध्यान में रखनी होगी।"

जर्मनी और इटली स्पेन में जाकर केवल इसलिए लड़े थे कि वहाँ वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें और सैनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से कुछ लाभ उठा सकें। अस्तु, जो लाभ वे वहाँ प्राप्त कर चुके हैं, उसकी रक्षा के लिए भी वे अब अवश्य ही लड़ेंगे। बृटिश सरकार को यह बात कितनी ही बार याद रखा दी गयी थी कि अगर जनतंत्र-

वादी शक्तियाँ उस समय तक चुपचाप बैठी रहेंगी जब तक कि फ्रांको स्पेन में निश्चितरूप से विजयी न हो जाय, तो फिर उस देश से जर्मनी और इटली के पैरों को उखाड़ना एक कठिन समस्या हो जायगी। इस सम्बंध में प्रोफ़ेसर ब्रायलो (जो आक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं), कैप्टेन बी० एच० लिडेल हार्ट (जो लंदन के टाइम्स पत्र के सैनिक संवाद-दाता हैं), तथा मिस्टर जे० एमिलिन जोन्स (जो कार्डिफ़ चैम्बर आफ़ कामर्स के अध्यक्ष हैं) के हस्ताक्षर से जो बयान निकला था, उसमें से निम्न लिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है :—

"एक फ़ासिस्ट स्पेन इटली के साथ मैत्री जोड़ कर हमारे सामुद्रिक आवागमन को असम्भव नहीं तो कष्टसंभव अवश्य बना देगा। उस समय जिब्राल्टर में हमारा समुद्री अड्डा क़ायम न रह सकेगा और इंगलिस्तान से लेकर सिकन्दरिया तक, लगभग ३००० मील की दूरी में, हमारे पास एक भी समुद्री अड्डा न रह जायगा। इसके साथ ही स्पेन के पूर्वीय तटों पर स्थित तथा बेलियारिक द्वीपों के सामुद्रिक और हवाई अड्डे हमारे लिए भूमध्य सागर से होकर आने-जाने का मार्ग खुला रखने और वहाँ अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के काम में भारी अड़चन पैदा कर देंगे। फ्रांस के लिए भी इसी तरह अपने अफ़्रीकन उपनिवेशों के साथ आमद-रफ़्त क़ायम रखना भयपूर्ण बन जायगा। उत्तमाशा अंतरीप (Cape of Good Hope) से घूम कर जो दूसरा रास्ता पूर्व को जाने वाला है वह भी उस समय खतरे से खाली न रहेगा, जब स्पेन के पश्चिमी तटों और कनारी द्वीपों की हवाई सेना और जलमग्न नौकाएँ अपना-अपना आक्रमण आरम्भ कर देंगी। उधर फ्रांस को भी अपनी तीनों ओर की स्थल-सीमाओं को बचाने की चिन्ता पड़ जायगी, कारण कि उसके तीनों ओर शत्रुओं का एक घेरा सा बन जायगा। अस्तु, सैनिक दृष्टि से स्पेन का मित्र बना रहना ही हमारे लिए वांछनीय है, उसकी

तटस्थता हमारे लिए नितांत आवश्यक है।

किंतु फ्रांको, जो इस समय अपनी युद्ध सामग्री एवं सैनिक सहायता के लिए पूर्णतया इटली और जर्मनी पर निर्भर है, योरोपियन युद्ध के समय अपने को, इच्छा रहते हुए भी किसी प्रकार उनसे तटस्थ न रख सकेगा।"

इस प्रकार की जोखिम इंग्लिस्तान के लिए जेनेरल फ्रांको की विजय से होते हुए भी पार्लिमेंट के कितने ही अनुदार-पक्षीय सदस्य स्पेनी युद्ध के समय फ्रांको की प्रत्येक जीत का स्वागत किया करते थे और कहते थे कि :—

"हम तो ईश्वर से मना रहे हैं कि स्पेन में विजयश्री फ्रांको के ही हाथ लगे, और जितनी ही जल्दी यह विजय मिले उतना ही अच्छा है।"

—सर आर्नल्ड विल्सन एम० पी० का कथन मैंचेस्टर गार्जियन पत्र के ११ जून सन् १९३८ के अंक से उद्धृत।

यही नहीं, इन अनुदार नेताओं ने फ्रांको का पक्ष समर्थन करने, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने एवं उसे सहायता देने के लिए भी इंग्लैंड में तीन-तीन संस्थाएँ कायम कर रखी थीं, जिनके नाम थे :—

(१) राष्ट्रीय स्पेन-मित्र-मंडल (Friends of National Spain);
(२) स्पेनी बाल-स्वदेशागमन-समिति (Spanish Childrens Repariation Committee);
(३) संयुक्त ईसाई मोर्चा (The United Christian Front);

इन संस्थाओं की संचालक समितियों में पार्लिमेंट के निम्नलिखित अनुदार पक्षीय नेतागण सदस्य बने हुए थे :—

(१) कैप्टेन विक्टर कैज़लेट (Captain Victor Cazalet);
(२) सर हेनरी पेज क्राफ़्ट (Sir Henry Page Croft);

(३) मिस्टर ए० टी० लेनक्स-बायड (Mr. A. T. Lennox Boyd);

(४) मि० आर० ग्रांट फ़ेरिस (Mr. R. Grant Ferris);

(५) सर नायर्नें स्टुअर्ट सैन्डमैन (Sir Nairne Stewert Sandman);

(६) मि० अल्फ्रेड डेनविल (Mr. Alfred Denville);

(७) कैप्टे० ए० एच० एम० रैम्ज़े (Capt. A. H. M. Ramsay);

(८) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Walmer);

(९) लेफ़्ट० कर्नल सी० आई० कर्र (Lt.-Col. C. I. Kerr);

(१०) कैप्टेन जे० एच० एफ० मैक् ईवेन (Capt. J. H. F. McEven);

(११) वाईकाउन्ट कैसलरीग (Viscount Castlereagh);

किंतु जेनरेल फ्रांको के प्रति पार्लिमेंटी सदस्यों की सहानुभूति केवल इन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। अनुदार दल में इस प्रकार के लोगों की एक काफ़ी अच्छी संख्या मौजूद है। उदाहरणार्थ हेनरी चैनन (Mr. Henry Channon) नामक एक अनुदार सदस्य का एक सभा में कहना था—

"फ्रांको का मैं स्वयं ...... एक ज़बर्दस्त पक्षपाती हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसी की जीत हो।"

जार्ज बाल्फ़ोर नाम के एक दूसरे अनुदार-पक्षीय नेता ने भी कहा था—

"स्पेन के लिए फ्रांको एक बड़ा भारी काम कर रहा है।"

इसी प्रकार ए० सी० कासली, सर अल्फ्रेड नाक्स, पैट्रिक डोनर आदि अनेक अनुदार सदस्यों के भी बयान दिये जा सकते हैं। इन सब पर जर्मन और इटैलियन लेखकों के सिंहनाद, जेनरल फ्रांको और उसके अधीनस्थ सेनापतियों के भाषण, तथा स्वयं इंग्लैंड के विशेषज्ञों की चेतावनियाँ तक अपना कुछ असर पैदा न कर सकीं। स्वदेश और स्वराष्ट्र की हितचिंता इनकी प्रतिक्रियात्मक चित्तवृत्ति की कठोरता के सामने बिल्कुल लाचार थी।

बृटिश सरकार स्पेन के गृहयुद्ध में अपनी नितान्त तटस्थता का विज्ञापन करती फिरती थी और इधर उसके चट्टे-बट्टे इस तटस्थता को ताक पर रखकर फ्रांको का पक्ष समर्थन करने में लगे थे और उसकी जय जयकार मनाया करते थे।

प्रतिक्रियात्मक स्वार्थ ने राजनैतिक बुद्धि को बिल्कुल अंधा कर दिया था, नहीं तो यह असंभव था कि ये राजनैतिक नेता इटली के प्रमुख व्यक्ति जेनरल एटोर ग्रासेटी (General Ettore Grassotti) के निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में न लाते, जो उसने मिलन-विश्वविद्यालय के एक सैनिक भाषण में कहा था:—

"सार्डीनिया और सिसली के पश्चिमी समुद्र तटों के साथ बेलियारिक द्वीपों की प्रणाली हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ति दे देती है जिससे अंग्रेज़ों की जिब्राल्टर-माल्टा प्रणाली बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस प्रकार पामा दि मेजारिका (Pama de Majorirca) में इटली का प्रभाव और मलीला (Melilla) तथा स्यूटा (Ceuta) में जर्मनी का प्रभाव एक साथ मिलकर रोम-बर्लिन-गुट्ट की तक़ात को पश्चिम भूमध्य सागर तक फैला देते हैं, जिससे बृटिश प्रणाली की नस अपने मूलस्थान जिब्राल्टर में ही कट जाती है। ......"

पार्लिमेंट के एक अनुदार सदस्य कैप्टेन विक्टर कैज़लेट Captain Victor Cazalet M. P.) ने फ्रांको को "हमारे पक्ष का वर्तमान नेता" कह कर पुकारा था। किंतु फ्रांको जिस पक्ष का

प्रतिनिधि है वह वास्तव में हिट्लर और मुसोलिनी का पक्ष है। बृटेन हिट्लर और मुसोलिनी को अपना शत्रु समझता है, किंतु ये अनुदार नेता उनके पक्ष को स्वयं अपना पक्ष मानते हैं।

बृटिश सरकार की ओर से यह कभी नहीं कहा गया कि "**हम फ्रांको के हिमायती हैं**'। वह केवल यही कहती आयी है कि '**फ्रांको के विरुद्ध स्पेनी प्रजातंत्र को सहायता देना हमारे लिए भयजनक होगा।**' इसी प्रकार उसने यह भी कभी नहीं कहा कि '**हम हिट्लर के सहायक हैं।**' केवल यही कहती आयी कि "**चेकोस्लेवाकिया का पक्ष लेना हमारे लिए ख़तरे का काम है।**" किंतु बहुत से अनुदार-पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्य इस प्रकार घुमाव-फिराव वाली बातें न कह कर बिलकुल साफ़-साफ़ यह कह रहे थे कि "**हम हिट्लर, मुसोलिनी और फ्रांको के सहायक हैं**"; और फिर भी वे ऊँचे-ऊँचे सरकारी ओहदों पर बैठा दिये जाते थे तथा उपाधियों से विभूषित किये जाते थे। इस प्रकार उनके कहे हुए शब्द सरकारी दावे को बिलकुल झूठा सिद्ध कर देते हैं और सरकारी नीयत की भी असलियत बतला देते हैं।

चेकोस्लोवाकिया बृटेन और फ्रांस का एक मित्र था, किंतु आज वही नाज़ी जर्मनी का एक टुकड़ा है। उसकी सेना में १,८०,००० सिपाही हर समय तैयार रहते थे और युद्ध के समय उसकी संख्या अनिवार्य सैनिक-भर्ती के द्वारा साढ़े बारह लाख तक पहुंचाई जा सकती थी। एक हज़ार से अधिक उसके पास लड़ाकू और बम बरसाने वाले हवाई जहाज़ भी थे और शस्त्रास्त्र के कारख़ाने तो उसके पास इतने ज़बर्दस्त थे कि इटली के कारखानों से वे तिगुने बड़े कहे जा सकते थे। म्यूनिक समझौते के पहिले ये सब बृटेन और फ्रांस के लिये भली भांति काम में लाये जा सकते थे, किंतु आज वही जर्मन सेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। 'शूबर लाइन' (Schoeber Lino) की क़िलेबन्दी, जिसमें ८,००००००० पौंड का व्यय किया गया था, अब जर्मनी के राज्यांतर्गत है, प्रसिद्ध स्कोडा का फ़ौजी कारख़ाना जर्मनों के हाथ में है,

और रासायनिक वस्तुओं को तैयार करने वाला वह कारखाना भी, जो योरोप का दूसरा सब से बड़ा रासायनिक कारखाना कहा जाता है, इस समय जर्मनी के अधीन है।

इन सब हानियों की पूरी ज़िम्मेदारी बृटिश सरकार की 'म्यूनिक-समझौते वाली नीति' पर ही है। इसी नीति ने बृटेन को मध्य योरोप में उसके एकमात्र मित्र चेकोस्लोवाकिया से वंचित कर दिया है और इसी ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी बेतरह बढ़ा दिया है। फिर भी अनुदार दल के नेताओं ने म्यूनिक के इस समझौते को अपने पक्ष की एक भारी जीत मानी और उसका स्वागत किया तथा उसके लिये खुशियां मनाईं।

रूस भी सन् १९१४ के योरोपीय महायुद्ध में इंगलैंड का एक मित्र था और पूर्वीय मोर्चे पर अपनी लगभग २० लाख सेना को जर्मनी के विरुद्ध बराबर तीन वर्ष तक लड़ाता रहा। उस समय यदि रूस इस प्रकार सहायता न देता तो इंगलैंड और फ्रांस न जाने किस दशा को पहुंच गये होते। किंतु फिर भी अनुदार दल वाले आज उसी के साथ सहयोग करने के विरोधी हैं। वर्तमान युद्ध की नाजुक परिस्थिति भी उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं कर पाती। कारण प्रत्यक्ष है। वे रूस की वर्तमान शासन पद्धति को नापसंद करते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अतएव वे रूस के साथ आपद्धर्म के तौर पर भी कोई सैनिक मित्रता नहीं रखना चाहते—उस रूस के साथ जो आज सन् १९१४ की अपेक्षा कई गुणा शक्तिशाली है और युद्ध की सूरत में कायापलट पैदा कर सकता है। कोई दूसरी सरकार यदि ऐसी नाजुक स्थिति में होती तो मित्र पैदा करने के लिए तमाम दुनिया की खाक छान डालती, किंतु अनुदार बृटिश सरकार की चित्तवृत्ति पर अनुदारता का बहुत ठोस आवरण चढ़ा हुआ है।

इस अनुदार चित्तवृत्ति की अंधता का प्रमाण अन्य बातों से भी बराबर प्रकट होता रहा है। जिस समय जर्मनी में हिटलर की सैनिक

तैयारियाँ की जा रहीं थीं, उस समय भी अनुदार बृटिश सरकार ने उसे रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया। पिछले महायुद्ध में जनतंत्रवाद के नाम पर कैसर के साम्राज्य-स्वप्न को नष्ट करने के लिये करोड़ों आदमियों का खून बहा दिया गया था। किंतु आज हिटलर ने आधे से ज़्यादा योरोप का जनतंत्रवाद अपने पैरों से कुचल डाला, और फिर भी अनुदार बृटिश सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। यहां तक कि स्वयं एक अनुदार नेता मिस्टर चर्चिल तक को कहना पड़ा कि—

"राजनैतिक क्षेत्र में हिट्लर का जिस समय आगमन हुआ था, उस समय जर्मनी मित्रों के पैरों पर लोट रहा था। अब कदाचित् वह दिन भी आने वाला है, जब योरोप का बचा-खुचा हिस्सा भी जर्मनी के पैरों पर लोटता दिखाई दे। ......

"पिछले महायुद्ध के बाद और विशेषकर पिछले तीन वर्षों में बृटिश और फ्रेंच सरकारों ने जो सुस्ती और जो मूर्खता दिखलाई है, उसके बिना हिट्लर की यह सफलता, या उसका किसी राजनैतिक शक्ति के रूप में जीवित रहना ही, कदापि संभव न हो सकता। हिट्लर के पहिले जो कई एक दूसरी सरकारें जर्मनी में पार्लिमेंट की पद्धति पर स्थापित की गयी थीं उनमें से एक के साथ भी समझौता करने का कोई सच्चा प्रयत्न नहीं किया गया।"

—नवम्बर १६३५

जर्मनी की जनतंत्रवादी सरकारों से अंग्रेज़ अनुदार शासकों ने कुछभी सहयोग या समझौता करने की कोशिश न की। प्रत्युत् हिट्लर की उदीयमान शक्ति की सराहना कर कर के उसे बराबर प्रोत्साहित किया जाता रहा। राजनैतिक मामलों में अनुदार अंग्रेज़ शासकों की विचारशैली हिट्लर की विचारशैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती सी है, और इसी लिए उनमें एक पारस्परिक सहानुभूति का भाव पाया जाता है। अस्तु, इसी सहानुभूति के कारण इन अंग्रेज़ शासकों की

जिसका नाम अब बदल कर **'नागरिक सेवा समिति'** (Citizen Service League) रख दिया गया है।

(२) नौसैनिक समिति (Navy League),

(३) उपनिवेश-समिति (Colonial League),

इन सब संस्थाओं के विचार बृटिश साम्राज्यशाही की रक्षा के विषय में तो प्रायः एकसे हैं और ये सभी उसकी आवश्यकता पर बराबर ज़ोर भी देते रहते हैं, किंतु सैनिक दृष्टि से जो स्थान बृटेन के लिए मार्मिक कहे जा सकते हैं उनकी रक्षा के लिए इनमें अनेक प्रकार के मतभेद हैं।

इस प्रकार एक ओर तो अनुदारों की एक भारी संख्या बृटिश शासन पर अपना अधिकार जमाये है और जर्मनी तथा इटली को प्रसन्न रखने की नीति का पालन करती रही है, दूसरी ओर एक थोड़ीसी संख्या ऐसे अनुदार लोगों की है जो सरकार की विदेशी नीति के विरुद्ध हैं। किंतु दोनों ही समुदायों में इतने प्रकार के विचार और मतभेद भरे हुए हैं कि सम्पूर्ण दृश्य केवल गड़बड़ी और उलझन से पूर्ण दिखाई देता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बृटिश सरकार की विदेशी नीति का विरोध करने वाले मुख्यतः उस वर्ग के लोगों में से हैं, जिनका बृटिश साम्राज्य में चारों ओर आर्थिक और व्यवसायिक स्वार्थ फैला हुआ है, या जो स्थल और सामुद्रिक सेना से संबंध रखते हैं अथवा जो कुछ थोड़े से स्वतंत्र विचार रखने वाले राजनीतिज्ञ पुरुष हैं। इसके विपरीत सरकार की खुशामद से भरी हुई विदेशी नीति का समर्थन करने वाले वे लोग हैं जो बड़े-बड़े व्यवसाय-पति और बैंकर हैं, तथा ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ हैं जो या तो स्वयं सामूहिकरूप से अथवा जिनके डायरेक्टर गण व्यक्तिगतरूप से ऐंग्लो-जर्मन फ़ेलोशिप के सदस्य हैं। इनमें से जो व्यापारिक

संस्थाएँ सामूहिक रूप से इस फ़ेलोशिप के सदस्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बैंक

(१) गाइनेस मेहोन ऐंड कंपनी (Guinness, Mahon & Co).

(२) लैज़ार्ड ब्रदर्स (Lazard Bros).

(३) जे० हेनरी श्रूडर ऐन्ड कंपनी (J. Henry Schrodar & Co).

लोहे और इस्पात के कारबार

(१) फ़र्थ-वाइकर्स स्टेनलेस स्टील्स (Firth-Vickers Stainless Steels).

(२) सी० टेनेन्ट, सन्स ऐन्ड कंपनी, लिमिटेड (C. Tetnnant, Sons Co., Ltd.)

अन्य बड़े फ़र्म

(१) यूनिलिवर्स (Unilevers, Capital £ 67,000,000).

(२) टामस कुक ऐंड सन (Thos. Cook & Son, Capital £ 1500,000),

(३) कम्बाइन्ड इजिप्शन मिल्स (Combined Egyptian Mills, Capital £ 2,500,000)

(४) डनलप रबर कं० (Dunlop Rubber Co., Capital over £ 12,500,000).

(५) मेक् डाउगल्स Mc. Dougalls, Capital of holding Company nearly £ 2,500,000).

इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य छोटे फ़र्म भी, जिनमें लाखों पाउन्ड की पूँजी लगी हुई है, इसी फ़ेलोशिप के सदस्य हैं।

जिन व्यापारिक संस्थाओं के डायरेक्टर अथवा प्रतिनिधि लोग व्यक्तिगत रूप से फ़ेलोशिप के सदस्य हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है :—

(क) बैंक

(१) बैंक आफ़ इंग्लैंड।
(२) मिड लैंड बैंक।
(३) लायड्स बैंक।
(४) बार्क्लेज़ बैंक
(५) नैशनल बैंक आफ़ स्काटलैंड
(६) जे० हेनरी श्रूडर ऐंड कं० (J. Henry Schrider & Co.).
(७) लैजार्ड ब्रदर्स। (Lazard Bros).
(८) नैशनल बैंक आफ़ आस्ट्रेलिया।
(९) ब्रिटिश लिनेन बैंक।
(१०) रैली ब्रदर्स।
(११) काउट्स ऐन्ड कं० (Coutts & Co).
(१२) नैशनल बैंक आफ़ ईजिप्ट।

(ख) बीमा कंपनी

(१) कमर्शियल यूनियन ऐश्योरेन्स।
(२) लंदन एश्योरेन्स।
(३) ईगल स्टार (Eagle Star)।
(४) फ़ेनिक्स एश्योरेन्स।
(५) लन्दन ऐन्ड लैंकशायर।

(६) गार्जियन एश्योरेन्स ।

(७) नैशनल एम्प्लायर्स म्यूचुअल जेनरल एश्योरेन्स इत्यादि, इत्यादि ।

(ग) अन्य फ़र्म

(१) लीवर ब्रदर्स ऐन्ड यूनि लीवर (पूँजी ६,७०,००,००० पौंड) ।

(२) इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ ।

(३) लंदन मिडलेंड ऐन्ड स्काटिश रेलवे ।

(४) लंदन ऐन्ड नार्थ ईस्टर्न रेलवे ।

(५) शेल ट्रान्सपोर्ट ऐन्ड ट्रेडिंग कंपनी ।

(६) ऐंग्लो ईरानियन आयल कं० ।

(७) टेट ऐन्ड लाइल ।

(८) हडसन्स बे ऐन्ड कं० (Hudson's Bay Co.),

(९) डिस्टिलर्स क० (Distillers Co.) ।

(१०) गैस, लाइड ऐन्ड कोक कं० ।

(११) दि डनलप रबर कं० ।

(१२) पी० ऐन्ड ओ० स्टीम नेविगेशन क० ।

(१३) बी० एस० ए० ।

(१४) इम्पीरियल एयरवेज़ ।

(१५) टेलीग्राफ़ कन्स्ट्रक्शन ऐन्ड मेन्टिनेंस ।

(१६) टामस फ़र्म ऐन्ड जानब्राउन ।

(१७) विलियम बियर्ड मोर ।

(१८) कन्सेट स्पैनिश ओर कं० ।

इन कंपनियों के डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से फ़ेलोशिप के सदस्य हैं, अतएव इनके दूसरे डायरेक्टरों को जो सदस्य नहीं हैं अथवा स्वयं कंपनी को उसमें सम्मिलित नहीं समझना चाहिए । हां इनमें से कुछ कंपनियाँ ऐसी अवश्य हैं जो स्वयं सामूहिक रूप से भी फ़ेलोशिप की सदस्य है ।

यद्यपि बृटिश सरकार की 'खुशामद भरी' विदेशी नीति का समर्थन करने वालों की ऐसी ज़बर्दस्त पल्टन मौजूद थी, किंतु फिर भी उसके विरोधियों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही थी। बहुत से बड़े बड़े व्यवसायपति, जिनका कारबार साम्राज्य में चारों ओर फैला हुआ है, इस दुर्बल नीति का विरोध करने लगे। किंतु फिर भी इनका विरोध अधिकांश में कुछ खास-खास प्रश्नों पर ही हुआ करता था। जर्मनी को उपनिवेश लौटा देने के विरोधी संख्या में बहुत ज़्यादा थे। किंतु फिर भी साम्राज्य की रक्षा के लिए रूस की सोवियट सरकार से मैत्री स्थापित करने या इसी प्रकार के अन्य आवश्यक उपायों का अवलम्ब लेने के पक्ष में एक भी अनुदार सदस्य अथवा व्यापारी फ़र्म देखने में नहीं आता था।

इस प्रकार हिट्लर और मुसोलिनी को बृटिश पार्लिमेंट के अंदर केवल अपने सहायकों का ही भरोसा न था। विरोधियों के पारस्परिक मतभेद और फूट का भी उन्हें पूरा पूरा लाभ मिलता था। स्पेन में हिट्लर और मुसोलिनी को जो सफलता प्राप्त हुई वह वहाँ के उन दक्षिणपन्थी राजनैतिक दलों की सहायता से हुई, जो उन्हीं के से सिद्धांतों को मानने वाले थे। चेकोस्लोवेकिया में भी हिट्लर को दक्षिण मार्गी सूडेटन-जर्मन और चेक लोगों की सहायता से ही सफलता मिली। अब बृटिश जनतंत्रवाद और साम्राज्य-रक्षा के प्रश्न को जो आघात पहुँचा है वह भी इन्हीं दक्षिण-पन्थी अनुदार अंग्रेजों की नीति का फल है। जिन देशों को हिट्लर जीतना चाहता है, उन्हीं के राजनीतिज्ञों में वह पहले अपनी मित्र-संख्या बढ़ा लिया करता है।

फ़ासिस्टवाद या तानाशाही का पक्षपात ही अनुदार दल के अंग्रेज़ों को बृटिश सरकार की गृहनीति और विदेशी नीति का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता रहा है। किंतु फ़ासिस्टवाद के प्रति यह सहानुभूति उनके मन में जनतंत्रवाद के भय के कारण ही उत्पन्न

हुई है। अनुदार-दल-वालों को सदा यह भय लगा रहता है कि कहीं जनतंत्रवाद का सिद्धांत उनके धन, अधिकार और राजनैतिक शक्ति को छीनने के लिए न प्रयुक्त किया जाय और उनको यह भी विश्वास हो गया है कि योरोप के किसी भी देश में एक शक्ति-शाली प्रजातंत्र-शासन की स्थापना उनके अधिकारों और उनकी शक्तियों को कमज़ोर बना देगी। योरोप की तानाशाही को जो सहायता वे पहुँचाया करते हैं वह वास्तव में वहाँ के धनी और सम्पत्तिशाली समूह की ही सहायता है। वे जानते हैं कि यदि योरोप में तानाशाही को सफलता न प्राप्त होगी तो इंग्लिस्तान के भी ज़मींदारों, नवाबों और पूँजी-पतियों की खैर नहीं है। अस्तु, योरोपीय तानाशाही के प्रति उनकी खुशामदाना नीति वास्तव में आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रेरणा से ही उद्भूत हुई है।

अपने राजनैतिक दल की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इन अनुदार अंग्रेजों ने अपने देश की और समस्त बृटिश साम्राज्य की रक्षा को जोखिम में डाल दिया है। वे हिटलर और मुसोलिनी की शक्ति को कुचलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इनकी तानाशाही के स्थान पर कोई प्रजातंत्रात्मक शक्ति न आ बैठे। वे बृटिश साम्राज्य को खतरे में डाल देना उतना बुरा नहीं समझते थे, जितना योरोप में किसी जनतंत्रात्मक शक्ति की सहायता करना बुरा समझते थे।

कुछ समय तक तो इन अनुदार अंग्रेज़ों को यह विश्वास था कि हिटलर अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए पश्चिम की ओर न बढ़ कर पूर्व की ओर (अर्थात रूस की ओर) बढ़ेगा। प्रमाणस्वरूप २० जुलाई सन् १६३६ के न्यूज़ क्रानिकल नामक पत्र में लार्ड माउन्ट टेम्पल (Lord Maunt Temple) का निम्न-लिखित कथन उद्धृत किया जा सकता है, जो उन्होंने एंग्लो-ज़र्मन फ़ेलोशिप की एक दावत के समय कहा था :—

"यदि आगे कोई युद्ध छिड़ेगा तो—मुझे वह नहीं कहना चाहिए जो मैं कहने जा रहा था—आशा है कि युद्ध के साझीदार बदल दिये जायँगे।"

इसी प्रकार सर आर्नल्ड विल्सन ने भी तारीख ११ जून सन् १९३८ के मैंचेस्टर गार्जियन नामक पत्र में कहा था कि :—

"एकता की आवश्यकता सब से अधिक है और आज संसार को भय वास्तव में जर्मनी या इटली से नहीं है, ... बल्कि रूस से है।"

कहना न होगा कि आज ये सारे स्वप्न झूठे प्रमाणित हो चुके हैं। पूर्व की ओर अर्थात् रूस के विरुद्ध आगे बढ़ने में जर्मनी के लिए क्या-क्या कठिनाइयां हैं इसे भी हिट्लर स्वयं बतला चुका है :—

"(१) रूस में अठारह करोड़ आदमियों पर अधिकार करने का सवाल पैदा होता है।

(२) रूस भौगोलिक रूप में भी आक्रमण से सुरक्षित है।

(३) सैनिक घेरे (blockade) से भी रूस का गला नहीं घोंटा जा सकता।

(४) इसके व्यवसाय-क्षेत्र हवाई आक्रमण से बरी हैं, कारण कि अधिकांश मुख्य-मुख्य व्यवसाय-क्षेत्र सीमा प्रांत से ४००० से लेकर ६००० किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित हैं।

"रूस के हाथ में खूब संघटित व्यापार है और उसकी स्थल-सेना टैंक-सेना तथा हवाई सेना भी पृथ्वी भर में सब से अधिक शक्तिशाली है। ये बातें ऐसी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।"—Quoted in "Ourselves and Germany" 1938 by the Marqess of Londonderry, Penguin Edition P. 88.

इस प्रकार जर्मनी के लिए रूस के विरुद्ध पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना किसी समय भी अधिक न थी। पश्चिम में उसके लिए विशेष सुविधाएँ थीं, कारण कि वहाँ न केवल उसे इटली और फ्रांको-शासित स्पेन से तथा इटली और स्पेन के उपनिवेशों से ही सहायता मिलने की आशा थी, बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों के उन राजनैतिक दलों का भी उसे बहुत बड़ा भरोसा था, जो हिट्लर से सहानुभूति रखते थे और देश को उसके हाथ में एक प्रकार से सौंपने के लिए तैयार थे।

जनतंत्रवादी देशों पर संकट पड़ने का मुख्य कारण उनकी आंतरिक अनेकता और शत्रुदल की एकता ही थी। यदि बृटिश सरकार फ़ासिस्टवाद के अभ्युदय से भयभीत तमाम छोटे-बड़े जनतंत्रवादी देशों को एकत्र कर के उन्हें मैत्री द्वारा भली-भाँति संघटित कर लेता और फ्रांस के साथ-साथ रूस को भी अपना दोस्त बना लेता, जिसकी श्रेष्ठतर शक्ति का स्वयं हिट्लर भी कायल था, यदि चीन को वह अन्न और शस्त्र से सहायता पहुँचा कर जापान की शक्ति को कुंठित, कर देता, और फ्रांस तथा रूसी सरकार की मदद से योरोप के उन छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी अपने साथ मिला लेता, जो नाज़ी जर्मनी के अधिकार में उस समय तक नहीं आये थे, तो उसकी जल, थल और आकाश में ऐसी ज़बर्दस्त शक्ति स्थापित हो गयी होती, कि उसके मुक़ाबले में हिट्लर को युद्ध छेड़ने का साहस कदापि न हुआ होता। साथ ही इटली और जर्मनी में भी फ़ासिस्ट और नाज़ी दल की शक्ति, जो अपनी बढ़ती हुई सफलता के कारण बराबर ज़ोर पकड़ती जा रही है, उस समय ढीली और कमज़ोर पड़ जाती।

—:o:—

नवाँ अध्याय

सम्पत्ति और स्वदेश

पिछले अध्यायों से यह विदित हो गया होगा कि बृटिश पार्लिमेंट के अनुदार दल में किस प्रकार के लोग भरे हैं। उनका जन्म, उनका वंश, उनकी शिक्षा, उनकी ज़मीन-जायदाद, उनकी व्यवसायिक सम्पत्ति, उनके पेशे और रोज़गार सबों की जाँच करने से बस यही पता चलता है कि यह वर्ग बृटिश द्वीप की शासक जाति का प्रतिनिधि है।

अनुदार पक्ष की सरकारी नीति वास्तव में अनुदार राजनैतिक नेताओं के सामूहिक हितों और विचारों का ही परिणाम है। उनके विचारों के परस्पर संघर्षण और कतर-ब्यौंत से जो सरकारी नीति स्थिर की जाती है, उसका मुख्य आधार इस वर्ग का सामूहिक स्वार्थ ही रहा करता है। अतएव अनुदार राजनैतिज्ञों का अध्ययन करने के लिए उनके इन्हीं सामूहिक स्वार्थों का अध्ययन सब से महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इनमें कुछ इने-गिने लोग अपवाद स्वरूप भी पड़े हों अथवा एक या दो व्यक्ति अपने सिद्धांत के ऐसे पक्के हों कि अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करके केवल सही रास्ते पर ही चलना चाहते हों, किंतु ऐसों का उस दल में बहुत ही अल्पमत रहता है इस कारण उनकी वहाँ पूँछ नहीं हुआ करती।

अनुदार दलवालों की अपार धन-सम्पति, उनमें व्यापारिक कमाई की अपरिमित लालसा बृटेन और बृटिश साम्राज्य में फैला हुआ उनका ज़मीन और जायदाद में भारी स्वार्थ तथा वंश परम्परागत रूढ़ियों और अधिकारों पर उनकी नितांत निर्भरता आदि कुछ ऐसी

बातें हैं जो उनमें सर्वत्र सामान्य रूप से पायी जाती है, और जो पग-पग पर सरकारी नीति को भी निश्चित करने में अपना ज़बर्दस्त प्रभाव रखती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी राजनैतिक दल के लिए, जिसके प्रतिनिधि समाज के किसी विशिष्ट वर्ग से चुने गये हों, यह एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वह अपनी रीति-नीति को सदा उसी वर्ग की इच्छाओं के अनुकूल बनाये रहे। यह सच है कि अंग्रेज़ी शासन-विधान में इसको उक्त रीति नीति को अंग्रेज़ी जनता की इच्छाओं से बहुत कुछ नरम हो जाना पड़ता है। परंतु फिर भी अंग्रेज़ी पत्र-पत्रिकाओं पर अनुदार-पक्ष का व्यापक प्रभुत्व होने तथा प्रचार सम्बंधी अन्य कितने ही साधन उसके हाथों में रहने के कारण वह अंग्रेज़ी जनता के विचारों को भी अपने अनुकूल ही मोड़ लिया करता है।

अनुदार नेताओं का समान स्वार्थ उन्हें परस्पर ऐक्य में बाँध रखता है। इधर अनेक वर्षों से अनुदारों ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पार्लिमेंट के भीतर और बाहर अपनी अद्भुत् एकता प्रदर्शित की है। इसी ऐक्य से उनके समान स्वार्थों की ज़बर्दस्त शक्ति का पता लगता है। अब हाल में इस दल के अंदर जो कुछ थोड़-बहुत मतभेद दिखाई देने लगे हैं वह भी वास्तव में कुछ भयंकर परिस्थितियों के दबाव से ही पैदा हुए हैं। कम से कम चेकोस्लोवेकिया पर जर्मनों का अधिकार होने के समय तक तो प्रायः सभी अनुदार-पक्षीय जन अपने नेताओं के पक्षपोषण में बिल्कुल एक बने हुए थे।

पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि अंग्रेज़ी अनुदार-दल की विदेशी नीति प्रायः वैसी ही रही है, जैसी कि एक शक्ति-शाली धनिकों के समूह से स्वभावतः आशा की जा सकती थी। जेनरल फ्रांको, मुसोलिनी, हिट्लर एवं जापान के मिकाडो तक का समर्थन वे केवल इसलिए करते रहे कि वे उन्हें अन्य-देशीय धनिक वर्ग का संरक्षक समझा करते थे। उनका विश्वास था कि पृथ्वी के किसी भी

भाग में डिक्टेटरों की पराजय अथवा जनतंत्रवाद की विजय अंग्रेज़ी अनुदार दल के हक़ में अच्छी न होगी और उनकी शक्ति को इंगलिस्तान में तथा साम्राज्य के अन्दर ज़रूर कमज़ोर बना देगी। अस्तु, वे इन डिक्टेटरों की भरपूर सहायता करने में लगे हुए थे।

जेनरल फ्रांको, मुसोलिनी और हिट्लर की कार्यशैली अंग्रेज़ी अनुदारों की कार्यशैली से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी बहुत से अनुदार दल वाले इस कार्यशैली की सराहना किया करते हैं। इससे जनता के पक्ष वालों को सचेत हो जाना चाहिए और इन अनुदारों के हाथ में इतनी शक्ति न देनी चाहिए कि वे भी उक्त डिक्टेटरों की नक़ल करने लग जाँय। अभी से जब कभी अनुदारों के मार्ग में अड़चनें आती हैं तो वे तानाशाही तरीक़ों को ही काम में लाने की सलाह दिया करते हैं। यद्यपि यह सच है कि इंगिलिस्तान में यकायक फ़ासिस्ट राज्य का स्थापित होना जल्दी संभव नहीं, फिर भी ऐंग्लो जर्मन फ़ेलोशिप जैसी संस्थाओं का वहाँ स्थापित होना ही इस बात का परिचायक है कि बहुत से अनुदार दल वाले इंग्लिस्तान में भी फ़ासिस्ट शासन क़ायम करने की चिन्ता में लगे हुये हैं।

अवश्य ही ऐसे लोगों की संख्या बृटिश जनता में केवल मुट्ठी भर है। यदि पार्लिमेंट में ये लोग अपने प्रतिनिधियों के बहुमत से किसी प्रकार का फ़ासिस्ट राज्य क़ायम करने की चेष्टा भी करें, तो किस शक्ति के आधार पर करेंगे? यदि शासन की बागडोर अनुदार दल के हाथ में हुई तो सरकारी सेना और पुलीस से ये अवश्य सहायता ले सकते हैं। किन्तु फ़ासिस्ट राज्य योरोप में केवल सेना और पुलिस के बल पर क़ायम नहीं है। कितने ही अन्य प्रकार के ऐसे विश्वासनीय और प्रभावशाली राजनैतिक साधनों का भी उसे पूरा भरोसा है, जो बृटिश अनुदारदल को अभी प्राप्त नहीं हैं।

इटली और जर्मनी में फ़ासिस्ट राज्य की स्थापना वहाँ के किसी प्राचीन राजनैतिक दल द्वारा नहीं की गयी थी। उदाहरणार्थ नाज़ी दल को ही देखिए। यह एक बिल्कुल ही नई पार्टी है, और इसने पहिले किसी समय भी शासन का कार्य भार नहीं सम्भाला। जर्मनी की जनता को अपने राज्य-शासन के प्रति अनेक प्रकार की शिकायतें थीं। इसी समय एक नये-नये क्रांतिकारी, उत्साह से शराबोर राजनैतिक दल के रूप में नाज़ी पार्टी का उदय हुआ था, जिसने तमाम पुराने-धुराने क्षुद्र राजनीतिज्ञों को नीचे ढकेल कर, जर्मन जनता की तमाम शिकायतों को दूर करने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। किन्तु इंग्लिस्तान में अनुदार दल न तो कोई नया दल है और न क्रांतिकारी होने अथवा नये विचार रखने का ही दावा कर सकता है। जो कुछ पुराने-धुराने राजनीतिज्ञ भी अंग्रेज़ी शासन की खराबियों के ज़िम्मेदार हैं, वे वस्तुतः इसी वर्ग के आदमी हैं। अस्तु, बृटिश जनता के कष्टों को दूर करने के लिए यह अपनी कार्यशैली के प्रति उनके मन में कोई विश्वास पैदा कर सके ऐसी सम्भावना नहीं जान पड़ती।

शक्ति प्राप्त करने के पूर्व हिटलर ने एक नवीन उत्साह से पूर्ण जबर्दस्त जन समूह को अपने पक्ष में कर लिया था। सन १९३२ के अन्त तक नाज़ी पार्टी में लगभग दस लाख सदस्य बन चुके थे। सन् १९३२ में नाज़ी दल ने बर्लिन में जो समारोह किया था, उसमें भी कम से कम २,५०,००० सदस्य एकत्र हुए थे। अपने लाखों आदमियों को नाज़ी दल ने बिल्कुल सैनिक ढंग पर शस्त्रों से सुसज्जित और सुशिक्षित भी कर रखा था।

यहाँ बृटिश अनुदार दल के पास कोई ऐसी निज़ी शक्ति नहीं है, जिसकी नाज़ी सेना से तुलना की जा सके। यद्यपि कई एक मंडलियाँ अवश्य हैं, किन्तु कोई भी महत्वपूर्ण राजनैतिक फ़ासिस्ट दल अभी तक इंग्लिस्तान में नहीं क़ायम हो सका है। बृटिश

फ़ासिस्ट संघ (British Union of Fascists) भी इधर हाल में शक्तिशाली होने के बजाय कुछ कमज़ोर ही पड़ गया है।

इसके अतिरिक्त जिन चालबाज़ियों से हिटलर ने जर्मनी के एक ज़बर्दस्त जन समूह को अपने पक्ष में कर लिया था, वे भी अब पुरानी पड़ गयी हैं, और लोग अब उनसे सावधान हो गये हैं, कारण कि उन्होंने जर्मनी और इटली के लोगों पर उनका परिणाम अब काफ़ी तौर से देख लिया है। अस्तु, बृटिश फ़ासिस्ट संघ की शक्ति के ह्रास का कारण केवल मज़दूर दल का संघटित विरोध ही नहीं था, बल्कि बृटिश जनता के मन की वह स्वाभाविक घृणा भी थी, फ़ासिस्टों के योरोपीय कारनामों से उनके मन में आप से आप पैदा हो गई थी।

अंग्रेज़ी फ़ासिस्टों के लिए हिट्लर की तरह कोई नवीन कार्य-क्रम भी बृटिश जनता के सामने रखना कठिन है। हिट्लर अपनी पार्टी को 'सोशलिस्ट' और 'मज़दूर' पार्टी कह कर पुकारता था। किंतु इंग्लैंड में यदि इस प्रकार के किसी नाम से अब फ़ासिस्ट नीति का परिचालन किया जाय, तो लोग उससे धोखे में नहीं पड़ सकते। हिट्लर यह कह सकता था कि जर्मनों की तमाम मुसीबतें वार्सेलीज़ की संधि के ही कारण पैदा हुई हैं, कारण कि इस से उनके राज्य का अंग-भंग कर दिया गया था और उनके उपनिवेश एवं शस्त्रास्त्र छीन लिये गये थे। किंतु अंग्रेज़ी फ़ासिस्टों के लिए ऐसा कोई भी बहाना सामने नहीं दीखता।

इसके अतिरिक्त योरोप में होने वाली आधुनिक घटनाएँ भी बृटिश जनता के हृदय को फ़ासिस्ट मत के विरुद्ध दिन पर दिन कठोर बनाती जा रही हैं, और अब वह संभव नहीं है कि अंग्रेज़ी जनता धोखे में आ कर किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन करे जो वास्तव में फ़ासिस्ट आन्दोलन का ही एक दूसरा रूप हो।

इस प्रकार इंग्लिस्तान में फ़ासिस्टवाद जारी करने के लिए अनेक कठिनाइयाँ हैं। संभव है कि लोगों को फ़ासिस्टवाद के लिए तैयार करने का उपाय तो धीरे धीरे काम में लाया जा सके, किंतु उसका वहाँ जारी करना अभी खतरे से खाली नहीं। हिट्लर ने केवल दो ही महीने में जर्मनी की तमाम जनतंत्रवादी संस्थाओं का मूलोच्छेद कर डाला था। इस दो महीने के भीतर उसने न केवल तमाम राजनैतिक दलों को ही नष्ट कर दिया था, बल्कि विद्वानों की तमाम सभाओं सामाजिक क्लबों, खेल-कूद की संस्थाओं, परोपकारी संस्थाओं, तथा तमाम दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं के कर्मचारियों तक को निकाल कर उनके स्थान पर ऐसे आदमी नियुक्त किये थे, जिन्होंने नाज़ी सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करने की शपथ ले ली थी। एकमात्र चर्च को ही कुछ समय के लिए अछूता छोड़ दिया था, जिससे केवल वही एक ऐसी संस्था बच गयी थी, जो अपने कर्मचारियों को स्वयं चुनकर नियुक्त कर सकती थी। किंतु आगे चल कर यहाँ भी जनतंत्रवाद का बचा खुचा अंश रहने देना नाज़ियों को भयजनक जान पड़ने लगा। अतएव प्रोटेस्टेन्ट चर्च का अब यह अधिकार छीन लिया गया है। केवल कैथोलिक चर्च बच रहा है, किंतु वह भी बहुत तंग हालत में दिखाई देता है।

अंग्रेज़ शासक-समुदाय यद्यपि विदेशों में अपने फ़ासिस्ट दोस्त को प्रोत्साहित करने में काफ़ी सफल हुआ है, किंतु इंग्लिस्तान में उसे फ़ासिज़्म की भूमि तक तैयार करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

अंग्रेज़ फ़ासिस्टों के मार्ग में और भी बहुतेरी कठिनाइयाँ हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत का सम्बंध केवल बृटिश द्वीप के ही ४,५०,००००० आदमियों से नहीं है। भारतवर्ष तथा उपनिवेशी साम्राज्य के भी ४५,००००००० व्यक्तियों को उसे सम्हालना है इसके अतिरिक्त

स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के साथ भी उसे अपना सम्बंध बनाये रखना है। साथ ही अनुदार अंग्रेज़ों को साम्राज्य के प्रायः हर एक भाग में अपनी ज़मीन—जायदाद और व्यवसायों की भी रक्षा करना आवश्यक है।

वर्तमान अंग्रेज़ी सैनिक तैयारियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य बृटिश सामाज्य की रक्षा करता है, यद्यपि अनुदार दल वाले और जनतंत्रवादी लोग दोनों ही यह अच्छी तरह जानते हैं कि यही सेना और हथियार किसी दिन स्वदेश अथवा विदेश के जनतंत्रवाद को भी कुचलने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। किंतु साम्राज्य की भी रक्षा केवल हथियारों से ही नहीं की जा सकती। लाखों सिपाहियों मल्लाहों, उड़ाकुओं एवं कारखाने में काम करने वालों की भी इसके लिए बड़ी ज़रूरत रहा करती है। यह सच है कि बृटिश साम्राज्य में जहाँ ४५ करोड़ आदमियों की बस्ती है, सैनिकों और सिपाहियों की कमी नहीं पड़ सकती, किंतु फिर भी ध्यान रहे कि पिछले महायुद्ध में भारतवर्ष की "आंतरिक अवस्था" के कारण भारतीय सेना की भर्ती में बड़ी रुकावटें पड़ी थीं। आज भी भारतवर्ष, पैलेस्टाइन वेस्ट-इन्डीज़ तथा अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों में अंग्रेज़ी हुकूमत क़ायम रखने के लिए सहस्त्रों बृटिश सैनिकों की आवश्यकता रहा करती है। इन देशों के प्रजा वर्ग में बृटिश साम्राज्य को बचाने की चिंता बहुत ही धीमी दखाई देती है। जनतंत्र-शासन का इन देशों में अभाव होने के कारण यहाँ के निवासियों के सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हेतु वे लड़ने में प्रोत्साहित हों और अपने प्राणों की बाज़ी खुशी-खुशी लगा सकें। प्रत्युत् संभावना ऐसी जान पड़ती है कि युद्ध के अवसर पर बृटिश साम्राज्य के कितने ही हिस्सों में लोग बृटिश अनुदार शासन का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंकने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हथियार तक उठा लेंगे। इस अवस्था को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों को जन-

तंत्रात्मक शासन की रियायतें दी जायें और युद्ध में परस्पर सहायता कर के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए इनसे मैत्री स्थापित की जाय।

नाज़ीशाही से बचने के लिए जनतंत्रवाद को ही मज़बूत करने की ज़रूरत है। अतएव बृटिश शासक दल के सामने इस समय एक कठिन समस्या आपड़ी है। यदि वे साम्राज्य की रक्षा करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जनतंत्रात्मक शासन की रियायतों द्वारा साम्राज्य की प्रजा को संतुष्ट किया जाय और साथ ही अन्य जनतंत्रवादी देशों के साथ भी मैत्री-संबंध स्थापित किया जाय, तथा स्वदेश में जनतंत्रवाद पर चोट करने की आदत छोड़ दी जाय। किंतु अनुदार दल में कितने ही ऐसे पार्लिमेंटी सदस्य हैं जो अंग्रेज़ी जनतंत्रवाद को कुचलने के लिए हिट्लर तक से सहायता लेने को तैयार हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो हिट्लर से लड़ने के लिए प्रजा का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। संक्षेप में अनुदार शासकों की समस्या इस प्रकार कही जा सकती है कि वे बृटिश जनता और हिट्लर दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते और न इस प्रकार लड़ने से उन्हें सफलता की कोई आशा ही हो सकती है। एक के साथ लड़ने के लिए दूसरे की सहायता और सहयोग प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक है।

इधर साम्राज्य में और इंग्लिस्तान में भी अनुदारों की नीति, सिद्धांत और नीयत पर बहुत कम लोगों को विश्वास है। साम्राज्य के लोग जानते हैं कि अनुदार सरकार साम्राज्य की रक्षा केवल इसलिए करना चाहती है कि उसे अपनी सम्पत्ति, जायदाद, और अधिकारों को बचाने की फ़िक्र है यदि बृटेन में आज कोई जनतंत्रवादी सरकार मौजूद होती तो साम्राज्य रक्षा के लिए उसे भारतवर्ष से तथा उपनिवेशों से विश्वासपूर्ण सहयोग और सहायता आसानी से मिल सकती। एक उन्नतिशील बृटिश सरकार साम्राज्य के हर एक हिस्से को जनतंत्रात्मक अधिकार व्यापक रूप से प्रदान कर के सम्पूर्ण प्रजा का विश्वास और सहयोग अपने हाथ में कर सकती थी और उस अवस्था में एक संगठित

भारत के दिग्गज विद्वान, प्रसिद्ध देश-भक्त और महान
राजनीतिज्ञ डा० बी० पट्टाभि सीतारामैया लिखित
अनुपम पुस्तकें एक बार अवश्य पढ़िये

म० गाँधी का समाजवाद

जो पश्चिमी सभ्यता अपने को सर्व श्रेष्ठ बताती थी और दुनिया को पश्चिमी सभ्यता पर ही चलने तथा मानने को वाध्य कर रही थी आज उस सभ्यता का यह दुष्परिणाम है कि चारों ओर जुल्मों का जोर हो रहा है। एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाए रखने का घोर प्रयत्न कर रहा है। चारों ओर भूख के कारण बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध त्राहि त्राहि कर रहे हैं, निरन्तर युद्ध के कारण जनता में कोहराम मचा है, ऐसी पश्चिमी सभ्यता का अब दिवाला निकलने ही वाला है और अब यह साबित हो गया है कि विश्व-शान्ति पश्चिमी सभ्यता नहीं कर सकती है।

श्रीयुत डा० पट्टाभि सीतारामैया ने म० गांधी के सिद्धान्त बताते हुये यह साबित कर दिया है कि शान्ति तो अहिंसा, असहयोग और स्वावलम्बन से ही हो सकती है।

पुस्तक पढ़ते ही पश्चिमी सभ्यता के सर्वनाश की ओर बढ़ते जाने का पूरा चित्र आँख के सामने खिच जाता है। साथ ही इस सर्वनाश का इलाज भी हमारी सभ्यता में दिखाई देता है। मूल्य १॥)

चर्खे की उपयोगिता, ।=)

हाथ के उद्योग धंधों के कारण भारत के शत प्रतिशत आदमी काम काजी थे। घर घर मनुष्य अपनी आवश्यकीय वस्तुएँ पैदा कर लेता था, आपस में परिवर्त्तन करके सब अपना काम चलाया करते थे, आज मशीनों ने भारत को अपने आधीन कर रक्खा है।

लेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में म० गान्धी के सिद्धान्तों की समालोचना करते हुए यह दिखाया है कि चर्खा पेट भर सकता है, किन्तु आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता।

"भारत का आर्थिक शोशण"

पुस्तक के सम्बन्ध में

"भारत में अंग्रेजी राज" के यशस्वी लेखक, कर्मवीर श्रीयुत सुन्दरलाल जी लिखते हैं—

"कांग्रेस वर्किंग कमेटी के योग्य मेम्बर डाक्टर बी० पट्टाभि सीतारामैया देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं में से हैं। वह अर्थ शास्त्र और राजनीति शास्त्र के भी पूरे पण्डित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में इन विषयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनकी The Economic Conquest of India or The British Empire Ltd. अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने पिछले १५० वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का खाका खींचा है और नमक के महसूल, कपड़े के व्यापार, रुई की चुंगी, ओटावा का मशहूर समझौता, रेल, जहाज, कोयला, सिक्के, नोट, टकसाल, विदेशों के साथ हुंडियावन, बट्टा, डाक महसूल, बङ्क, चेक, बीमा कम्पनियां, बिजली, फौज वगैरा के बारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरू से रही है और जो अब तक है उसे साफ २ और तफसील के साथ २ बयान करते हुये यह दिखाया है कि किस तरह इन सब महकमों के इन्तिजाम में भारत के साथ खुला अन्याय किया जाता है और किस तरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन लूटना ही अंग्रेजी राज्य का सब से बड़ा उद्देश्य है। इस आर्थिक नीति का नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही धन्धे में जब कि सन् १८०३ तक एक गज कपड़ा भी विलायत से भारत में न आता था इस समय हमारा यह धंधा करीब करीब चौपट है, हमारे करोड़ों कारीगर भूखों मरते हैं और हमारा बाजार विलायती कपड़ों से पटा पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया है कि सन् १६३५ में जो नया

कानून पास हुआ है इसके अनुसार कहा जाता है कि शासन के नये अधिकार भारतवासियों को दिये गये हैं उसमें भारत की इन आर्थिक बेड़ियों को और ज्यादा जोरों के साथ कस दिया गया है। और आइन्दा के लिये इसका पूरा इन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना व्यापार या अपने उद्योग धन्धे उससे ज्यादा पनपने न पावें जितना कि अंग्रेज़ी कौम के लिये जरूरी है और भारत की यह भयंकर लूट बराबर जारी रहे। मेरी यह पक्की राय है और जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जो अंग्रेज़ी पढ़ सकता है इस पुस्तक को पढ़ लें। जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वह किसी हिन्दुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सकें तो जरूर पढ़ें।"

लाठी शिक्षक १)

पहलवानी करना आज-कल के नवयुवकों के लिए बड़ा कठिन काम हो गया है जो बिना कलफ और अस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते वे शरीर में मिट्टी क्यों लगने देंगे, उन्हें लाठी चलाना जरूर ही सीखना चाहिये, पतली छड़ी भी लाठी चलाने वाले का साथ देगी, अगर लाठी चलाना वह जानता हो तो।

स्त्रियों के खेल और व्यायाम २)

भूमिका लेखिका—श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

हिन्दू जाति में आज-कल स्त्रियों को कठिन असाध्य, संक्रामक रोगों से घिरी हुई पायेंगे, गिरे हुए स्वास्थ्य से कमज़ोर सन्तान पैदा होती है, स्त्रिया बिगड़े हुए स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, बच्चे होने के बाद भी स्वस्थ्य कैसे रहें, स्त्रियों की दिनचर्या क्या हो, इस पुस्तक में बताया गया है।

शहीदों की टोली (जप्त) १॥)

भारत में जब से अंग्रेज़ आए, उस समय से लेकर आज तक कितने क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई है किस अपराध में फाँसी हुई इस पुस्तक में फाँसी पाये हुए क्राँतिकारियों का वर्णन है।

विवाह समस्या १)

लेखक महात्मा गांधी

नव-विवाहित स्त्री-पुरुषों को तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, स्त्री-पुरुषों के जीवन में होने वाली तमाम कठिनाइयों को महात्मा जी ने उदाहरण देकर समझाया है।

बिस्मिल की शायरी १।।।)

[लेखक कविवर "बिस्मिल,, इलाहाबादी]

व्यंग शायरी पढ़ने लायक है, दरबारियों को और उपदेशकों के लिए तो बहुत ही लाभ की पुस्तक है जहां चाहे वहां सटीक बैठती है, हाज़िर जवाबी के लिए बहुत बढ़िया मसाला है।

दर्दे दिल २)

कविवर 'बिस्मिल' इसके सम्पादक हैं। भारत के मशहूर से मशहूर शायरों के इसमें दिल पर चुनीदा अशार है।

तीरे नज़र १।=)

सम्पादक 'कविवर बिस्मिल'

नज़र पर मशहूर-मशहूर शायरों के अशार हैं।

नूह की शायरी १)

'नूह' साहब को इस जमाने में कौन नहीं जानता है, इनके करीब-करीब तीन या चार सौ के लगभग शागिर्द हैं, हर शहर में आप को इनके शागिर्द मिलेंगे, अशार पढ़ने योग्य हैं।
